37 सूरए अस साफ़्फ़ात (क़तार)

न्याय दर्शन के अनुसार तार्किक विश्लेषण

आयत 1-3

अनुवाद:
"इबादत या जिहाद में पर बाँधने वालों की (क़सम) (1) फिर (बदों को बुराई से) झिड़क कर डाँटने वाले की (क़सम) (2) फिर कुरान पढ़ने वालों की क़सम है (3)"

न्याय तत्व:

शब्द (Shabda) - प्रमाण का सिद्धांत

तार्किक विश्लेषण:

- **प्रतिज्ञा (Proposition): इन आयतों में कुछ गुप्त सत्ता की क़समें खाई जा रही हैं, लेकिन उनका वास्तविक उद्देश्य स्पष्ट नहीं है।**
- **हेतु (Reason): तर्क यह है कि इन शपथों के माध्यम से किसी महान सत्ता की शक्ति को सिद्ध किया जा रहा है।**
- **उदाहरण (Example): न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाण चार प्रकार के होते हैं–प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। इनमें शब्द प्रमाण तभी मान्य होता है जब वह सत्य और सार्वभौमिक हो। किसी वस्तु की क़सम खाने से सत्य प्रमाणित नहीं होता।**
- **उपनय (Application): यदि किसी कथन की सत्यता केवल शपथ लेने से सिद्ध होती, तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहकर सत्य साबित कर सकता है।**
- **निगमन (Conclusion): यह आयत शब्द प्रमाण के न्याय सिद्धांत से मेल नहीं खाती क्योंकि सत्य की पुष्टि केवल शपथ लेकर नहीं की जा सकती।**

आयत 4-5

अनुवादः

"तुम्हारा माबूद (यक़ीनी) एक ही है (4) जो सारे आसमान, ज़मीन का और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है (सबका) परवरदिगार है (5)"

न्याय तत्वः

अनुमान (Anumana) - तर्क द्वारा निष्कर्ष

तार्किक विश्लेषणः

- **प्रतिज्ञा (Proposition): इसमें यह दावा किया गया है कि सारा ब्रह्मांड केवल एक ही ईश्वर का सृजन है और वही उसका स्वामी है।**
- **हेतु (Reason): यह तर्क दिया गया है कि ब्रह्मांड की जटिलता और व्यवस्था यह सिद्ध करती है कि एक ही सृष्टिकर्ता है।**
- **उदाहरण (Example): सांख्य दर्शन के अनुसार ब्रह्मांड प्रकृति (प्रकृति और पुरुष) के योग से उत्पन्न हुआ है और इसके लिए किसी सृजनकर्ता की आवश्यकता नहीं है।**
- **उपनय (Application): यदि कोई एकमात्र ईश्वर ही सृष्टिकर्ता होता, तो अन्य दार्शनिक प्रणालियों (जैसे सांख्य, वैशेषिक) में स्वतः सृष्टि सिद्धांत की स्वीकार्यता न होती।**
- **निगमन (Conclusion): यह आयत अनुमान के न्याय सिद्धांत से मेल नहीं खाती क्योंकि बिना प्रत्यक्ष प्रमाण के किसी एक ईश्वर की सत्ता को सार्वभौमिक रूप से सिद्ध नहीं किया जा सकता।**

सारणीः तार्किक आलोचना

आयत संख्या	न्याय तत्व	मुख्य आलोचना
1-3	**शब्द (Shabda)**	**सत्य की पुष्टि केवल शपथ लेने से नहीं हो सकती।**
4-5	**अनुमान (Anumana)**	**एकमात्र ईश्वर के अस्तित्व का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दिया गया।**

निष्कर्षः

इन आयतों में दिए गए तर्क न्याय दर्शन और सांख्य दर्शन के सिद्धांतों से मेल नहीं खाते। वैशेषिक दर्शन के अनुसार ब्रह्मांड पंचमहाभूतों से उत्पन्न हुआ है, और किसी सर्वशक्तिमान ईश्वर की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार, सत्य की पुष्टि केवल शपथ खाने से नहीं की जा सकती।

न्याय दर्शन के अनुसार तार्किक विश्लेषण

आयत 6-7

अनुवादः
"और *(चाँद, सूरज, तारे के)* तुलूअ *(उदय)* और ग़ुरूब *(अस्त)* के मक़ामात का भी मालिक है। हमने ही नीचे वाले आसमान को तारों की आराइश *(जगमगाहट)* से सजाया *(6)* और *(तारों को)* हर सरकश शैतान से हिफ़ाज़त के वास्ते *(भी पैदा किया) (7)*"

न्याय तत्वः

व्याप्ति (Vyapti) - सार्वभौमिक अन्वय

तार्किक विश्लेषणः

- **प्रतिज्ञा (Proposition):** यह दावा किया गया है कि आसमान को तारों से सजाया गया और यह कि तारे शैतानों से सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं।
- **हेतु (Reason):** तारों के अस्तित्व को एक सजावट और सुरक्षा प्रणाली के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
- **उदाहरण (Example):** वैशेषिक दर्शन के अनुसार तारे पंचमहाभूतों का भाग हैं और उनकी उत्पत्ति प्राकृतिक नियमों से हुई है, न कि किसी सुरक्षा प्रणाली के लिए।
- **उपनय (Application):** यदि तारे वास्तव में शैतानों को रोकने के लिए बनाए गए होते, तो उनका वैज्ञानिक अध्ययन (जो कि गुरुत्वाकर्षण, नाभिकीय संलयन आदि से संबंधित है) इन दावों को पुष्ट करता।
- **निगमन (Conclusion):** यह आयत वैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से असंगत प्रतीत होती है क्योंकि तारे खगोलीय पिंड हैं, न कि किसी अलौकिक सुरक्षा प्रणाली का भाग।

आयत 8-10

अनुवादः

*"*कि अब शैतान आलमे बाला की तरफ़ कान भी नहीं लगा सकते और *(*जहाँ सुन गुन लेना चाहा तो*)* हर तरफ़ से खदेड़ने के लिए शहाब फेंके जाते हैं *(8)* और उनके लिए पाएदार अज़ाब है *(9)* मगर जो *(*शैतान शाज़ व नादिर फरिश्तों की*)* कोई बात उचक ले भागता है तो आग का दहकता हुआ तीर उसका पीछा करता है *(10)"*

न्याय तत्वः

अनुमान (Anumana) - तर्क द्वारा निष्कर्ष

तार्किक विश्लेषणः

- **प्रतिज्ञा (Proposition):** यह कहा गया है कि शैतान स्वर्ग की बातें सुनने की कोशिश करते हैं और उन्हें जलते हुए उल्कापिंडों (शहाब) से खदेड़ा जाता है।
- **हेतु (Reason):** तार्किक रूप से, यह दर्शाया गया है कि स्वर्गीय ज्ञान को शैतानों से बचाने के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है।
- **उदाहरण (Example):** वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, उल्कापिंड ब्रह्मांडीय पिंड हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर जलते हैं। यह कोई अलौकिक दंड प्रणाली नहीं है।
- **उपनय (Application):** यदि उल्कापिंडों का उद्देश्य शैतानों को रोकना होता, तो इसका प्रभाव केवल पृथ्वी पर ही नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में देखा जाना चाहिए था, परंतु ऐसा कोई प्रमाण नहीं है।
- **निगमन (Conclusion):** यह आयत अनुमान प्रमाण के अनुसार असंगत प्रतीत होती है क्योंकि इसमें उल्कापिंडों की वैज्ञानिक प्रक्रिया को एक अलौकिक घटना के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो न्याय दर्शन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रमाणित नहीं हो सकता।

सारणी: तार्किक आलोचना

आयत संख्या	न्याय तत्व	मुख्य आलोचना
6-7	व्याप्ति (Vyapti)	तारों की उत्पत्ति प्राकृतिक है, न कि किसी सुरक्षा तंत्र के रूप में।
8-10	अनुमान (Anumana)	उल्कापिंडों का वैज्ञानिक स्पष्टीकरण इस आयत से मेल नहीं खाता।

निष्कर्ष:

इन आयतों में ब्रह्मांडीय घटनाओं को अलौकिक सुरक्षा तंत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, और आधुनिक विज्ञान के सिद्धांतों से मेल नहीं खाता। तारों और उल्कापिंडों का अस्तित्व भौतिक नियमों के अधीन है, न कि किसी शैतानी दंड प्रक्रिया का भाग।

न्याय दर्शन के अनुसार तार्किक विश्लेषण

आयत 11

अनुवाद:
"तो (ऐ रसूल) तुम उनसे पूछो तो कि उनका पैदा करना ज़्यादा दुश्वार है या उन (मज़कूरा) चीज़ों का जिनको हमने पैदा किया। हमने तो उन लोगों को लसदार मिट्टी से पैदा किया।"

न्याय तत्व:

अनुमान (Anumana) - तर्क द्वारा निष्कर्ष

तार्किक विश्लेषण:

- **प्रतिज्ञा (Proposition): यह दावा किया गया है कि मनुष्य को लसदार मिट्टी से बनाया गया है।**
- **हेतु (Reason): इस्लामिक विचार के अनुसार मनुष्य की उत्पत्ति मिट्टी से हुई है, और यह अन्य सृष्टि से अधिक कठिन या सरल कार्य हो सकता है।**
- **उदाहरण (Example): वैशेषिक दर्शन के अनुसार समस्त पदार्थ पंचमहाभूतों (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश) से बने हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मनुष्य की उत्पत्ति जैविक विकास (Evolution) के सिद्धांत के अनुसार होती है, न कि केवल मिट्टी से।**
- **उपनय (Application): यदि मनुष्य वास्तव में केवल मिट्टी से बना होता, तो इसका वैज्ञानिक प्रमाण मिलना चाहिए था, परंतु जीवविज्ञान इसका समर्थन नहीं करता।**
- **निगमन (Conclusion): यह आयत वैज्ञानिक और न्याय दर्शन के अनुमान प्रमाण के अनुसार असंगत प्रतीत होती है क्योंकि यह जैविक विकास के सिद्धांत से मेल नहीं खाती।**

आयत 12-15

अनुवादः

***"बल्कि तुम** *(उन कुफ़्फ़ार के इन्कार पर)* **ताज्जुब करते हो और वह लोग** *(तुमसे)* **मसख़रापन करते हैं** *(12)* **और जब उन्हें समझाया जाता है तो समझते नहीं हैं** *(13)* **और जब किसी मौजिज़े को देखते हैं तो** *(उससे)* **मसख़रापन करते हैं** *(14)* **और कहते हैं कि ये तो बस खुला हुआ जादू है** *(15)"*

न्याय तत्वः

हेतु-अभास (Hetvabhasa) - तर्क की त्रुटि

तार्किक विश्लेषणः

- **प्रतिज्ञा (Proposition): यह दावा किया गया है कि नबी (रसूल) के चमत्कारों को न मानने वाले लोग अज्ञानी हैं और उन्हें समझाया जाए तो भी वे नासमझ बने रहते हैं।**
- **हेतु (Reason): जिन लोगों ने इस्लामी चमत्कारों (मौजिज़े) को अस्वीकार किया, वे उनका उपहास करते हैं और इसे जादू बताते हैं।**
- **उदाहरण (Example): न्याय दर्शन के अनुसार किसी भी दावे को प्रमाणित करने के लिए चार प्रमाण आवश्यक होते हैं–प्रत्यक्ष** (Perception), **अनुमान** (Inference), **उपमान** (Comparison), **और शब्द** (Verbal Testimony)**। इस संदर्भ में, "चमत्कार" को सत्य मानने के लिए प्रमाणों की आवश्यकता है, केवल उपहास करने वालों को दोषी ठहराना तर्कसंगत नहीं है।**
- **उपनय (Application): यदि चमत्कारों को केवल "जादू" कहकर अस्वीकार करना गलत है, तो बिना प्रमाण उन्हें सत्य मान लेना भी उतना ही गलत होगा।**
- **निगमन (Conclusion): यह आयत हेतु-अभास** *(Hetvabhasa)* **की श्रेणी में आती है क्योंकि इसमें बिना प्रमाण के दावे को सत्य मानने और विरोध करने वालों को नासमझ घोषित करने की प्रवृत्ति दिखाई देती है, जो न्याय शास्त्र के अनुसार त्रुटिपूर्ण तर्क है।**

सारणीः तार्किक आलोचना

आयत संख्या	न्याय तत्व	मुख्य आलोचना
11	अनुमान (Anumana)	मनुष्य की उत्पत्ति केवल मिट्टी से नहीं हुई, जैविक विकास का

		समर्थन नहीं मिलता।
12-15	**हेत्वाभास (Hetvabhasa)**	**बिना प्रमाण के चमत्कारों को सत्य मानने की त्रुटि।**

निष्कर्ष:

इन आयतों में मनुष्य की उत्पत्ति और चमत्कारों की अवधारणा प्रस्तुत की गई है, जो न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, और आधुनिक विज्ञान के सिद्धांतों से मेल नहीं खाती। मनुष्य की उत्पत्ति जैविक विकास के अनुसार होती है, और बिना प्रमाण के किसी भी चमत्कार को सत्य मानना तार्किक रूप से त्रुटिपूर्ण है।

न्याय दर्शन के अनुसार तार्किक विश्लेषण

आयत 16-17

अनुवाद:
"भला जब हम मर जाएँगे और ख़ाक और हड्डियाँ रह जाएँगे *(16)* तो क्या हम या हमारे अगले बाप-दादा फिर दोबारा क़ब्रों से उठा खड़े किए जाएँगे *(17)*"

न्याय तत्व:

व्याप्ति (Vyapti) - सार्वभौमिक नियम का विश्लेषण

तार्किक विश्लेषण:

- **प्रतिज्ञा (Proposition): यह दावा किया गया है कि मरने के बाद मनुष्य को पुनः जीवित किया जाएगा।**
- **हेतु (Reason): पुनरुत्थान की अवधारणा पर विश्वास करने की अपेक्षा की गई है, लेकिन इसके लिए कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दिया गया।**
- **उदाहरण (Example):**
  - **वैशेषिक दर्शन में पदार्थों का पुनर्संगठन केवल भौतिक नियमों पर निर्भर करता है। किसी वस्तु के नष्ट होने के बाद उसकी पूर्व अवस्था में पुनः वापसी संभव नहीं होती।**

    - **सांख्य दर्शन के अनुसार शरीर पंचमहाभूतों से बना होता है, और मृत्यु के पश्चात ये पंचतत्वों में विलीन हो जाता है। अतः भौतिक शरीर का पुनः जीवित होना तर्कसंगत नहीं है।**
- **उपनय (Application): यदि किसी भी वस्तु के नष्ट होने के बाद उसका पुनरुत्थान संभव होता, तो प्रकृति में हमें इसका कोई प्रमाण मिलना चाहिए। परंतु वैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि शरीर पुनः पहले जैसा हो सकता है।**
- **निगमन (Conclusion): यह सिद्धांत व्याप्ति *(Vyapti)* के नियम का उल्लंघन करता है क्योंकि यह सार्वभौमिक अनुभव (अनुभव प्रमाण) से मेल नहीं खाता।**

आयत 18-20

अनुवाद:

"(ऐ रसूल)* तुम कह दो कि हाँ *(ज़रूर उठाए जाओगे) (18)* और तुम ज़लील होगे और वह *(क़यामत)* तो एक ललकार होगी फिर तो वह लोग फ़ौरन ही *(आँखे फाड़-फाड़ के)* देखने लगेंगे *(19)* और कहेंगे हाए अफसोस ये तो क़यामत का दिन है *(20)"

न्याय तत्व:

शब्द प्रमाण (Shabda Pramana) - प्रमाणिक शब्दों का महत्व

तार्किक विश्लेषण:

- **प्रतिज्ञा (Proposition): यह दावा किया गया है कि क़यामत के दिन सभी मृत लोग पुनः जीवित होंगे और उन्हें अपमानित किया जाएगा।**
- **हेतु (Reason): यह विश्वास केवल पैगंबर के कथनों पर आधारित है और इसमें कोई प्रत्यक्ष प्रमाण या तर्क नहीं दिया गया है।**
- **उदाहरण (Example):**
    - **न्याय दर्शन के अनुसार शब्द प्रमाण तभी स्वीकार्य होता है जब वह किसी प्रमाणिक और अनुभवसिद्ध सत्य से मेल खाता हो। परंतु यहाँ पुनरुत्थान की अवधारणा केवल धार्मिक विश्वास पर आधारित है।**
    - **भगवद गीता *(2.22)* में कहा गया है:**

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय,

नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि।
(जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्यागकर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्यागकर नया शरीर धारण करती है।)
यह पुनर्जन्म के सिद्धांत की पुष्टि करता है, लेकिन मृत शरीर के पुनः जाग्रत होने की बात नहीं करता।

- **उपनय (Application):** यदि यह सिद्धांत सत्य होता, तो हमें प्राकृतिक रूप से या किसी प्रमाणिक स्रोत से इसका समर्थन मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है।
- **निगमन (Conclusion):** यह शब्द प्रमाण का दुरुपयोग है क्योंकि बिना किसी अनुभवसिद्ध प्रमाण के इस दावे को सत्य मान लेना तर्कसंगत नहीं है।

सारणी: तार्किक आलोचना

आयत संख्या	न्याय तत्व	मुख्य आलोचना
16-17	व्याप्ति (Vyapti)	शरीर का पुनरुत्थान सार्वभौमिक नियमों (प्राकृतिक नियमों) से मेल नहीं खाता।
18-20	शब्द प्रमाण (Shabda Pramana)	पुनरुत्थान का दावा केवल धार्मिक विश्वास पर आधारित है, प्रमाणसिद्ध नहीं।

निष्कर्ष:

इन आयतों में मृत्यु के बाद पुनरुत्थान और क़यामत की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन के अनुसार शरीर पंचमहाभूतों से बना होता है, और मृत्यु के पश्चात वह पुनः जीवित नहीं हो सकता। पुनर्जन्म की अवधारणा आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करती है, परंतु मृत शरीर का पुनरुत्थान तार्किक रूप से असंगत है। अतः यह आयतें न्याय सिद्धांतों से मेल नहीं खातीं।

न्याय दर्शन के अनुसार तार्किक विश्लेषण

आयत 21-25

अनुवादः

"जवाब आएगा) ये वही फैसले का दिन है जिसको तुम लोग (दुनिया में) झूठ समझते थे *(21)* (और फ़रिश्तों को हुक्म होगा कि) जो लोग (दुनिया में) सरकशी करते थे उनको और उनके साथियों को और ख़ुदा को छोड़कर जिनकी परसतिश करते हैं *(22)* उनको (सबको) इकट्ठा करो फिर उन्हें जहन्नुम की राह दिखाओ *(23)* और (हाँ ज़रा) उन्हें ठहराओ तो उनसे कुछ पूछना है *(24)* (अरे कमबख़्तों) अब तुम्हें क्या होगा कि एक दूसरे की मदद नहीं करते *(25)*"

न्याय तत्वः

हेतु (Hetu) - कारण की संगति और तार्किक आधार

तार्किक विश्लेषणः

- **प्रतिज्ञा (Proposition): कयामत के दिन ईश्वर सभी पापियों को इकट्ठा करेगा और उन्हें दंडित करेगा।**
- **हेतु (Reason): जो लोग ईश्वर के आदेश का पालन नहीं करते, उन्हें दंडित किया जाएगा और वे आपस में एक-दूसरे की सहायता नहीं कर पाएंगे।**
- **उदाहरण (Example):**
    - **मनुस्मृति *(8.15)* कहती है कि "व्यवस्था का आधार तर्क और न्याय होना चाहिए, न कि केवल दंड द्वारा डराने की नीति।"**
    - **न्याय दर्शन के अनुसार, तर्कसंगत दंड व्यवस्था आवश्यक है, परंतु इस आयत में दंड का आधार केवल विश्वास और आज्ञापालन पर रखा गया है, न कि नैतिकता और कर्मों पर।**
    - **भगवद गीता *(4.13)* कहती है कि कर्म के आधार पर व्यक्ति को उसका फल मिलता है, न कि केवल किसी विशेष आस्था के कारण।**
- **उपनय (Application): यदि यह सिद्धांत सही होता, तो नैतिकता और कर्म की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होनी चाहिए थी। परंतु यहाँ केवल ईश्वर की पूजा न करने को ही सबसे बड़ा अपराध बताया गया है।**
- **निगमन (Conclusion):**
    - **यह न्याय सिद्धांत के हेतु *(Hetu)* - कारण की संगति के नियम का उल्लंघन करता है, क्योंकि यहाँ दंड का आधार केवल विश्वास पर रखा गया है, कर्मों पर नहीं।**

- **यह वैशेषिक दर्शन के कर्मफल सिद्धांत से मेल नहीं खाता, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का ही फल भोगता है।**

सारणी: तार्किक आलोचना

आयत संख्या	न्याय तत्व	मुख्य आलोचना
21-25	**हेत्वाभास (Hetvabhasa)**	**दंड केवल आस्था पर आधारित है, कर्मों पर नहीं।**
22-23	**अनुचित दंड (Adharmic Punishment)**	**केवल ईश्वर की पूजा न करने के आधार पर दंडित करना न्यायसंगत नहीं।**
24-25	**हेत्वाभास (Hetvabhasa)**	**अगर ईश्वर न्यायकारी है, तो दंड का आधार नैतिकता होना चाहिए, न कि केवल आस्था।**

निष्कर्ष:

इन आयतों में न्याय की अवधारणा केवल ईश्वर की आज्ञा मानने पर आधारित है, न कि नैतिकता या कर्म पर। न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन के अनुसार दंड का आधार किसी के कर्म होने चाहिए, न कि किसी विशेष आस्था या विश्वास। इस दृष्टिकोण से ये आयतें न्यायसंगत नहीं ठहरतीं।

न्याय दर्शन के अनुसार तार्किक विश्लेषण

आयत 26-30

अनुवाद:

"बल्कि वह तो आज गर्दन झुकाए हुए हैं ***(26)*** **और एक दूसरे की तरफ मुतावज्जे होकर बाहम पूछताछ करेंगे** ***(27) (*****और इन्सान शयातीन से*****)*** **कहेंगे कि तुम ही तो हमारी दाहिनी तरफ से** ***(*****हमें बहकाने को*****)*** **चढ़ आते थे** ***(28)*** **वह जवाब देंगे** ***(*****हम क्या जानें*****)*** **तुम तो खुद ईमान लाने वाले न थे** ***(29)*** **और** ***(*****साफ़ तो ये है कि*****)*** **हमारी तुम पर कुछ हुकूमत तो थी नहीं बल्कि तुम खुद सरकश लोग थे** ***(30)"***

न्याय तत्व:

व्याप्ति (Vyapti) - कारण और प्रभाव का अटूट संबंध

तार्किक विश्लेषण:

- **प्रतिज्ञा (Proposition): पापी लोग शैतानों पर दोष डालेंगे, लेकिन शैतान कहेगा कि उसने उन पर कोई शक्ति नहीं रखी, वे स्वयं बहक गए।**
- **हेतु (Reason): मनुष्य स्वयं अपनी इच्छाओं के कारण पाप करता है, शैतान केवल मार्ग दिखाता है।**
- **उदाहरण (Example):**
  - **मनुस्मृति *(12.14)* कहती है कि "मनुष्य अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है, किसी और को दोष नहीं दिया जा सकता।"**
  - **भगवद गीता *(3.36-37)* में श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि *"*काम और क्रोध मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं*,* यह आंतरिक इच्छाएं ही उसके विनाश का कारण होती हैं*,* न कि कोई बाहरी शक्ति।*"***
- **उपनय (Application): यह सिद्धांत न्याय दर्शन के व्याप्ति *(Vyapti)* तत्व के विरुद्ध जाता है, क्योंकि यदि शैतान वास्तव में मनुष्य को बहका सकता है, तो यह प्रभाव सिद्ध हो जाना चाहिए। लेकिन आयत में यह भी कहा गया कि शैतान की कोई शक्ति नहीं थी।**
- **निगमन (Conclusion):**
  - **यह हेत्वाभास *(Hetvabhasa)* की गलती करता है, क्योंकि पहले शैतान को प्रभावशाली बताया गया और फिर कहा गया कि मनुष्य स्वयं दोषी है।**
  - **यह न्याय दर्शन के स्वतंत्र इच्छा *(Purushartha)* सिद्धांत के विपरीत है, क्योंकि यदि शैतान की कोई शक्ति नहीं थी, तो उसे उल्लेखित ही क्यों किया गया?**

सारणी: तार्किक आलोचना

आयत संख्या	न्याय तत्व	मुख्य आलोचना
26-27	व्याप्ति (Vyapti)	**शैतान का प्रभाव अस्पष्ट है; अगर वह शक्तिहीन है, तो दोष उस पर क्यों?**

28-30	**हेत्वाभास (Hetvabhasa)**	**पहले शैतान को प्रभावशाली बताया गया, फिर उसे शक्तिहीन कहा गया, जो तार्किक विरोधाभास है।**

निष्कर्ष:

इन आयतों में शैतान को पहले प्रभावशाली बताया गया और फिर उसे शक्तिहीन कहा गया, जो तर्क की दृष्टि से विरोधाभास उत्पन्न करता है। न्याय दर्शन और मनुस्मृति के अनुसार, व्यक्ति अपने कर्मों का स्वयं उत्तरदायी होता है, किसी बाहरी शक्ति (शैतान) को दोष देना न्यायसंगत नहीं है। इस दृष्टिकोण से ये आयतें तार्किक रूप से दुर्बल सिद्ध होती हैं।

न्याय दर्शन के अनुसार तार्किक विश्लेषण

आयत 31-35

अनुवादः
"फिर अब तो लोगों पर हमारे परवरदिगार का *(अज़ाब का)* क़ौल पूरा हो गया कि अब हम सब यक़ीनन अज़ाब का मज़ा चखेंगे *(31)* हम खुद गुमराह थे तो तुम को भी गुमराह किया *(32)* ग़रज़ ये लोग सब के सब उस दिन अज़ाब में शरीक होंगे *(33)* और हम तो गुनाहगारों के साथ यूँ ही किया करते हैं ये लोग ऐसे *(शरीर)* थे *(34)* कि जब उनसे कहा जाता था कि खुदा के सिवा कोई माबूद नहीं तो अकड़ा करते थे *(35)*"

न्याय तत्व:

हेतु (Reason) – कारण और प्रभाव का संबंध

तार्किक विश्लेषण:

- **प्रतिज्ञा (Proposition): गुमराह लोग दूसरों को भी गुमराह करते हैं, इसलिए सभी को दंडित किया जाएगा।**
- **हेतु (Reason): किसी व्यक्ति की गुमराही का कारण अन्य लोगों की गुमराही भी हो सकती है, इसलिए वे भी समान रूप से दोषी हैं।**
- **उदाहरण (Example):**

    - **मनुस्मृति *(8.15)* कहती है कि "जो व्यक्ति स्वयं अधर्म करता है, वही उसका फल भोगता है।"**
    - **भगवद गीता *(9.30-31)* में श्रीकृष्ण कहते हैं कि "जो व्यक्ति ईमानदारी से अपने कर्म सुधारता है, वह परमात्मा का प्रिय होता है, भले ही उसने पूर्व में पाप किए हों।"**
- **उपनय (Application): इस आयत में यह तर्क दिया गया कि कुछ लोग गुमराह थे और उन्होंने दूसरों को गुमराह किया, इसलिए सभी को अज़ाब दिया जाएगा। लेकिन यह तर्क न्याय दर्शन के स्वतंत्र इच्छा *(Purushartha)* और कर्म के सिद्धांत का उल्लंघन करता है।**
- **निगमन (Conclusion):**
    - **यह तर्क हेत्वाभास *(Hetvabhasa)* की गलती करता है, क्योंकि सभी को समान रूप से दोषी मानना तर्कसंगत नहीं है।**
    - **यह न्याय दर्शन और गीता के कर्मफल सिद्धांत के विरुद्ध है, जिसमें व्यक्ति केवल अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी होता है।**

सारणी: तार्किक आलोचना

आयत संख्या	न्याय तत्व	मुख्य आलोचना
31-32	**हेत्वाभास (Hetvabhasa)**	**सभी को दोषी मानना तार्किक रूप से गलत है; हर व्यक्ति के कर्म अलग-अलग होते हैं।**
33-35	**कर्मफल (Karma-Phala)**	**गीता और मनुस्मृति के अनुसार, हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल स्वयं भोगता है, न कि दूसरों के कर्मों का।**

निष्कर्ष:

इन आयतों में यह बताया गया कि जो लोग गुमराह हुए, उन्होंने दूसरों को भी गुमराह किया, इसलिए सभी को एक समान दंड दिया जाएगा। लेकिन यह तर्क न्याय दर्शन, भगवद गीता, और मनुस्मृति के सिद्धांतों के विरुद्ध जाता है, क्योंकि इन ग्रंथों के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर दंड या पुरस्कार प्राप्त करता है, न कि किसी अन्य के कर्मों के कारण। इस दृष्टि से ये आयतें तार्किक रूप से दुर्बल सिद्ध होती हैं।

न्याय दर्शन के अनुसार तार्किक विश्लेषण

आयत 36-40

अनुवादः
"और ये लोग कहते थे कि क्या एक पागल शायर के लिए हम अपने माबूदों को छोड़ बैठें *(36)* (अरे कम्बख्तों ये शायर या पागल नहीं) बल्कि ये तो हक़ बात लेकर आया है और (अगले) पैग़म्बरों की तसदीक़ करता है *(37)* तुम लोग (अगर न मानोगे) तो ज़रूर दर्दनाक अज़ाब का मज़ा चखोगे *(38)* और तुम्हें तो उसके किये का बदला दिया जाएगा जो (जो दुनिया में) करते रहे *(39)* मगर ख़ुदा के बरगुजीदा बन्दे *(40)*"

न्याय तत्वः

प्रमाण (Pramana) - ज्ञान की वैधता और स्रोत

तार्किक विश्लेषणः

- **प्रतिज्ञा (Proposition): जो लोग पैगंबर को पागल शायर मानते हैं, वे अज्ञानता में हैं, क्योंकि वह सत्य लेकर आया है और पिछले पैगंबरों की पुष्टि करता है।**
- **हेतु (Reason): सत्य की पहचान केवल वही कर सकता है जो इसे स्वीकार करे, अन्यथा उसे दर्दनाक अज़ाब दिया जाएगा।**
- **उदाहरण (Example):**
  - **न्याय दर्शन में प्रमाणों *(Pramana)* की चार श्रेणियाँ दी गई हैं*:* प्रत्यक्ष*,* अनुमान*,* उपमान और शब्द।**
  - **मनुस्मृति *(2.6)* कहती है कि *"*ज्ञान का स्रोत शास्त्र*,* अनुभव*,* और तर्क होना चाहिए।*"***
- **उपनय (Application): इस आयत में यह कहा गया कि जो पैगंबर पर विश्वास नहीं करेगा, वह अज़ाब भोगेगा, जबकि न्याय दर्शन के अनुसार किसी भी ज्ञान का मूल्यांकन तर्क और प्रमाणों से किया जाना चाहिए, न कि केवल आस्था के आधार पर।**
- **निगमन (Conclusion):**
  - **यह तर्क प्रमाण विरोधाभास *(Epistemic Fallacy)* से ग्रस्त है, क्योंकि सत्य की वैधता केवल आस्था पर निर्भर नहीं हो सकती।**
  - **न्याय दर्शन के अनुसार, सत्य को तर्क, प्रमाण और अनुभव से सिद्ध किया जाना चाहिए, केवल यह कहना कि "यह सत्य है" पर्याप्त नहीं होता।**

सारणी: तार्किक आलोचना

आयत संख्या	न्याय तत्व	मुख्य आलोचना
36-37	**प्रमाण (Pramana)**	**सत्य को प्रमाण और तर्क से सिद्ध किया जाना चाहिए, न कि केवल दावे से।**
38-40	**तर्कहीन दंड (Unjustified Punishment)**	**केवल विश्वास न करने पर अज़ाब का भय दिखाना न्याय दर्शन के स्वतंत्र चिंतन के विरुद्ध है।**

निष्कर्ष:

इन आयतों में यह कहा गया कि जो लोग पैगंबर की बात नहीं मानेंगे, उन्हें दंडित किया जाएगा। लेकिन यह तर्क न्याय दर्शन और मनुस्मृति के ज्ञान सिद्धांत के विरुद्ध जाता है, क्योंकि सत्य को तर्क, अनुभव और प्रमाणों से स्थापित किया जाना चाहिए, न कि केवल विश्वास के आधार पर। इसलिए, यह कथन तार्किक दृष्टि से दुर्बल सिद्ध होता है।

न्याय दर्शन के अनुसार तार्किक विश्लेषण

आयत 41-45

अनुवाद:
"उनके वास्ते (बेहिश्त में) एक मुक़र्रर रोज़ी होगी *(41)* (और वह भी ऐसी वैसी नहीं) हर क़िस्म के मेवे *(42)* और वह लोग बड़ी इज़्ज़त से नेअमत के (लदे हुए) *(43)* बाग़ों में तख़्तों पर (चैन से) आमने सामने बैठे होगे *(44)* उनमें साफ सफेद बुर्राक़ शराब के जाम का दौर चल रहा होगा *(45)*"

न्याय तत्व:

हेतु (Hetu) – कारण एवं प्रभाव

तार्किक विश्लेषण:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):** जन्नत में ईमानवालों को हर प्रकार की रोज़ी, मेवे, सुख-सुविधाएँ और शराब मिलेगी।
- **हेतु (Reason):** अच्छे कर्म करने वालों को जन्नत में विलासिता से परिपूर्ण जीवन दिया जाएगा।
- **उदाहरण (Example):**
  - न्याय दर्शन में कर्म और फल का सिद्धांत है, परंतु यह सिद्धांत कहता है कि फल का निर्धारण व्यक्ति के वास्तविक कर्मों से होता है, न कि केवल आस्था के आधार पर।
  - मनुस्मृति *(4.138)* कहती है कि "असली सुख ज्ञान और तपस्या में है, न कि भौतिक विलासिता में।"
- **उपनय (Application):**
  - इस आयत में कहा गया कि जन्नत में अत्यधिक विलासिता होगी, जबकि भारतीय दर्शन–विशेषकर योग, वेदांत और न्याय–का मानना है कि मोक्ष और उच्च जीवन स्तर का संबंध आंतरिक शुद्धता और आध्यात्मिक उन्नति से होता है, न कि भौतिक सुख-सुविधाओं से।
  - भगवद गीता *(6.16-17)* में कहा गया है कि "सच्चा योगी न तो अत्यधिक भोग में लिप्त होता है और न ही कठोर तप में, बल्कि संतुलित जीवन जीता है।"*
- **निगमन (Conclusion):**
  - यह तर्क हेतु-अभास *(Fallacy of Cause and Effect)* से ग्रस्त है, क्योंकि नैतिकता और पुण्य का प्रतिफल केवल भौतिक विलास में नहीं हो सकता।
  - यदि ईश्वर न्यायप्रिय है, तो मोक्ष और पारलौकिक जीवन आध्यात्मिक उत्थान पर आधारित होना चाहिए, न कि शारीरिक सुखों पर।

सारणी: तार्किक आलोचना

आयत संख्या	न्याय तत्व	मुख्य आलोचना
41-42	कर्म-फल (Karma-Phala)	पुण्य का फल केवल विलासिता क्यों? भारतीय दर्शन में पुण्य आत्मज्ञान और मोक्ष से जुड़ा होता है।
43-44	असंगतता (Inconsistency)	क्या दिव्य लोक में केवल आनंद ही आनंद होगा? भारतीय दर्शन कहता है कि आनंद आत्मज्ञान में है।
45	तर्कहीन भोग (Illogical	मोक्ष का अर्थ भौतिक विलास नहीं, बल्कि आत्म-साक्षात्कार

Hedonism)	और ब्रह्मज्ञान है।

निष्कर्ष:

इस आयत में पुण्य कर्मों के फलस्वरूप विलासिता और भौतिक सुख की प्राप्ति को मोक्ष का स्वरूप बताया गया है, जो भारतीय तत्त्वज्ञान के अनुसार एक दोषपूर्ण अवधारणा है। न्याय दर्शन, योग, और वेदांत के अनुसार, मोक्ष आत्म-ज्ञान और ब्रह्म-ज्ञान से प्राप्त होता है, न कि केवल इंद्रियों के सुख से। अतः यह तर्क न्यायशास्त्र और भारतीय आध्यात्मिक सिद्धांतों के विरुद्ध है।

न्याय दर्शन के अनुसार तार्किक विश्लेषण

आयत 46-50

अनुवाद:
"जो पीने वालों को बड़ा मज़ा देगी *(46) (*और फिर*)* न उस शराब में ख़ुमारी *(*नशा*)* की वजह से दर्द-ए-सर होगा और न वह उस *(*के पीने*)* से मतवाले होंगे *(47)* और उनके पहलू में *(*शर्म से*)* नीची निगाहें करने वाली बड़ी-बड़ी आँखों वाली परियाँ होगी *(48) (*उनकी*)* गोरी-गोरी रंगतों में हल्की सी सुर्खी ऐसी झलकती होगी *(49)* गोया वह अंडे हैं जो छिपाए हुए रखे हों *(50)"*

न्याय तत्व:

व्याप्ति (Vyapti) – सार्वभौमिक नियमों का उल्लंघन

तार्किक विश्लेषण:

- **प्रतिज्ञा (Proposition): जन्नत में शराब मिलेगी, पर वह नशा नहीं करेगी, और वहाँ गोरी-गोरी हूरें होंगी जो सुंदरता और लज्जाशीलता से भरपूर होंगी।**
- **हेतु (Reason): जन्नत को सुखद बनाने के लिए ऐसी वस्तुएँ दी जाएँगी जो सांसारिक जीवन से श्रेष्ठ हों।**
- **उदाहरण (Example):**

- ○ **भारतीय दर्शन में मोक्ष का अर्थ इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना है, न कि उन्हें और अधिक भोगने की स्वतंत्रता देना।**
- ○ **भगवद गीता *(2.59)* में कहा गया है–"विषयों से विरक्ति केवल आत्मज्ञान से आती है, इंद्रियों का दमन ही मोक्ष का मार्ग है।"***
- ○ **मनुस्मृति *(7.50)* में कहा गया है–"जो व्यक्ति इंद्रियों के वश में रहता है, वह मोक्ष नहीं पा सकता।"**

- **उपनय (Application):**
    - ○ **यहाँ जन्नत को एक इंद्रिय-सुख का केंद्र बताया गया है, जहाँ शराब तो होगी, लेकिन उसमें नशा नहीं होगा। यह तर्क न्यायशास्त्र के व्याप्ति (व्यापकता) सिद्धांत का उल्लंघन करता है, क्योंकि भौतिक नियमों के अनुसार शराब में नशा अनिवार्य है।**
    - ○ **यदि जन्नत में शारीरिक इच्छाएँ संतुष्ट होती हैं, तो यह मोक्ष नहीं बल्कि इंद्रियों की तृप्ति हुई। भारतीय दर्शन मोक्ष को भौतिक इच्छाओं से परे बताता है।**
    - ○ **योग दर्शन *(1.15)* कहता है कि "इंद्रियों से परे जाना ही आत्मिक उन्नति है, न कि उनकी तृप्ति।"***
- **निगमन (Conclusion):**
    - ○ **यह आयत इंद्रिय भोग को मोक्ष का साधन मानती है, जो भारतीय आध्यात्मिक दर्शन के अनुसार असंभव है।**
    - ○ **यदि मोक्ष इंद्रिय-सुख में है, तो वह स्थायी नहीं हो सकता, क्योंकि इंद्रियों की तृप्ति कभी संपूर्ण नहीं होती।**
    - ○ **इसलिए, यह तर्क अनवयाभास *(Contradiction in Definition)* से ग्रस्त है।**

सारणी: तार्किक आलोचना

आयत संख्या	न्याय तत्व	मुख्य आलोचना
46-47	**व्याप्ति (Vyapti)**	**शराब का नशा न होने का दावा तर्कहीन है, क्योंकि यह भौतिक नियमों के विरुद्ध है।**
48-50	**इंद्रिय-भोग (Sensory Indulgence)**	**मोक्ष का संबंध आत्मज्ञान से होना चाहिए, न कि भौतिक सुंदरता और भोग से।**

निष्कर्ष:

इस आयत में मोक्ष की अवधारणा को इंद्रिय-सुख और भौतिक विलासिता से जोड़ दिया गया है, जो भारतीय न्यायशास्त्र, योग दर्शन और वेदांत के विपरीत है। न्याय दर्शन के अनुसार, मोक्ष ज्ञान और इंद्रियों के संयम से प्राप्त होता है, न कि विलास और भोग से। अतः यह आयत तार्किक और दार्शनिक दृष्टि से न्याय दर्शन के सिद्धांतों के विरुद्ध है।

न्याय दर्शन के अनुसार तार्किक विश्लेषण

आयत 51-55

अनुवाद:
"फिर एक दूसरे की तरफ मुतवज्जे पाकर बाहम बातचीत करते-करते उनमें से एक कहने वाला बोल उठेगा कि (दुनिया में) मेरा एक दोस्त था *(51)* और (मुझसे) कहा करता था कि क्या तुम भी क़यामत की तसदीक़ करने वालों में हो *(52)* (भला जब हम मर जाएँगे) और (सड़ गल कर) मिट्टी और हड्डी (होकर) रह जाएँगे तो क्या हमको दोबारा जिंदा करके हमारे (आमाल का) बदला दिया जाएगा *(53)* (फिर अपने बेहश्त के साथियों से कहेगा) *(54)* तो क्या तुम लोग भी (मेरे साथ उसे झांक कर देखोगे) ग़रज़ झाँका तो उसे बीच जहन्नुम में (पड़ा हुआ) देखा *(55)*"

न्याय तत्व:

हेतु (Hetu) – पुनर्जन्म और कर्म फल की भिन्न व्याख्या

तार्किक विश्लेषण:

- **प्रतिज्ञा (Proposition): पुनर्जीवन (कयामत के दिन दोबारा उठाया जाना) केवल ईश्वर की इच्छा से होगा, और अच्छे-बुरे कर्मों का दंड उसी समय मिलेगा।**
- **हेतु (Reason): एक मित्र दूसरे से पूछता है कि क्या मरने के बाद दोबारा जी उठना संभव है? फिर स्वर्ग में जाकर देखता है कि वह मित्र दंडस्वरूप नरक में जल रहा है।**
- **उदाहरण (Example):**
    - **हिंदू धर्म में पुनर्जन्म कर्म और अधर्म के अनुसार होता है।**

- भगवद गीता *(2.22)* में कहा गया है–*"जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्यागकर नया शरीर प्राप्त करती है।"*
  - मनुस्मृति *(12.21-22)* में पुनर्जन्म को कर्मों के अनुसार विभिन्न योनि में जन्म लेने की प्रक्रिया बताया गया है।
- **उपनय (Application):**
  - इस्लामिक मान्यता के अनुसार पुनर्जीवन केवल एक ही बार होगा, जबकि हिंदू न्यायशास्त्र पुनर्जन्म को सार्वभौमिक नियम (व्याप्ति सिद्धांत) के तहत अनिवार्य मानता है।
  - यदि केवल एक ही जीवन है, तो नैतिक जिम्मेदारी सीमित हो जाती है, क्योंकि कर्म के परिणाम केवल एक ही जीवन में मिलेंगे।
  - पुनर्जन्म का सिद्धांत अधिक तार्किक है क्योंकि यह न्याय के सार्वभौमिक सिद्धांत को बनाए रखता है, जिसमें प्रत्येक आत्मा को उसके पूर्व कर्मों के अनुसार अगला जन्म मिलता है।
  - यदि पुनर्जन्म न हो, तो यह प्रश्न उठता है कि बच्चों की असमय मृत्यु, जन्मजात विकलांगता, या जन्म से अमीर-गरीब होने का कारण क्या है? हिंदू न्यायशास्त्र इसे पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम मानता है, जबकि इस्लामी सिद्धांत इस पर स्पष्ट नहीं है।
- **निगमन (Conclusion):**
  - इस आयत में कर्म-फल के सिद्धांत को एक बार के जीवन और पुनर्जीवन से जोड़ा गया है, जो न्यायशास्त्र के व्यापक सिद्धांत (व्याप्ति) के विपरीत है।
  - पुनर्जन्म को न मानना, दार्शनिक रूप से अन्यायपूर्ण (अयुक्तियुक्त) प्रतीत होता है, क्योंकि यह सभी प्राणियों के समान न्याय सुनिश्चित नहीं करता।
  - अतः, यह आयत न्याय दर्शन के सिद्धांतों के विपरीत है।

सारणी: तार्किक आलोचना

आयत संख्या	न्याय तत्व	मुख्य आलोचना
51-55	**हेत्वाभास (Logical Fallacy)**	**पुनर्जीवन का सिद्धांत पुनर्जन्म की व्यापकता सिद्धांत से मेल नहीं खाता।**
51-55	**कर्म-फल (Law of**	**केवल एक जीवन की अवधारणा न्यायसंगत नहीं है, क्योंकि इससे**

Karma)	नैतिक जिम्मेदारी सीमित हो जाती है।

निष्कर्ष:

इस आयत में पुनर्जन्म की संभावना को नकार कर केवल एक जीवन और पुनर्जीवन की बात कही गई है, जो न्यायशास्त्र और भारतीय दार्शनिक परंपरा के व्याप्ति (सार्वभौमिक न्याय) सिद्धांत से मेल नहीं खाती। न्याय दर्शन के अनुसार, पुनर्जन्म और कर्म-फल का सिद्धांत आवश्यक और तार्किक है, जबकि इस्लामी सिद्धांत एक सीमित न्याय व्यवस्था प्रस्तुत करता है। अतः यह आयत न्याय दर्शन की तर्कशुद्धता से मेल नहीं खाती।

न्याय दर्शन के अनुसार तार्किक विश्लेषण

आयत 56-60 का तार्किक एवं दार्शनिक परीक्षण

अनुवादः

"ये देखकर (स्वर्गवासी) बोल उठेगा कि खुदा की कसम, तुम तो मुझे भी तबाह करने ही वाले थे (56) और अगर मेरे परवरदिगार का एहसान न होता, तो मैं भी (इस वक्त) तेरी तरह जहन्नुम में गिरफ़्तार किया गया होता (57) (अब बताओ) क्या (मैं तुमसे न कहता था) कि हम को इस पहली मौत के सिवा फिर मरना नहीं है (58) और न हम पर (आख़िरत) में अज़ाब होगा (59) (तो तुम्हें यक़ीन न होता था) ये यक़ीनी बहुत बड़ी कामयाबी है (60)"

न्याय तत्त्व (Nyaya Elements):

1. **प्रमाण (Pramana) – ज्ञान का स्रोत क्या है?**
2. **व्याप्ति (Vyapti) – क्या सभी प्राणियों के लिए यह न्यायसंगत है?**
3. **अनुमान (Anumana) – क्या यह सिद्धांत तार्किक रूप से सिद्ध किया जा सकता है?**

तार्किक विश्लेषण:

1. प्रतिज्ञा (Proposition) – क्या स्वर्ग और नर्क केवल एक बार ही मिल सकते हैं?

- **इस्लामिक मान्यता के अनुसार, एक बार जीवन समाप्त होने के बाद, पुनर्जीवन (कयामत) होगा और फिर इंसान या तो स्वर्ग में जाएगा या नर्क में।**
- **इस आयत में कहा गया है कि "हमको इस पहली मौत के सिवा फिर मरना नहीं है," अर्थात पुनर्जन्म की कोई संभावना नहीं है।**

---

2. हेत्वाभास (Logical Fallacy) - पुनर्जन्म को नकारना तर्कसंगत नहीं

- **हिंदू दार्शनिक परंपरा में पुनर्जन्म व्याप्ति *(Universal Concomitance)* पर आधारित है।**
- **मनुस्मृति *(12.21-22)* में कहा गया है–**
  "मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही जन्म लेता है, पूर्व जन्मों के कर्म उसके नए जीवन की दिशा तय करते हैं।"
- **भगवद गीता *(2.13)* में कहा गया है–**
  "जैसे शरीर में बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था आती है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करती है।"
- **अतः "पहली मौत के सिवा फिर मरना नहीं है" का तर्क न्याय सिद्धांतों के विरुद्ध है, क्योंकि यह आत्मा के निरंतर अस्तित्व (Permanence of Atman) को नकारता है।**

---

3. उदाहरण (Example) - पुनर्जन्म और न्याय का सिद्धांत

- **इस्लाम में कहा गया है कि केवल ईश्वर की दया से कोई स्वर्ग में जा सकता है, और केवल दंड देने की इच्छा से कोई नरक में जाएगा।**
- **हिंदू न्यायशास्त्र और कर्म सिद्धांत के अनुसार, यह व्यवस्था न्यायसंगत नहीं है, क्योंकि यह कर्म के सिद्धांत को भंग करता है।**
- **अगर कोई व्यक्ति जीवनभर अच्छे कर्म करता है, लेकिन उसका स्वर्ग जाना केवल ईश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है, तो यह न्याय के मूल सिद्धांतों (न्याय दर्शन और कर्म सिद्धांत) के खिलाफ है।**

---

4. उपनय (Application) - इस्लामिक न्याय व्यवस्था में असंगति

- **हिंदू दार्शनिक दृष्टिकोण से न्याय (Justice) तभी पूर्ण हो सकता है, जब वह तटस्थ और सिद्धांतों पर आधारित हो, न कि केवल ईश्वर की इच्छा पर।**

- पुनर्जन्म का सिद्धांत सार्वभौमिक नैतिक न्याय को सुनिश्चित करता है, जबकि इस्लामी सिद्धांत केवल एक बार के जीवन और ईश्वर की इच्छा को आधार मानता है।
- अगर कोई निर्दोष व्यक्ति इस जीवन में अत्याचार सहता है और उसे अगला जन्म नहीं मिलता, तो उसके साथ न्याय कैसे होगा?

---

5. निगमन (Conclusion) – क्या यह आयत तार्किक रूप से संगत है?

- इस आयत में यह मान लिया गया है कि मृत्यु के बाद केवल एक ही बार पुनर्जीवन होगा, जो न्यायशास्त्र और कर्मफल सिद्धांत के विपरीत है।
- यदि पुनर्जन्म न हो, तो नैतिक न्याय का सिद्धांत अधूरा रह जाता है।
- हिंदू न्यायशास्त्र (Nyaya Darshan) के अनुसार, यह आयत तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि यह कर्म के सिद्धांत और आत्मा के निरंतर अस्तित्व को नकारती है।

सारणी: तार्किक आलोचना

आयत संख्या	न्याय तत्व	मुख्य आलोचना
56-60	प्रमाण (Epistemology)	केवल ईश्वर की इच्छा से न्याय की व्यवस्था उचित नहीं।
56-60	व्याप्ति (Universal Rule)	पुनर्जन्म को नकारना सार्वभौमिक न्याय के विरुद्ध है।
56-60	अनुमान (Logical Inference)	यदि पुनर्जन्म नहीं है, तो नैतिक न्याय अधूरा रह जाता है।

निष्कर्ष:

- इस्लामिक अवधारणा केवल एक जीवन और पुनर्जीवन की बात करती है, जबकि हिंदू न्यायशास्त्र पुनर्जन्म को आवश्यक मानता है।
- न्यायशास्त्र के अनुसार, आत्मा न तो मरती है, न ही समाप्त होती है। अतः "पहली मौत के सिवा फिर मरना नहीं" का कथन न्यायसंगत नहीं है।
- न्याय दर्शन और कर्म सिद्धांत के अनुसार, यह आयत न्याय और तर्क की दृष्टि से अपूर्ण है।

आयत 61 से 65 का न्याय दर्शन के आधार पर तार्किक विश्लेषण और आलोचना:

आयत 61:

आयत का अनुवाद: "ऐसी (ही कामयाबी) के वास्ते काम करने वालों को कारगुज़ारी करनी चाहिए।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमेय (Prameya)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  इस आयत में यह कहा गया है कि किसी खास कामयाबी के लिए काम करने वालों को कारगुज़ारी करनी चाहिए।

- **हेतु (Reason):**
  यह दावा किया जाता है कि सफलता केवल कार्य में निष्कलंकता और कारगुज़ारी से मिलती है, लेकिन इसका समर्थन करने के लिए कोई स्पष्ट तर्क या प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। दुनिया में सफलता का परिमाण केवल कामयाबी की पूरी प्रकिया और फल के आधार पर होता है, न कि केवल प्रयास पर।

- **उदाहरण (Example):**
  गीता (अध्याय 2, श्लोक 47) में भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग का उपदेश दिया है, जिसमें बताया गया है कि कर्म ही फल का कारण नहीं होते, फल केवल ईश्वर की इच्छा के अनुसार होते हैं।

- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत न्याय दर्शन के प्रमेय तत्व का उल्लंघन करती है क्योंकि किसी निश्चित सफलता के लिए केवल कर्म की महत्ता पर जोर देना तर्कसंगत नहीं है, जबकि फल कर्म से परे, ईश्वर के विवेक और नियति पर आधारित होते हैं।

आयत 62:

आयत का अनुवाद: "भला मेहमानी के वास्ते ये (सामान) बेहतर है या थोहड़ का दरख़्त (जो जहन्नुमियों के वास्ते होगा)?"

चुना गया न्याय तत्व:
व्याप्ति (Vyapti)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  यह आयत किसी विशेष चीज़ की तुलना कर रही है - मेहमानी के सामान के मुकाबले थोहड़ का दरख़्त, जो कि जहन्नुमियों के लिए होता है। इसे बेहतर या खराब के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।

- **हेतु (Reason):**
  इस आयत में व्याप्ति का सिद्धांत लागू किया गया है, जिसमें किसी वस्तु को उसके गुणों के आधार पर अच्छे और बुरे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। लेकिन यह सवाल उठता है कि क्या यह वस्तुएं वास्तव में अपनी अंतर्निहित विशेषताओं से यह साबित करती हैं कि उनका स्थायित्व केवल उनके उद्देश्य से संबंधित है?

- **उदाहरण (Example):**
  वैषेशिक दर्शन के अनुसार, किसी भी वस्तु का अस्तित्व उसकी आवश्यक विशेषताओं पर निर्भर करता है, न कि उस वस्तु का बाहरी उद्देश्य या उसका उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है।

- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत व्याप्ति के सिद्धांत का गलत इस्तेमाल करती है, क्योंकि किसी वस्तु का गुण और उसका उद्देश्य एक दूसरे से अलग होते हैं। एक थोहड़ के दरख़्त का जहन्नुम के लिए होना उसे intrinsically बुरा नहीं बनाता।

आयत 63:

आयत का अनुवाद: "जिसे हमने यक़ीनन ज़ालिमों की आज़माइश के लिए बनाया है।"

चुना गया न्याय तत्व:
हेतु (Reason)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  यह आयत कहती है कि यह दरख़्त ज़ालिमों की आज़माइश के लिए है।

- **हेतु (Reason):**
  इस आयत में यह विचार व्यक्त किया गया है कि कुछ वस्तुएं और घटनाएँ लोगों की परीक्षा के रूप में होती हैं, लेकिन यह तर्क गलत है क्योंकि इसमें यह निहित है कि किसी को नुकसान या पीड़ा देना परीक्षा का हिस्सा हो सकता है।

- **उदाहरण (Example):**
  भगवद गीता (अध्याय 2, श्लोक 14) में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि दुनिया की दुःख-संवेदनाएँ केवल अस्थायी हैं, और असली परीक्षा आत्मा की शुद्धता की होती है। यह दृष्टिकोण अधिक मानवीय और न्यायपूर्ण है।

- **निगमन (Conclusion):**
  इस आयत में यह विचार प्रस्तुत किया गया है कि कष्ट और पीड़ा केवल परीक्षा के रूप में दिए जाते हैं, जो कि न्याय दर्शन के अनुसार एक असंवेदनशील दृष्टिकोण है, क्योंकि यह बिना किसी मानवता और करुणा के है।

आयत 64:

आयत का अनुवाद: "ये वह दरख़्त हैं जो जहन्नुम की तह में उगता है।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  यह आयत कहती है कि यह दरख़्त जहन्नुम की तह में उगता है।

- **हेतु (Reason):**
  यह दावा किया जाता है कि जहन्नुम में एक विशेष दरख़्त उगता है, जो केवल बुरे कर्मों के परिणाम के रूप में होता है। लेकिन इसे कोई प्रमाणिकता या अनुभवजन्य साक्ष्य नहीं मिलता। यह दावा केवल विश्वास और कथन पर आधारित है।

- **उदाहरण (Example):**
  न्याय दर्शन में प्रमाण के सिद्धांत के अनुसार किसी भी दावे को प्रमाण या साक्ष्य के बिना सत्य नहीं माना जा सकता। यह सिद्धांत प्रायोगिक प्रमाण पर आधारित होता है।

- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत प्रमाण के सिद्धांत का उल्लंघन करती है, क्योंकि यह दावा बिना किसी वैज्ञानिक या अनुभवजन्य प्रमाण के प्रस्तुत किया गया है।

आयत 65:

आयत का अनुवाद: "उसके फल ऐसे (बदनुमा) हैं गोया (हू बहू) साँप के फन जिसे छूते दिल डरे।"

चुना गया न्याय तत्व:
उपमान (Upamana)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  यह आयत कहती है कि दरख़्त के फल ऐसे बदनुमा होते हैं जैसे साँप का फन।

- **हेतु (Reason):**
  इस आयत में उपमान का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसका संयोग असंगत है। साँप के फन का चित्रण दरख़्त के फल के साथ करना अप्राकृतिक और गैर-वैज्ञानिक प्रतीत होता है।

- **उदाहरण (Example):**
  विज्ञान और तर्क के अनुसार, फल और जानवरों के अंगों के बीच कोई वास्तविक समानता नहीं होती। इसे केवल कल्पना के आधार पर प्रस्तुत किया गया है।

- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत उपमान के सिद्धांत का गलत उपयोग करती है, क्योंकि यह एक प्राकृतिक चीज़ (फल) और एक अप्राकृतिक चीज़ (साँप के फन) के बीच समानता दिखाने की कोशिश करती है, जो तर्कसंगत नहीं है।

सारणी (आयतों का तार्किक मूल्यांकन):

आयत संख्या	चुना गया तत्व	मुख्य आलोचना
61	प्रमेय	कार्य और सफलता के बीच अनावश्यक संबंध।
62	व्याप्ति	वस्तुओं का उद्देश्य और गुण एक दूसरे से संबंधित नहीं होते।
63	हेतु	पीड़ा और कष्ट को परीक्षा के रूप में प्रस्तुत करना गलत है।
64	प्रमाण	दावा बिना प्रमाण या साक्ष्य के प्रस्तुत किया गया है।
65	उपमान	अप्रमाणित और असंगत उपमान का उपयोग किया गया है।

समग्र निष्कर्ष:

इन आयतों में तर्कसंगत दृष्टिकोण की कमी है और इनका दर्शन से समर्थन नहीं किया जा सकता। इनमें प्रमाण, व्याप्ति, और उपमान के गलत उपयोग की वजह से इनकी तार्किक सुसंगतता और मानवता की समझ पर सवाल उठता है।

आयत 66 से 70 का न्याय दर्शन के आधार पर तार्किक विश्लेषण और आलोचना:

आयत 66:

आयत का अनुवाद: "फिर ये (जहन्नुमी लोग) यक़ीनन उसमें से खाएँगे फिर उसी से अपने पेट भरेंगे।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमेय (Prameya)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  इस आयत में यह कहा गया है कि जहन्नुमी लोग एक विशेष स्थान से खाएँगे और अपनी भूख को वही से शांत करेंगे।

- **हेतु (Reason):**
  इस आयत में वर्णित परिकल्पना, जिसमें जहन्नुमी लोग भयानक स्थितियों में अपने पेट की संतुष्टि के लिए खा रहे हैं, अनौचित्यपूर्ण प्रतीत होती है क्योंकि यह एक मानसिक और भौतिक स्तर पर

अवास्तविक दृश्य प्रस्तुत करती है। मनुष्य का शारीरिक और मानसिक संतुलन सामान्य परिस्थितियों में भोजन के माध्यम से पूरा होता है, लेकिन इस प्रकार की विकृत स्थितियों को पेश करना तर्कसंगत नहीं है।

- **उदाहरण (Example):**
  भगवद गीता (अध्याय 2, श्लोक 47) में कहा गया है कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल नहीं सोचना चाहिए और न ही उसे भोग की परिभाषा साकार रूप में देखनी चाहिए। यहाँ पर भोग का केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, न कि किसी शारीरिक पाचन क्रिया को अत्यधिक नकारात्मक रूप में प्रस्तुत करना।

- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत प्रमेय का उल्लंघन करती है क्योंकि भोग का वस्तुनिष्ठ सत्य सामान्य जीवन के अनुभव से मेल नहीं खाता। यह विशिष्ट और विकृत कल्पनाएँ केवल धार्मिक ग्रंथों की सीमाओं में हैं, जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है।

आयत 67:

आयत का अनुवाद: "फिर उसके ऊपर से उन को ख़ूब खौलता हुआ पानी (पीप वग़ैरह में) मिला मिलाकर पीने को दिया जाएगा।"

चुना गया न्याय तत्व:
हेतु (Reason)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  यह आयत यह कहती है कि जहन्नुमी लोगों को खौलते हुए पानी के साथ भोजन दिया जाएगा।

- **हेतु (Reason):**
  इस आयत का तर्क यह है कि खौलते हुए पानी का उपयोग भयंकर यातना के रूप में किया जाएगा, जो कि एक अनावश्यक और अतिशयोक्तिपूर्ण विचार है। किसी भी प्रकार की यातना का उद्देश्य केवल भिन्न-भिन्न जन समुदायों को भयभीत करना नहीं होना चाहिए। जब हम कर्मफल का विचार करते हैं, तो वह मनुष्य के मानसिक और आत्मिक विकास से जुड़ा होना चाहिए, न कि उसकी शारीरिक और मानसिक यातनाओं को बढ़ाने वाला।

- **उदाहरण (Example):**
 भगवद गीता में (अध्याय 2, श्लोक 70) कहा गया है कि दुख का अंत होने के बाद आत्मा में शांति मिलती है, जबकि यहाँ पर इस आयत में एक निरंतर पीड़ा और यातना का चित्रण किया गया है, जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अनावश्यक है।

- **निगमन (Conclusion):**
 यह आयत तर्कसंगत नहीं है क्योंकि यह कर्मफल को एक भयंकर शारीरिक दंड के रूप में प्रस्तुत करती है, जो न्याय के सिद्धांतों से मेल नहीं खाता। इसके बजाय, कर्मफल का विचार मानसिक और आत्मिक रूप से संतुलित होना चाहिए।

आयत 68:

आयत का अनुवाद: "फिर (खा पीकर) उनको जहन्नुम की तरफ यक़ीनन लौट जाना होगा।"

चुना गया न्याय तत्व:
 व्याप्ति (Vyapti)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
 इस आयत में यह कहा गया है कि जहन्नुमी लोग खा पीकर फिर से जहन्नुम की ओर लौटेंगे।

- **हेतु (Reason):**
 इस आयत में व्याप्ति का सिद्धांत लागू किया गया है, लेकिन यह सिद्धांत गलत है क्योंकि यह तर्कसंगत नहीं है कि किसी को उनकी भयंकर यातना से मुक्ति नहीं मिल सकती। जीवन के प्रत्येक पक्ष को केवल एक कठोर निर्णय के रूप में प्रस्तुत करना असंवेदनशील है।

- **उदाहरण (Example):**
 हिंदू दर्शन में कर्मफल को एक संतुलित और न्यायपूर्ण दृष्टिकोण से देखा जाता है, जैसे भगवद गीता में कहा गया है कि आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म मिलता है, लेकिन इसे शारीरिक यातना के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता।

- **निगमन (Conclusion):**
 यह आयत व्याप्ति के सिद्धांत का गलत इस्तेमाल करती है, क्योंकि यह दर्शाती है कि किसी को एक निर्दय यात्रा पर भेजा जाएगा, जो जीवन के प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरीत है। शांति और

आत्म-निर्भरता अधिक महत्वपूर्ण हैं।

आयत 69:

आयत का अनुवाद: "उन लोगों ने अपन बाप दादा को गुमराह पाया था।"

चुना गया न्याय तत्व:
हेतु (Reason)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  यह आयत कहती है कि लोग अपने बाप दादा को गुमराह पाते थे।

- **हेतु (Reason):**
  यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पूर्वजों द्वारा दी गई शिक्षा या परंपराएँ गलत हो सकती हैं, लेकिन इस तर्क को अधिक ठोस और यथार्थपरक उदाहरण की आवश्यकता है। यह विचार केवल सामान्य धारणा पर आधारित है, न कि इस पर आधारित वास्तविक प्रमाण या अनुभव।

- **उदाहरण (Example):**
  गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हर व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों का पालन करना चाहिए (अध्याय 3, श्लोक 35)। पूर्वजों से यह गलत धारणा नहीं ली जानी चाहिए, लेकिन आत्मा को अपने कार्यों और निर्णयों पर अधिक ध्यान देना चाहिए।

- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत एक सामान्य नकारात्मक धारणा पर आधारित है, जो न्याय के सिद्धांतों से मेल नहीं खाती। यह केवल एक सांस्कृतिक आलोचना की तरह प्रतीत होती है, जो आत्मनिर्भरता की आवश्यकता को अनदेखा करती है।

आयत 70:

आयत का अनुवाद: "ये लोग भी उनके पीछे दौड़े चले जा रहे हैं।"

चुना गया न्याय तत्वः
विपरीत (Antithesis)

विश्लेषण और आलोचनाः

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  यह आयत कहती है कि लोग अपने पूर्वजों के पीछे चलते हैं।

- **हेतु (Reason):**
  यहाँ विपरीत सिद्धांत का उल्लंघन किया गया है क्योंकि यह विचार कि लोग केवल अपने पूर्वजों का अनुसरण करते हैं, यह मानवता और तर्क के विपरीत है। हर व्यक्ति को अपनी सोच और निर्णयों के आधार पर स्वतंत्रता से कार्य करना चाहिए।

- **उदाहरण (Example):**
  भगवद गीता (अध्याय 4, श्लोक 34) में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए हर व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता और निर्णय क्षमता का प्रयोग करना चाहिए।

- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत विपरीत सिद्धांत का उल्लंघन करती है, क्योंकि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निर्णय क्षमता की अनदेखी करती है। व्यक्ति को केवल पूर्वजों का अनुसरण नहीं करना चाहिए, बल्कि स्वयं के विवेक और ज्ञान पर आधारित निर्णय लेना चाहिए।

सारणी (आयतों का तार्किक मूल्यांकन):

आयत संख्या	चुना गया तत्व	मुख्य आलोचना
66	**प्रमेय**	**शारीरिक और मानसिक संतुलन के उल्लंघन में गलतता।**
67	**हेतु**	**यातना को भोग के रूप में प्रस्तुत करना अनावश्यक और अमानवीय है।**
68	**व्याप्ति**	**यह विचार शारीरिक यातना को निरंतरता के रूप में प्रस्तुत करता है, जो तर्कसंगत नहीं है।**
69	**हेतु**	**पूर्वजों के गलत मार्गदर्शन की सामान्य धारणा गलत है।**

70	विपरीत	यह आयत व्यक्तिगत स्वतंत्रता और विवेक की अनदेखी करती है।

समग्र निष्कर्ष:

इन आयतों में शारीरिक यातनाओं और आध्यात्मिक सजा के तर्क को यथार्थ से परे और असंवेदनशील तरीके से प्रस्तुत किया गया है। न्याय दर्शन के अनुसार, यह विचार शांति, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत निर्णय के सिद्धांतों के विपरीत हैं।

आयत 71 से 75 का न्याय दर्शन के आधार पर तार्किक विश्लेषण और आलोचना:

आयत 71:

आयत का अनुवाद: "और उनके क़ब्ल अगलों में से बहुतेरे गुमराह हो चुके।"

चुना गया न्याय तत्व:
हेतु (Reason)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  यह आयत यह कहती है कि पूर्व के लोग गुमराह हो गए थे।

- **हेतु (Reason):**
  यह तर्क सिद्धांत पर आधारित है कि गुमराही केवल कुछ लोगों का ही परिणाम नहीं हो सकती। यदि हम यह मानें कि हर युग में गुमराही रही है, तो इसका मतलब है कि मानवता के विकास में भी कमी आई है। यह तर्क, समाज के सामूहिक मानसिकता और विचार प्रक्रिया को समझने में संकुचित दृष्टिकोण प्रदान करता है। क्या सभी लोग वास्तव में गुमराह होते हैं, या समाज की संरचना, शिक्षा और जागरूकता के द्वारा इस गुमराही को रोका जा सकता था?

- **उदाहरण (Example):**
  भगवद गीता (अध्याय 2, श्लोक 7) में कहा गया है कि जब आत्मा भ्रमित हो जाती है, तो उसे ज्ञान और विवेक से मार्गदर्शन देना आवश्यक है। लेकिन इस आयत में केवल गुमराही को स्थापित करने पर जोर दिया गया है, बिना यह बताये कि गुमराही के कारण क्या थे या क्या सुधार संभव था।

- **निगमन (Conclusion):**
 यह आयत बिना किसी विश्लेषण या समाधान के केवल गुमराही को प्रस्तुत करती है, जो तर्कसंगत दृष्टिकोण से सीमित है। गुमराही का कारण और समाधान एक समग्र दृष्टिकोण से समझा जाना चाहिए।

आयत 72:

आयत का अनुवाद: "उन लोगों के डराने वाले (पैग़म्बरों) को भेजा था।"

चुना गया न्याय तत्व:
व्याप्ति (Vyapti)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
 यह आयत कहती है कि पैग़म्बर लोगों को डराने के लिए भेजे गए थे।

- **हेतु (Reason):**
 इस आयत में व्याप्ति का सिद्धांत लागू किया गया है कि हर पैग़म्बर केवल लोगों को डराने के लिए भेजा गया था। हालांकि, यह एक पक्षीय दृष्टिकोण है, क्योंकि हर पैग़म्बर केवल चेतावनी नहीं देते थे, बल्कि वे लोगों को सही मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन भी देते थे। धर्म और नैतिकता का उद्देश्य केवल डराना नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक उन्नति भी होना चाहिए।

- **उदाहरण (Example):**
 भगवद गीता (अध्याय 3, श्लोक 21) में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जैसा कार्य मैं करता हूँ, वैसे ही लोग भी करते हैं। इस संदर्भ में, किसी पैग़म्बर का उद्देश्य केवल भय पैदा करना नहीं, बल्कि सही मार्ग का पालन करना है। यह आयत एकतरफा दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है।

- **निगमन (Conclusion):**
 यह आयत एक तर्कसंगत दृष्टिकोण से नहीं समझाती कि पैग़म्बर क्यों और कैसे भेजे गए थे। धर्म का उद्देश्य केवल भय का निर्माण नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और उन्नति के मार्ग पर चलने का होना चाहिए।

आयत 73:

आयत का अनुवाद: "ज़रा देखो तो कि जो लोग डराए जा चुके थे उनका क्या बुरा अन्जाम हुआ।"

चुना गया न्याय तत्व:
उदाहरण (Udaharana)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  यह आयत यह कहती है कि जो लोग डराए गए थे, उनका बुरा अंजाम हुआ।

- **हेतु (Reason):**
  यह तर्क मात्र उन लोगों की बुरी स्थिति को प्रस्तुत करता है, जिनका पालन नहीं किया गया। लेकिन इस तर्क में यह नहीं बताया गया कि उन लोगों के साथ कोई सकारात्मक दृष्टिकोण क्यों नहीं अपनाया गया या फिर क्यों उनकी हालत में सुधार संभव नहीं था। यदि वे गुमराह थे, तो क्या उनके सुधार की कोई संभावना थी?

- **उदाहरण (Example):**
  भगवद गीता में (अध्याय 9, श्लोक 22) भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो लोग पूरी निष्ठा और विश्वास से अपने कार्य करते हैं, उन्हें निश्चित रूप से मार्गदर्शन प्राप्त होता है। इस आयत में केवल परिणाम का उल्लेख है, बिना यह बताए कि क्या सुधार संभव था।

- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत केवल नकारात्मक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करती है, जबकि समाज में सुधार और सुधार के अवसर को अनदेखा करती है। परिणामों को केवल चेतावनी के रूप में प्रस्तुत करना एक सीमित दृष्टिकोण है।

आयत 74:

आयत का अनुवाद: "मगर (हाँ) ख़ुदा के निरे खरे बन्दे (महफ़ूज़ रहे)।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  यह आयत कहती है कि केवल खरे बंदे ही महफ़ूज़ रहते हैं।

- **हेतु (Reason):**
  इस आयत में प्रमाणीकरण का उपयोग किया गया है, जो कि यह दावा करता है कि केवल वे लोग जो खरे और निरे हैं, ही सुरक्षित रहते हैं। लेकिन यह सिद्धांत अन्यथा कार्यों और इरादों को गलत मानने में भी संकीर्ण दृष्टिकोण पेश करता है। क्या केवल खरे लोग ही सत्य के मार्ग पर हैं, या हर व्यक्ति की शुद्धता का मार्ग अलग हो सकता है?

- **उदाहरण (Example):**
  भगवद गीता में (अध्याय 3, श्लोक 35) कहा गया है कि जो कार्य हम करते हैं, वह हमारी आत्मा और विवेक से जुड़ा होता है, न कि केवल दिखावे से। यह विचार यहाँ प्रस्तुत किये गए संकीर्ण प्रमाणीकरण से भिन्न है।

- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत प्रमाणीकरण के सिद्धांत से किसी एक विशेष दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है, जो बहुसंस्कृतिगत और विविध जीवन दृष्टिकोणों को अनदेखा करती है।

आयत 75:

आयत का अनुवाद: "और नूह ने (अपनी कौम़ से मायूस होकर) हमें ज़रूर पुकारा था (देखो हम) क्या ख़ूब जवाब देने वाले थे।"

चुना गया न्याय तत्व:
हेतु (Reason)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  यह आयत यह कहती है कि नूह ने अपनी कौम से मायूस होकर अल्लाह से मदद की पुकार लगाई थी।

- **हेतु (Reason):**
  यहाँ यह विचार प्रस्तुत किया गया है कि नूह को अपनी कौम से उम्मीद टूट जाने पर भगवान से सहायता की आवश्यकता पड़ी। इस तर्क का आधार यह है कि बिना किसी विश्वास और बिना किसी

सहारे के भगवान के पास पुकार लगाना सबसे बड़ा समाधान था। क्या यह वास्तव में संभव था कि नूह की कौम को सुधारने का कोई अन्य तरीका नहीं था?

- **उदाहरण (Example):**
  भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है (अध्याय 7, श्लोक 7) कि आत्मज्ञान और योग के माध्यम से हम अपनी समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं। नूह की कहानी को केवल सहायता की पुकार के रूप में प्रस्तुत करना एक सीमित दृष्टिकोण है।

- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत एकतरफा दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है और नूह के संघर्ष को केवल एक ऐतिहासिक घटना के रूप में प्रस्तुत करती है। समाधान और प्रयास का पक्ष गौण हो जाता है, जो न्याय दर्शन के अनुसार गलत है।

सारणी (आयतों का तार्किक मूल्यांकन):

आयत संख्या	चुना गया तत्व	मुख्य आलोचना
71	**हेतु**	**गुमराही का कारण और समाधान अनदेखा किया गया है।**
72	**व्याप्ति**	**पैग़म्बरों का उद्देश्य केवल डराना नहीं था।**
73	**उदाहरण**	**केवल नकारात्मक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना।**
74	**प्रमाण**	**संकीर्ण प्रमाणीकरण, विभिन्न जीवन दृष्टिकोणों की अनदेखी।**
75	**हेतु**	**नूह की कहानी को केवल सहायता की पुकार के रूप में प्रस्तुत करना।**

समग्र निष्कर्ष:

इन आयतों में सुधार और समाधान के बजाय केवल नकारात्मक पक्ष और एकतरफा दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया गया है। न्याय दर्शन के अनुसार, धर्म और जीवन के दृष्टिकोण में संतुलन, सुधार और आत्मनिर्भरता की आवश्यकता होती है, न कि केवल सजा और यातना का ख्याल रखना।

आयत 76 से 80 का न्याय दर्शन के आधार पर तार्किक विश्लेषण और आलोचना:

आयत 76:

आयत का अनुवाद: "और हमने उनको और उनके लड़के वालों को बड़ी (सख़्त) मुसीबत से नजात दी।"

चुना गया न्याय तत्व:
हेतु (Reason)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  यह आयत यह कहती है कि अल्लाह ने नूह और उनके परिवार को एक बड़ी मुसीबत से बचाया।

- **हेतु (Reason):**
  यह तर्क यह दर्शाता है कि नूह और उनके परिवार की मुसीबत से मुक्ति एक विशेष रूप से ईश्वर की कृपा का परिणाम थी। लेकिन इस तर्क में यह सवाल उठता है कि क्या केवल अल्लाह की कृपा ही मुसीबत से मुक्ति का एकमात्र कारण था, या क्या अन्य तरीके भी हो सकते थे जिनसे समाज को सुधारने का प्रयास किया जाता? क्या यह केवल मुसीबत से बचने की प्रक्रिया थी, या इससे कुछ शैक्षिक और नैतिक दृष्टिकोण विकसित किया गया था?

- **उदाहरण (Example):**
  भगवद गीता (अध्याय 2, श्लोक 47) में कहा गया है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल प्राप्त होता है, और कर्मों के साथ ही जीवन में सुधार आता है। यहाँ केवल अल्लाह की कृपा पर निर्भर रहने का दृष्टिकोण एक संकीर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जबकि जीवन में हर व्यक्ति को अपने कर्मों के माध्यम से सुधार का प्रयास करना चाहिए।

- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत बिना किसी सुधारात्मक दृष्टिकोण के केवल कृपा पर निर्भर करती है, जो न्याय दर्शन के अनुसार एक संकुचित विचारधारा है। जीवन में सुधार केवल कृपा के आधार पर नहीं, बल्कि कर्म और विवेक के आधार पर होना चाहिए।

आयत 77:

आयत का अनुवाद: "और हमने (उनमें वह बरकत दी कि) उनकी औलाद को (दुनिया में) बरक़रार रखा।"

चुना गया न्याय तत्वः
प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचनाः

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  यह आयत कहती है कि अल्लाह ने नूह की औलाद को बरकरार रखा।

- **हेतु (Reason):**
  यहाँ प्रमाण के रूप में यह कहा जा रहा है कि नूह की औलाद को बरकरार रखना एक अल्लाह की कृपा का परिणाम था। लेकिन क्या यह केवल कृपा का विषय है, या क्या नूह के परिवार का आचार, विचार और कर्म भी इसके जिम्मेदार थे? क्या यह कर्म आधारित समाज की संरचना के विपरीत है, जो न्याय दर्शन में हर व्यक्ति के कर्मों का महत्व बताता है?

- **उदाहरण (Example):**
  भगवद गीता (अध्याय 2, श्लोक 7) में कहा गया है कि जब आत्मा भ्रमित हो जाती है, तो उसे ज्ञान और विवेक से मार्गदर्शन देना आवश्यक है। नूह की औलाद को बरकरार रखने का तर्क केवल कृपा पर आधारित है, जबकि कर्म और सुधार पर आधारित दृष्टिकोण से यह एक सीमित दृष्टिकोण है।

- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत केवल अल्लाह की कृपा को प्राथमिकता देती है, जबकि समाज में सुधार, कर्म और ज्ञान का महत्व गौण हो जाता है। न्याय दर्शन में कर्म और विवेक का स्थान प्रमुख होता है।

आयत 78:

आयत का अनुवादः "और बाद को आने वाले लोगों में उनका अच्छा चर्चा बाक़ी रखा।"

चुना गया न्याय तत्वः
उदाहरण (Udaharana)

विश्लेषण और आलोचनाः

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  यह आयत कहती है कि नूह और उनके परिवार का अच्छा चर्चा आने वाली पीढ़ियों में बना रहेगा।

- **हेतु (Reason):**
  यह तर्क यह दर्शाता है कि नूह का अच्छा नाम हमेशा रहने वाला है, और यह उनके कर्मों और विश्वास का परिणाम है। लेकिन क्या यह केवल उनके कर्मों से संबंधित था, या उनके योगदान और समाज के प्रति जिम्मेदारी का भी कोई पहलू था? क्या केवल नाम से महत्वपूर्ण है, या समाज में उनका योगदान भी महत्वपूर्ण है?

- **उदाहरण (Example):**
  भगवद गीता (अध्याय 9, श्लोक 22) में कहा गया है कि जो लोग अपने कर्मों से धर्म और नीति का पालन करते हैं, उनका नाम और कार्य पीढ़ियों तक जीवित रहता है। यह आयत केवल नाम और चर्चा को प्राथमिकता देती है, जबकि समाज में वास्तविक योगदान पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए।

- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत केवल नाम और चर्चा पर ध्यान केंद्रित करती है, जबकि जीवन में वास्तविक योगदान और सुधार को अनदेखा करती है। न्याय दर्शन के अनुसार, कर्म और योगदान का महत्व अधिक होता है, न कि केवल चर्चा का।

आयत 79:

आयत का अनुवाद: "कि सारी ख़ुदायी में (हर तरफ से) नूह पर सलाम है।"

चुना गया न्याय तत्व:
व्याप्ति (Vyapti)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  यह आयत कहती है कि नूह पर अल्लाह की सलामत है, और उनकी पवित्रता को हर जगह सम्मानित किया गया है।

- **हेतु (Reason):**
  यह व्याप्ति सिद्धांत का उपयोग करती है, जिसका मतलब है कि नूह पर सलाम केवल एक विशेष स्थान या समय में नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में है। लेकिन क्या यह सलाम केवल एक धार्मिक सम्मान है, या क्या यह उनका जीवन और कर्मों का सम्मान भी है? क्या नूह के कार्यों और उनके समाज में योगदान को केवल सलाम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, या उनके कार्यों को समाज में सुधार और

साक्षात्कार के रूप में भी देखा जाना चाहिए?

- **उदाहरण (Example):**
  भगवद गीता (अध्याय 9, श्लोक 13) में कहा गया है कि सच्चे साधक अपने कर्मों से समाज का भला करते हैं, और उनका सम्मान हमेशा बना रहता है। यह आयत केवल सलाम और सम्मान पर केंद्रित है, जबकि कर्म और सुधार का पहलू छिपा रहता है।

- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत सलाम को सम्मान और धार्मिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करती है, जबकि कर्म और योगदान की वास्तविकता को समझने के लिए गहरी दृष्टि की आवश्यकता है। न्याय दर्शन के अनुसार, केवल सम्मान और सलाम से अधिक कर्म और सुधार का महत्व होता है।

आयत 80:

आयत का अनुवाद: "हम नेकी करने वालों को यूँ जज़ाए ख़ैर अता फरमाते हैं।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  यह आयत कहती है कि अल्लाह ने नेकी करने वालों को इनाम दिया है।

- **हेतु (Reason):**
  यह तर्क प्रमाण के आधार पर है कि अल्लाह ने नेक कार्य करने वालों को अच्छा परिणाम दिया। लेकिन क्या यह केवल अल्लाह की कृपा पर निर्भर करता है, या क्या इस पर कर्म और सिद्धांतों का भी असर पड़ता है? क्या नेक कार्यों का फल केवल धार्मिक दृष्टिकोण से है, या क्या यह समाज में शांति और संतुलन लाने के लिए किया गया है?

- **उदाहरण (Example):**
  भगवद गीता (अध्याय 4, श्लोक 7) में श्री कृष्ण ने कहा है कि जब भी धर्म की हानि होती है, भगवान पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। लेकिन नेक कार्यों का फल केवल कृपा से नहीं, बल्कि समाज में सुधार और सद्गुणों के पालन से जुड़ा होना चाहिए।

- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत केवल धार्मिक दृष्टिकोण से नेकी के परिणाम पर जोर देती है, जबकि समाज और व्यक्तिगत सुधार के पहलू को अनदेखा करती है। न्याय दर्शन के अनुसार, कर्मों का फल समाज और व्यक्ति के योगदान से जुड़ा होता है, न केवल एकतरफा कृपा से।

सारणी (आयतों का तार्किक मूल्यांकन):

आयत संख्या	चुना गया तत्व	मुख्य आलोचना
76	**हेतु**	**केवल कृपा पर निर्भर, कर्म और विवेक की अनदेखी।**
77	**प्रमाण**	**कृपा के बजाय कर्मों और विवेक का महत्व गायब।**
78	**उदाहरण**	**केवल नाम और चर्चा पर ध्यान, योगदान को अनदेखा।**
79	**व्याप्ति**	**केवल सलाम का सम्मान, कर्म और योगदान पर ध्यान नहीं।**
80	**प्रमाण**	**केवल धार्मिक दृष्टिकोण से नेकी का फल, समाज के योगदान की अनदेखी।**

समग्र निष्कर्ष:

इन आयतों में कर्म, विवेक और समाज के योगदान पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है। न्याय दर्शन के अनुसार, व्यक्ति और समाज के सुधार, कर्म और विवेक को सर्वोपरि माना जाता है, जबकि यह आयतें केवल कृपा, सलाम और नाम पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जो एक संकुचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं।

आयत 81 से 85 का न्याय दर्शन के आधार पर तार्किक विश्लेषण और आलोचना:

आयत 81:

आयत का अनुवाद: "इसमें शक नहीं कि नूह हमारे (ख़ास) ईमानदार बन्दों से थे।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  यह आयत यह कहती है कि नूह अल्लाह के ख़ास ईमानदार बंदे थे।

- **हेतु (Reason):**
  यह तर्क प्रमाण के आधार पर है कि नूह को विशेष रूप से ईमानदार बताया गया है। लेकिन क्या इस विशेषता को केवल धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए, या उनके कर्म, विचार और समाज में योगदान भी इसे प्रभावित करते हैं? न्याय दर्शन के अनुसार, एक व्यक्ति की ईमानदारी केवल विश्वास पर नहीं, बल्कि उसके कर्मों और समाज में सुधार के प्रयासों पर निर्भर करती है।

- **उदाहरण (Example):**
  भगवद गीता (अध्याय 16, श्लोक 3) में कहा गया है कि एक ईमानदार व्यक्ति को अपने आचरण और कार्यों से भी सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। नूह का ईमानदारी केवल विश्वास पर आधारित था या उनके कर्म और आचरण में भी यह ईमानदारी प्रकट होती थी?

- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत केवल नूह की धार्मिक ईमानदारी पर ध्यान केंद्रित करती है, जबकि न्याय दर्शन के अनुसार, ईमानदारी को कर्मों और आचरण से भी मापा जाना चाहिए। केवल विश्वास या धार्मिक दृष्टिकोण से व्यक्ति को विशेष ठहराना न्यायपूर्ण नहीं हो सकता।

आयत 82:

आयत का अनुवाद: "फिर हमने बाक़ी लोगों को डुबो दिया।"

चुना गया न्याय तत्व:
हेतु (Reason)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  यह आयत कहती है कि अल्लाह ने बाक़ी लोगों को डुबो दिया।

- **हेतु (Reason):**
  यह तर्क यह दर्शाता है कि अल्लाह ने बाक़ी लोगों को उनके कुकर्मों के कारण डुबो दिया। लेकिन

क्या यह तर्क न्याय संगत है कि किसी समुदाय को केवल उसके कुकर्मों के कारण सम्पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया जाए? न्याय दर्शन के अनुसार, किसी भी कुकर्मी को सुधारने का प्रयास किया जाना चाहिए, न कि उसे नष्ट कर दिया जाए। क्या यह समग्र दृष्टिकोण न्यायपूर्ण है, जो केवल दंड पर निर्भर करता है?

- **उदाहरण (Example):**
  भगवद गीता (अध्याय 16, श्लोक 24) में श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के कर्म बुरे हैं, तो उसे सुधारने की आवश्यकता है, न कि उसे नष्ट कर देना चाहिए। केवल दंड के माध्यम से समाधान के बजाय सुधारात्मक दृष्टिकोण अधिक उपयुक्त है।

- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत केवल दंड पर निर्भर करती है और कुकर्मियों को नष्ट करने का पक्ष लेती है, जबकि न्याय दर्शन के अनुसार सुधारात्मक उपाय अधिक प्रभावी होते हैं।

आयत 83:

आयत का अनुवाद: "और यक़ीनन उन्हीं के तरीक़ो पर चलने वालों में इबराहीम (भी) ज़रूर थे।"

चुना गया न्याय तत्व:
व्याप्ति (Vyapti)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  यह आयत कहती है कि इबराहीम नूह के तरीके पर चलते थे।

- **हेतु (Reason):**
  यह व्याप्ति सिद्धांत का उपयोग करती है, जिसमें कहा जा रहा है कि इबराहीम ने नूह के मार्ग पर चलकर उनका अनुसरण किया। लेकिन क्या यह तर्क न्यायपूर्ण है कि केवल किसी अन्य व्यक्ति के मार्ग पर चलने से कोई व्यक्ति अपने कर्मों में सत्य और नैतिकता का पालन करता है? क्या इबराहीम का मार्ग केवल नूह के द्वारा निर्धारित था, या क्या उनका मार्ग स्वयं उनके कर्मों और निर्णयों पर आधारित था?

- **उदाहरण (Example):**
  भगवद गीता (अध्याय 2, श्लोक 47) में श्री कृष्ण ने कहा है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों में विवेक

और संतुलन बनाए रखना चाहिए। केवल दूसरों के मार्ग पर चलने से नहीं, बल्कि अपने निर्णयों और कर्मों से सत्य का पालन करना आवश्यक है।

- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत केवल नूह के मार्ग पर चलने की बात करती है, जबकि इबराहीम का सत्य और नैतिकता का पालन उनके व्यक्तिगत कर्मों और निर्णयों पर भी निर्भर करना चाहिए था।

आयत 84:

आयत का अनुवाद: "जब वह अपने परवरदिगार (कि इबादत) की तरफ (पहलू में) ऐसा दिल लिए हुए बढ़े जो (हर ऐब से पाक था।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमेय (Prameya)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  यह आयत कहती है कि इबराहीम ने अपने दिल को पाक रखते हुए अपने ईश्वर की इबादत की।

- **हेतु (Reason):**
  यह तर्क यह बताता है कि इबराहीम ने दिल से पाक होकर इबादत की, लेकिन क्या यह कहना न्यायसंगत है कि किसी व्यक्ति का दिल अगर पाक होता है तो उसका इबादत करना सही होता है? क्या केवल दिल की शुद्धता पर्याप्त है, या उसके साथ कर्म और आचरण का भी उचित होना आवश्यक है?

- **उदाहरण (Example):**
  भगवद गीता (अध्याय 9, श्लोक 22) में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने कर्मों और निर्णयों से सत्य का पालन करता है, उसका दिल भी शुद्ध होता है। केवल इबादत ही नहीं, बल्कि कर्मों की शुद्धता भी आवश्यक है।

- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत केवल दिल की शुद्धता पर जोर देती है, जबकि कर्म और आचरण की शुद्धता को भी ध्यान में रखना आवश्यक था।

आयत 85:

आयत का अनुवाद: "जब उन्होंने अपने (मुँह बोले) बाप और अपनी क़ौम से कहा कि तुम लोग किस चीज़ की परसतिश करते हो।"

चुना गया न्याय तत्व:
हेटुबासा (Hetvabhasa)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  इबराहीम ने अपने बाप और क़ौम से पूछा कि वे किस चीज़ की पूजा करते हैं।

- **हेतु (Reason):**
  यह तर्क यह है कि इबराहीम ने अपने बाप और क़ौम से सवाल किया कि वे किस चीज़ की पूजा करते हैं, लेकिन क्या यह कहना उचित है कि केवल प्रश्न पूछने से सत्य का पालन हो सकता है? क्या कर्म और समझदारी का पालन करना भी आवश्यक नहीं था?

- **उदाहरण (Example):**
  भगवद गीता (अध्याय 18, श्लोक 63) में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने मन को सही मार्ग पर लगाता है, तब उसे संकोच नहीं करना चाहिए। केवल सवाल पूछने से किसी भी व्यक्ति को पूरी जानकारी और ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। कर्म और विवेक के आधार पर ही वह सत्य की ओर बढ़ सकता है।

- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत केवल सवाल पूछने पर केंद्रित है, जबकि सत्य और नैतिकता के पालन के लिए कर्म और विवेक का महत्व अधिक होता है।

सारणी (आयतों का तार्किक मूल्यांकन):

आयत संख्या	चुना गया तत्व	मुख्य आलोचना
81	प्रमाण	केवल विश्वास पर आधारित ईमानदारी, कर्मों और आचरण की अनदेखी।

82	**हेतु**	**केवल दंड पर आधारित समाधान, सुधारात्मक दृष्टिकोण का अभाव।**
83	**व्याप्ति**	**केवल नूह के मार्ग पर चलने का विचार, व्यक्तिगत कर्मों की अनदेखी।**
84	**प्रमेय**	**दिल की शुद्धता पर अधिक ध्यान, कर्म और आचरण की शुद्धता की अनदेखी।**
85	**हेटुबासा**	**केवल सवाल पूछने से समाधान का विचार, कर्म और विवेक का अभाव।**

समग्र निष्कर्ष:

इन आयतों में केवल धार्मिक दृष्टिकोण, कर्मों और आचरण की शुद्धता के बजाय, नूह और इबराहीम की मान्यता पर अधिक जोर दिया गया है। न्याय दर्शन के अनुसार, केवल विश्वास या सवाल पूछने से समाधान नहीं मिल सकता; हमें कर्मों, विवेक और सुधारात्मक दृष्टिकोण पर ध्यान देना चाहिए।

आयत 86 से 90 का न्याय दर्शन के आधार पर तार्किक विश्लेषण और आलोचना:

आयत 86:

आयत का अनुवाद: "क्या ख़ुदा को छोड़कर दिल से गढ़े हुए माबूदों की तमन्ना रखते हो?"

चुना गया न्याय तत्व:
हेतु (Reason)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  यह आयत यह सवाल करती है कि लोग ईश्वर को छोड़कर बनावटी देवताओं की इबादत क्यों करते हैं।

- **हेतु (Reason):**
  यह तर्क यह समझाने का प्रयास करता है कि क्यों लोग खुद के बनाए हुए देवताओं के प्रति आस्थावान होते हैं। यह एक नैतिक प्रश्न है, लेकिन क्या यह तर्क पर्याप्त है? क्या इस तरह की विश्वास प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करने से समाज में सुधार हो सकता है, या क्या यह केवल धार्मिक दृष्टिकोण से सही होने का दावा कर रहा है?

- **उदाहरण (Example):**
  भगवद गीता (अध्याय 9, श्लोक 23) में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग असत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, वे अपने कर्मों में भ्रमित रहते हैं। इस आयत में यह दिखाया जाता है कि लोग अपने ही बनाए हुए देवताओं के प्रति समर्पित होते हैं, जबकि उन्हें सत्य का अनुसरण करना चाहिए था।

- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत लोगों की धार्मिक नासमझी को इंगीत करती है, लेकिन क्या सिर्फ इस नासमझी को उजागर करने से समस्या का समाधान होता है, या इसके बजाय उन्हें सही मार्ग पर लाने के उपाय सुझाए जाने चाहिए थे?

आयत 87:

आयत का अनुवाद: "फिर सारी ख़ुदाई के पालने वाले के साथ तुम्हारा क्या ख़्याल है?"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमेय (Prameya)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  यह आयत यह प्रश्न करती है कि जो सारा सृजन और पालन करने वाला है, उसके बारे में तुम्हारा क्या विचार है?

- **हेतु (Reason):**
  यह तर्क इस बात पर आधारित है कि लोग सिर्फ अपने गढ़े हुए देवताओं की पूजा करते हैं और ईश्वर के सृजन और पालनकर्ता के प्रति उनके विचारों को नकारते हैं। यह एक नैतिक प्रश्न है, लेकिन क्या इस प्रकार के प्रश्न से लोगों को समझने में मदद मिल सकती है? क्या यह तरीका सही शिक्षा प्रदान करने का है?

- **उदाहरण (Example):**
  भगवद गीता (अध्याय 10, श्लोक 8) में श्री कृष्ण कहते हैं कि "मैं ही सृष्टि का कारण हूं, मैं ही सृष्टि का पालन करता हूं।" यह आयत स्पष्ट करती है कि ईश्वर को समझने के बजाय लोग अपने बनाए हुए देवताओं को ही श्रेष्ठ मानते हैं।

- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत धार्मिक पथ पर भ्रमित व्यक्तियों से सवाल करती है, लेकिन इसे सुधारात्मक दृष्टिकोण से और अधिक प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता था, जिससे लोग सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित हो सकें।

आयत 88:

आयत का अनुवाद: "फिर (एक ईद में उन लोगों ने चलने को कहा) तो इबराहीम ने सितारों की तरफ़ एक नज़र देखा।"

चुना गया न्याय तत्व:
उदाहरण (Udaharana)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  यह आयत बताती है कि इबराहीम ने सितारों की ओर देखा और उन्हें एक प्रकार से संकेत किया।

- **हेतु (Reason):**
  इबराहीम का सितारों की ओर देखना यह संकेत करता है कि वह कुछ निर्णय लेने के लिए आकाशीय तत्वों पर विचार करते हैं। क्या यह सही है कि कोई व्यक्ति सितारों या अन्य आकाशीय तत्वों की दिशा में अपने निर्णयों को निर्धारित करे? क्या यह तर्कपूर्ण और नैतिक दृष्टिकोण से उचित है?

- **उदाहरण (Example):**
  भगवद गीता (अध्याय 3, श्लोक 43) में श्री कृष्ण कहते हैं कि "मनुष्य का मन ही उसकी सबसे बड़ी साधन है।" इस प्रकार, इबराहीम को अपने कर्मों के लिए किसी बाहरी तत्व की ओर देखने की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि उन्हें अपने विवेक का पालन करना चाहिए था।

- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत इबराहीम के निर्णय की प्रक्रिया को सितारों से जोड़ती है, लेकिन इस दृष्टिकोण से यह सवाल उठता है कि क्या कोई व्यक्ति अपने निर्णयों के लिए आंतरिक विवेक और आत्मनिर्भरता पर ध्यान नहीं दे सकता था?

आयत 89:

आयत का अनुवाद: "और कहा कि मैं (अनक़रीब) बीमार पड़ने वाला हूँ।"

चुना गया न्याय तत्व:
हेतु (Reason)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  इबराहीम ने कहा कि वह जल्द ही बीमार पड़ने वाले हैं, जिससे उन्होंने अपने क़ौम से दूर होने का कारण बताया।

- **हेतु (Reason):**
  इबराहीम का यह कथन उनके निर्णय की प्रक्रिया का हिस्सा था, जिसमें उन्होंने अपनी स्थिति को इस रूप में प्रस्तुत किया कि वह बीमार हैं। क्या यह एक नैतिक और सत्यनिष्ठ कदम था? क्या यह तर्क व्यक्ति के आत्मविश्वास और ईमानदारी को प्रदर्शित करता है?

- **उदाहरण (Example):**
  भगवद गीता (अध्याय 2, श्लोक 47) में श्री कृष्ण कहते हैं कि कार्यों को ईमानदारी से करना चाहिए, न कि किसी प्रकार के बहाने या झूठ के आधार पर। इबराहीम का यह कदम उनकी ईमानदारी पर प्रश्न खड़ा करता है, क्योंकि वह अपनी स्थिति को सही तरीके से प्रस्तुत करने में असफल रहे।

- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत इबराहीम के दृष्टिकोण को संदिग्ध बना देती है क्योंकि यह कदम उनकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा पर सवाल उठाता है। इसे बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता था ताकि इसमें अधिक पारदर्शिता और ईमानदारी दिखाई देती।

आयत 90:

आयत का अनुवाद: "तो वह लोग इबराहीम के पास से पीठ फेर फेर कर हट गए।"

चुना गया न्याय तत्व:
निगमन (Nigamana)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  यह आयत बताती है कि लोग इबराहीम से दूर हो गए क्योंकि उन्होंने खुद को बीमार बताया।

- **हेतु (Reason):**
  यह तर्क यह दर्शाता है कि लोग इबराहीम से इसलिए दूर हो गए क्योंकि उनका कदम उनके विचारों के अनुरूप नहीं था। क्या यह सही था कि इबराहीम ने ऐसा कदम उठाया, और क्या यह उनके विश्वास और दृष्टिकोण को सही तरीके से व्यक्त करता था?

- **उदाहरण (Example):**
  भगवद गीता (अध्याय 18, श्लोक 63) में श्री कृष्ण ने कहा कि जब कोई व्यक्ति अपने कर्मों को सही तरीके से करता है, तो उसे किसी भी प्रकार के पछतावे की आवश्यकता नहीं होती। इस दृष्टिकोण से, इबराहीम का कदम उनके आत्मविश्वास और सही दिशा की कमी को दर्शाता है।

- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत इबराहीम की स्थिति का एक नकारात्मक परिणाम दिखाती है। उनका तरीका समझने योग्य नहीं था, और उनके फैसले ने उन्हें असमर्थ बना दिया।

आयत 91 से 95 का न्याय दर्शन के आधार पर तार्किक विश्लेषण और आलोचना:

आयत 91:

आयत का अनुवाद: "फिर तो इबराहीम चुपके से उनके बुतों की तरफ मुतावज्जे हुए और (तान से) कहा तुम्हारे सामने इतने चढ़ाव रखते हैं।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमेय (Prameya)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  इबराहीम ने चुपके से बुतों की तरफ मुंह किया और उन्हें तंज किया कि "तुम्हारे सामने इतने चढ़ाव हैं।"

- **हेतु (Reason):**
 इस बयान में इबराहीम बुतों की शक्ति पर सवाल उठाते हैं। यह तर्क करने का एक तरीका है कि बुतों की कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि वे खुद किसी कार्य को करने में असमर्थ हैं। लेकिन क्या इसे एक नैतिक दृष्टिकोण से सही तरीके से प्रस्तुत किया गया है? क्या यह संवाद इस विचार को सामने लाता है कि हम किसी वस्तु या शक्ति की पूजा करना चाहिए, जो वास्तविक रूप से कार्यक्षम हो?

- **उदाहरण (Example):**
 भगवद गीता (अध्याय 9, श्लोक 23) में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग असत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, वे अपने कर्मों में भ्रमित रहते हैं। यहाँ इबराहीम ने अपने तंज के माध्यम से यह दिखाया कि लोग गलत रास्ते पर चल रहे हैं और बुतों की पूजा करना निरर्थक है।

- **निगमन (Conclusion):**
 इबराहीम का यह कदम किसी परोक्ष तरीके से सत्य का उद्घाटन करने का प्रयास है, लेकिन इस प्रकार के तंज का तरीका क्या शांति और समझदारी से भरा हुआ है? क्या यह वास्तविक सुधार के लिए प्रेरित करता है या केवल विरोध और आलोचना करता है?

आयत 92:

आयत का अनुवाद: "आख़िर तुम खाते क्यों नहीं (अरे तुम्हें क्या हो गया है)?"

चुना गया न्याय तत्व:
 उपमान (Upamana)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
 इबराहीम ने बुतों से यह सवाल किया कि "तुम खाते क्यों नहीं?"

- **हेतु (Reason):**
 यह सवाल बुतों की निष्क्रियता को उजागर करता है, जिसमें इबराहीम यह दर्शाते हैं कि वे एक वस्तु या शक्ति के रूप में कार्य करने में असमर्थ हैं। इस दृष्टिकोण को सही रूप से समझने के लिए क्या बुतों की पूजा का उद्देश्य समझने की आवश्यकता नहीं है? क्या लोग बुतों को शक्ति और शक्ति के प्रतीक के रूप में देखते हैं या केवल धार्मिक परंपराओं के अनुसार उनकी पूजा करते हैं?

- **उदाहरण (Example):**
  भगवद गीता (अध्याय 9, श्लोक 23) में श्री कृष्ण ने कहा कि जो लोग बिना समझे किसी चीज़ की पूजा करते हैं, वे अपने कर्मों में भ्रमित होते हैं। इबराहीम का यह सवाल उन लोगों को जागरूक करने का एक प्रयास है कि बुतों में कोई शक्ति नहीं है।

- **निगमन (Conclusion):**
  इबराहीम का यह सवाल तर्कसंगत और व्यंग्यात्मक है, लेकिन क्या इसे शांतिपूर्वक और सही तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता था ताकि लोग बिना आहत हुए सच्चाई को समझ सकें?

आयत 93:

आयत का अनुवाद: "कि तुम बोलते तक नहीं।"

चुना गया न्याय तत्व:
हेतु (Reason)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  इबराहीम ने यह कहा कि बुत बोलते नहीं हैं, अर्थात वे किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं देते।

- **हेतु (Reason):**
  यह तर्क यह है कि बुतों के पास कोई आत्मनिर्भरता नहीं है, वे सिर्फ मूक वस्तु हैं। यह इबराहीम का बुतों की निर्बलता पर आरोप है, लेकिन क्या इससे समाधान मिलता है? क्या यह तर्क असंवेदनशीलता का संकेत नहीं देता कि वे केवल किसी एक बिंदु पर आलोचना कर रहे हैं, बजाय इसके कि उन्हें सुधारने के लिए कोई रास्ता सुझाया जाए?

- **उदाहरण (Example):**
  भगवद गीता (अध्याय 10, श्लोक 20) में श्री कृष्ण कहते हैं कि "मैं ही आत्मा हूं जो प्रत्येक प्राणी में निवास करती है।" बुतों की आलोचना करते समय क्या इबराहीम को यह दिखाना चाहिए था कि सभी वस्तुएं किसी न किसी रूप में ईश्वर से संबंधित हैं, और उन्हें सही दिशा की आवश्यकता है?

- **निगमन (Conclusion):**
  इबराहीम का यह बयान बुतों की निर्बलता को उजागर करता है, लेकिन क्या यह तर्क खुद में अधिक दयालु और समझदारी से प्रस्तुत किया जा सकता था? क्या इससे केवल विरोध नहीं उत्पन्न होता,

बल्कि सुधार की आवश्यकता को भी दर्शाया जा सकता था?

आयत 94:

आयत का अनुवाद: "फिर तो इबराहीम दाहिने हाथ से मारते हुए उन पर पिल पड़े (और तोड़-फोड़ कर एक बड़े बुत के गले में कुल्हाड़ी डाल दी)।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  इबराहीम ने बुतों को तोड़ डाला और एक बड़े बुत के गले में कुल्हाड़ी डाल दी।

- **हेतु (Reason):**
  इबराहीम ने बुतों की शक्ति और अस्तित्व को चुनौती देने के लिए प्रत्यक्ष रूप से उन्हें नष्ट कर दिया। लेकिन क्या यह तरीका सही है? क्या यह बुतों और उनके पूजा करने वालों के खिलाफ एक अत्यधिक कदम नहीं है? क्या उन्हें पहले संवाद और समझ का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए था?

- **उदाहरण (Example):**
  भगवद गीता (अध्याय 16, श्लोक 3) में श्री कृष्ण ने कहा कि "दैवी सम्पत्ति और आसुरी सम्पत्ति में अंतर है।" इबराहीम ने इस प्रकार की समस्या का समाधान किया, लेकिन क्या यह कृत्य एक असुरिक प्रवृत्ति नहीं प्रदर्शित करता है?

- **निगमन (Conclusion):**
  इबराहीम का यह कदम सशक्त और निर्णायक था, लेकिन क्या यह सत्य को प्रकट करने का एक शांतिपूर्ण और विचारशील तरीका था? क्या इस प्रकार के दृष्टिकोण से समाज में सकारात्मक परिवर्तन आएगा या यह केवल विरोध और हिंसा को प्रेरित करेगा?

आयत 95:

आयत का अनुवाद: "जब उन लोगों को ख़बर हुयी तो इबराहीम के पास दौड़ते हुए पहुँचे।"

चुना गया न्याय तत्व:
व्याप्ति (Vyapti)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  इबराहीम के बुतों को नष्ट करने के बाद लोग दौड़ते हुए उनके पास पहुंचे।
- **हेतु (Reason):**
  यह घटना बताती है कि जब बुतों को नष्ट किया गया, तो बुतों की पूजा करने वाले लोग इस कार्रवाई का विरोध करने के लिए दौड़े। क्या यह विरोध उनकी आस्था और विश्वास से उत्पन्न था, या यह केवल उनके अहंकार का परिणाम था? क्या यह संघर्ष लोगों को सही मार्ग पर लाने का एक रास्ता हो सकता था?
- **उदाहरण (Example):**
  भगवद गीता (अध्याय 16, श्लोक 24) में श्री कृष्ण कहते हैं कि "यथा धर्मेण कर्मणा" - सभी कार्यों को धर्म के अनुसार करना चाहिए। क्या यह प्रतिक्रिया धर्म के अनुरूप थी, या यह सिर्फ आदर्श और मानवीय संवेदनाओं को चोट पहुंचाने वाली थी?
- **निगमन (Conclusion):**
  इस घटना ने यह दिखाया कि लोगों की प्रतिक्रिया उनके विश्वासों और पूर्वाग्रहों से उत्पन्न होती है। यह आयत इसे दर्शाती है कि कैसे विरोध और प्रतिक्रिया पर आधारित समाज में परिवर्तन संभव नहीं है, जब तक कि सही मार्गदर्शन न दिया जाए।

सारांश तालिका:

आयत संख्या	तर्क तत्व	आलोचना
91	**प्रमेय (Prameya)**	**बुतों की निर्बलता पर सवाल उठाना, लेकिन इसे सुधारात्मक रूप में प्रस्तुत किया जा सकता था।**
92	**उपमान**	**तंज का तरीका आलोचना करता है, लेकिन क्या यह सुधारक**

	(Upamana)	**दृष्टिकोण था?**
93	हेतु (Reason)	**बुतों की निष्क्रियता पर प्रश्न, लेकिन क्या यह समझाने का तरीका था या सिर्फ विरोध?**
94	प्रमाण (Pramana)	**बुतों को नष्ट करना हिंसात्मक तरीका है, क्या यह सही मार्गदर्शन था?**
95	व्याप्ति (Vyapti)	**प्रतिक्रिया और विरोध से परिवर्तन की संभावना, क्या इसे शांति से किया जा सकता था?**

निष्कर्ष (Conclusion):
इन आयतों में इबराहीम का दृष्टिकोण उनके विरोधियों को चुनौती देने का था, लेकिन इसमें कोई सुधारात्मक या शांति का संदेश नहीं था। तर्क और प्रतिक्रिया में एक स्पष्ट संतुलन की आवश्यकता थी ताकि लोग किसी सशक्त और समझदारी से बदलाव की ओर बढ़ सकें।

आयत 101 से 105 का न्याय दर्शन के आधार पर तार्किक विश्लेषण और आलोचना

आयत 101:
आयत का अनुवाद:
"तो हमने उन्हें एक बड़े नरम दिले लड़के (के पैदा होने की) खुशख़बरी दी।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमेय (Prameya)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  यह आयत कहती है कि ईश्वर ने इब्राहीम को एक बेटे के जन्म की खुशख़बरी दी।
- **हेतु (Reason):**
  यह दावा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से प्रमाणित नहीं है। भारतीय दर्शन में भगवान के संदेश को मानव अनुभव से समझने का तरीका प्रकट होता है, परन्तु इस आयत का दावा केवल धार्मिक दृष्टिकोण से है, बिना किसी तर्क या प्रमाण के।

- **उदाहरण (Example):**
  भारत में ऋषि-मुनियों और संतों का उल्लेख है जिन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए कठोर साधना की, न कि ईश्वर से सीधे संदेश प्राप्त किया।
- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत प्रमेय के सिद्धांत का उल्लंघन करती है क्योंकि इसमें कोई ऐतिहासिक या प्रमाणिक साक्ष्य नहीं है। यह दावा केवल एक धार्मिक विश्वास पर आधारित है।

आयत 102:

आयत का अनुवाद:

"फिर जब इस्माईल अपने बाप के साथ दौड़धूप करने लगा तो (एक दफा) इब्राहीम ने कहा बेटा ख़ूब मैं (वही के ज़रिये क्या) देखता हूँ कि मैं तो खुद तुम्हें जिबाह कर रहा हूँ तो तुम भी गौर करो तुम्हारी इसमें क्या राय है।"

चुना गया न्याय तत्व:

हेतु (Reason)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  इब्राहीम को ईश्वर द्वारा अपने बेटे को बलि देने का आदेश दिया गया।
- **हेतु (Reason):**
  यह दावा तार्किक और नैतिक दृष्टिकोण से कमजोर है। एक पिता का अपने बेटे की बलि देने का विचार स्वाभाविक रूप से अनैतिक और असंवेदनशील है, और इस पर कोई सुसंगत तर्क नहीं है जो इसे सही ठहराए।
- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में, विशेषकर भगवद गीता में, यह कहा गया है कि कर्म के हर रूप को समझदारी और संवेदनशीलता के साथ करना चाहिए (गीता 3.16)। ईश्वर का आदेश इस प्रकार से किसी को नुकसान पहुँचाना न्याय संगत नहीं हो सकता।
- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत तर्क और नैतिकता के दृष्टिकोण से अस्वीकार्य है, क्योंकि इसमें निर्दोष व्यक्ति की बलि का आदेश दिया गया है, जो मानवता और धर्म के मूल्यों के खिलाफ है।

आयत 103:

आयत का अनुवाद:
"फिर जब दोनों ने ये ठान ली और बाप ने बेटे को माथे के बल लिटाया।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  इब्राहीम और इस्माईल दोनों ने बलि की प्रक्रिया को अपनाया।
- **हेतु (Reason):**
  यह आयत केवल एक धार्मिक विश्वास को प्रस्तुत करती है, लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक या तार्किक प्रमाण नहीं है। एक ऐसे व्यक्ति को हत्या का आदेश देना, जो निर्दोष हो, यह एक नैतिक भ्रम पैदा करता है।
- **उदाहरण (Example):**
  भारत में, किसी भी धार्मिक कार्य में करुणा और अहिंसा की प्रधानता दी जाती है। हिंदू धर्म में अहिंसा पर बल दिया जाता है, और यह अवधारणा गीता और उपनिषदों में विशेष रूप से स्पष्ट है।
- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत नैतिकता और प्रमाण के दृष्टिकोण से दोषपूर्ण है, क्योंकि इसका तर्क और प्रमाणात्मक समर्थन नहीं है।

आयत 104:

आयत का अनुवाद:
"और हमने (आमादा देखकर) आवाज़ दी ऐ इब्राहीम!"

चुना गया न्याय तत्व:
उपमान (Comparison)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  यह आयत कहती है कि ईश्वर ने इब्राहीम को अपने बेटे को बलि देने से रोक लिया।

- **हेतु (Reason):**
 यह उपमान का उपयोग करता है क्योंकि इसमें किसी भी संदर्भ या तुलना का उल्लेख नहीं है। यह एक निर्देश है, जो केवल इब्राहीम के दृष्टिकोण से दिखाई देता है, बिना किसी प्रमाण के।
- **उदाहरण (Example):**
 भारत में ऋषि-मुनियों का ज्ञान हमेशा तर्क और सबूत के आधार पर था, और किसी प्रकार का आह्वान बिना सही कारण के अस्वीकार्य माना जाता है।
- **निगमन (Conclusion):**
 यह आयत उपमान के तत्व का उल्लंघन करती है, क्योंकि इसमें कोई सुसंगत तर्क या तुलना नहीं है। यह केवल एक आदेश है, जो तर्क के नियमों से बाहर है।

आयत 105:
 आयत का अनुवाद:
"तुमने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया, अब तुम दोनों को बड़े मरतबे मिलेंगे।"

चुना गया न्याय तत्व:
 व्याप्ति (Vyapti)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
 यह आयत कहती है कि ईश्वर ने इब्राहीम और इस्माईल को उनका सपना पूरा करने पर इनाम दिया।
- **हेतु (Reason):**
 यह दावा तर्क और व्याप्ति के सिद्धांत से मेल नहीं खाता, क्योंकि किसी भी विशेष कार्य का पुरस्कार एक सार्वभौमिक नियम के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- **उदाहरण (Example):**
 भारतीय दर्शन में कर्म के सिद्धांत के अनुसार, प्रत्येक कर्म का फल उस व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है (गीता 3.16), न कि केवल एक सपना देखने से।
- **निगमन (Conclusion):**
 यह आयत व्याप्ति के सिद्धांत का उल्लंघन करती है, क्योंकि इसमें किसी विशेष कार्य के कारण पुरस्कार का सामान्य नियम प्रस्तुत नहीं किया गया है।

सारणी (आयतों का तार्किक मूल्यांकन):

आयत संख्या	चुना गया तत्व	मुख्य आलोचना
101	प्रमेय	ऐतिहासिक या प्रमाणिक साक्ष्य का अभाव
102	हेतु	नैतिक और तर्किक दृष्टिकोण से अस्वीकार्य
103	प्रमाण	प्रमाण और तर्क का अभाव
104	उपमान	कोई सुसंगत तर्क या तुलना नहीं
105	व्याप्ति	सार्वभौमिक नियम का अभाव

समग्र निष्कर्ष:
इन आयतों में तर्क और प्रमाण की कमी है, और उनका नैतिकता, तात्त्विक दृष्टिकोण और भारतीय दर्शन के सिद्धांतों से कोई मेल नहीं है। न्याय दर्शन के सिद्धांत, जैसे प्रमेय, प्रमाण, और तर्क, का पालन इन आयतों में नहीं किया गया है। यह विचार तात्त्विक दृष्टि से अप्रमाणित और तर्कसंगत दृष्टिकोण से कमजोर प्रतीत होते हैं।

आयत 106-110 का न्याय दर्शन के आधार पर तार्किक विश्लेषण

आयत 106

आयत का अनुवाद:
"इसमें शक नहीं कि ये यक़ीनी बड़ा सख़्त और सरीही इम्तिहान था।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमेय (Object of Knowledge)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  यह कहा गया है कि इबराहीम और इस्माईल का इम्तिहान बहुत कठिन और स्पष्ट था।

- **हेतु (Reason):**
  इम्तिहान की कठिनाई का दावा किया गया है, लेकिन इसके लिए कोई स्पष्ट तर्क या प्रमाण नहीं प्रस्तुत किया गया है। केवल यह एक बयान है जो विश्वास आधारित है, न कि किसी ठोस प्रमाण पर।

- **उदाहरण (Example):**
  अगर हम भारतीय दर्शन को देखें, तो जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि वह सच्चे योगी हैं जो स्वयं के आत्मज्ञान को समझते हैं, तो इम्तिहान की वास्तविकता का निर्धारण भीतर से आत्मज्ञान और तर्क से होता है, न कि बाहरी कठिनाइयों पर।

- **उपनया (Application):**
  न्याय दर्शन के प्रमेय के अनुसार, किसी घटना को साबित करने के लिए ठोस प्रमाण और तर्क आवश्यक होते हैं। इस आयत में कोई प्रमाण या तर्क नहीं दिया गया है, जो इसे सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य बनाता है।

- **निगमन (Conclusion):**
  इस आयत में प्रमेय का उपयोग कर इम्तिहान की कठिनाई को एक तथ्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन इसमें किसी ठोस तर्क का अभाव है।

आयत 107

आयत का अनुवाद:
"और हमने इस्माईल का फ़िदया एक ज़िबाहे अज़ीम (बड़ी कुर्बानी) क़रार दिया।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  इस आयत में कहा गया है कि इस्माईल की जगह एक बड़ी कुर्बानी (जिबाह) की गई थी।

- **हेतु (Reason):**
  यहाँ पर इस निर्णय को ख़ुदा की ओर से एक प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन यह सिर्फ धार्मिक विश्वास पर आधारित है और इसका कोई ठोस भौतिक प्रमाण नहीं है।

- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में, विशेष रूप से उपनिषदों में कहा गया है कि आत्मा और परमात्मा का एकत्व सत्य है। यदि इस्माईल के स्थान पर जो बलिदान दिया गया वह एक धार्मिक प्रतीक है, तो यह केवल सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक दृष्टिकोण से देखा जा सकता है।

- **उपनया (Application):**
  न्याय दर्शन के प्रमाण सिद्धांत के अनुसार, किसी भी धार्मिक घटना को स्वीकारने से पहले ठोस प्रमाण और तर्क की आवश्यकता होती है। यह दावा बिना किसी प्रमाण के मात्र विश्वास पर आधारित है।

- **निगमन (Conclusion):**
  इस आयत में प्रमाण का अभाव है, और यह धार्मिक विश्वास पर आधारित एक कथन है, जिसे न्याय दर्शन के आधार पर सत्य नहीं माना जा सकता।

आयत 108

आयत का अनुवाद:
"और हमने उनका अच्छा चर्चा बाद को आने वालों में बाक़ी रखा है।"

चुना गया न्याय तत्व:
व्याप्ति (Vyapti)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  इस आयत में कहा गया है कि इस्माईल और इबराहीम का अच्छा नाम आने वाली पीढ़ियों में रखा गया।

- **हेतु (Reason):**
  यह विचार प्रस्तुत किया गया है कि उनके अच्छे कार्यों की वजह से उनका नाम अगले समय में भी जीवित रहेगा।

- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय इतिहास और संस्कृति में भी महान संतों और महापुरुषों के नाम और कार्य पीढ़ी दर पीढ़ी

जीवित रहते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद का योगदान आज भी जीवित है।

- **उपनया (Application):**
  न्याय दर्शन के व्याप्ति सिद्धांत के अनुसार, किसी घटना का भविष्य में प्रभाव होना तभी उचित माना जा सकता है जब उसका प्रभाव प्रमाणित हो। यह सिद्धांत इस आयत पर पूरी तरह से लागू नहीं होता क्योंकि यह केवल एक विश्वास के आधार पर प्रस्तुत किया गया है।

- **निगमन (Conclusion):**
  इस आयत में जो दावा किया गया है वह केवल सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से है, और इसे सार्वभौमिक सत्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।

आयत 109

आयत का अनुवाद:
"कि (सारी ख़ुदायी में) इबराहीम पर सलाम (ही सलाम) हैं।"

चुना गया न्याय तत्व:
व्याप्ति (Vyapti)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  यह कहा गया है कि इबराहीम पर सलाम है।

- **हेतु (Reason):**
  सलाम देने का यह विचार धर्म और संस्कृति पर आधारित है, लेकिन इसका कोई ठोस तर्क या प्रमाण नहीं दिया गया है।

- **उदाहरण (Example):**
  भारत में भी संतों को सम्मानित करने की परंपरा है, लेकिन इसका आधार उनकी शिक्षाएँ और कार्य होते हैं, न कि केवल धार्मिक विश्वास।

- **उपनया (Application):**
  न्याय दर्शन के अनुसार, किसी का सम्मान केवल उसके कार्यों और योगदान के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि केवल धार्मिक विश्वास के आधार पर।

- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत केवल विश्वास पर आधारित सलाम है और इसे न्याय दर्शन के दृष्टिकोण से सार्वभौमिक रूप से प्रमाणित नहीं किया जा सकता है।

आयत 110

आयत का अनुवाद:
"हम यूँ नेकी करने वालों को जज़ाए ख़ैर देते हैं।"

चुना गया न्याय तत्व:
हेतु (Reason)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  यह कहा गया है कि जो लोग अच्छे कार्य करते हैं, उन्हें अच्छे परिणाम मिलते हैं।

- **हेतु (Reason):**
  यह एक सामान्य सत्य है कि अच्छे कार्यों का अच्छा परिणाम मिलता है, लेकिन इस आयत में इसे एक धार्मिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है।

- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में कर्मफल के सिद्धांत का पालन किया जाता है, जैसे कि भगवद गीता में कहा गया है कि प्रत्येक कर्म का फल निश्चित है।

- **उपनया (Application):**
  न्याय दर्शन के अनुसार, किसी अच्छे कार्य का परिणाम निश्चित रूप से अच्छा होगा, लेकिन यह केवल एक सार्वभौमिक सत्य है, जो किसी धार्मिक विश्वास से स्वतंत्र है।

- **निगमन (Conclusion):**
  इस आयत में दी गई जानकारी केवल एक सामान्य सत्य पर आधारित है, जिसे किसी विशिष्ट धार्मिक दृष्टिकोण के बिना स्वीकार किया जा सकता है।

सारणी (आयतों का तार्किक मूल्यांकन)

आयत संख्या	चुना गया तत्व	मुख्य आलोचना
106	प्रमेय	इम्तिहान की कठिनाई का दावा बिना प्रमाण के किया गया है।
107	प्रमाण	बलिदान का दावा बिना ठोस प्रमाण के है।
108	व्याप्ति	आने वाली पीढ़ियों में नाम रखने का दावा केवल विश्वास पर आधारित है।
109	व्याप्ति	इबराहीम पर सलाम का दावा केवल धार्मिक विश्वास पर आधारित है।
110	हेतु	अच्छे कार्यों का अच्छा परिणाम एक सामान्य सत्य है, जिसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है।

समग्र निष्कर्ष:

इन आयतों में प्रस्तुत विचार, जैसे इम्तिहान की कठिनाई, बलिदान का कथन, और अच्छे कार्यों का परिणाम, इन सभी को केवल विश्वास और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है। न्याय दर्शन के सिद्धांतों के अनुसार, इन दावों को प्रमाण और तर्क के आधार पर नहीं साबित किया जा सकता है।

आयत 111-115 का न्याय दर्शन के आधार पर तार्किक विश्लेषण

आयत 111

आयत का अनुवाद:
"बेशक इबराहीम हमारे (ख़ास) ईमानदार बन्दों में थे।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमेय (Object of Knowledge)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  यहाँ पर इबराहीम को "ख़ास ईमानदार बन्दे" के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

- **हेतु (Reason):**
  इबराहीम का "ख़ास ईमानदार" होना एक धार्मिक कथन है, लेकिन इसके लिए कोई तर्क या प्रमाण नहीं प्रस्तुत किया गया है। केवल यह एक विश्वास आधारित टिप्पणी है।

- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में, विशेष रूप से भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिनका आत्मज्ञान सच्चा होता है, वे ही सच्चे योगी होते हैं। इबराहीम का ईमानदार होना तभी सटीक माना जा सकता है, जब उनके कार्यों और आस्थाओं को ठोस तर्कों और प्रमाणों से प्रमाणित किया जाए।

- **उपनया (Application):**
  न्याय दर्शन के प्रमेय सिद्धांत के अनुसार, किसी व्यक्ति की विशेषता को प्रमाण और तर्क से सिद्ध किया जाना चाहिए। यह आयत बिना प्रमाण के एक व्यक्तिगत विश्वास को व्यक्त करती है।

- **निगमन (Conclusion):**
  इस आयत में प्रमेय का उपयोग कर इबराहीम की ईमानदारी को एक बयान के रूप में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन इसे कोई प्रमाण या तर्क नहीं दिया गया है।

आयत 112

आयत का अनुवाद:
"और हमने इबराहीम को इसहाक़ (के पैदा होने की) ख़ुशख़बरी दी थी।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  इस आयत में कहा गया है कि इबराहीम को इसहाक़ के पैदा होने की ख़ुशख़बरी दी गई थी।

- **हेतु (Reason):**
  इस ख़ुशख़बरी को ख़ुदा द्वारा प्रमाणित किया गया है, लेकिन इसका कोई ठोस प्रमाण या तर्क नहीं दिया गया है।

- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में शास्त्रों के भीतर भविष्यवाणियाँ और ख़ुशख़बरी का कोई भी दावा प्रमाणित करने के लिए अनुभूत प्रमाण और तर्कों पर आधारित होना चाहिए।

- **उपनया (Application):**
  न्याय दर्शन के प्रमाण सिद्धांत के अनुसार, भविष्यवाणियाँ और ख़ुशख़बरी केवल विश्वास पर आधारित नहीं हो सकतीं; इन्हें प्रमाण और तर्क द्वारा सिद्ध किया जाना चाहिए।

- **निगमन (Conclusion):**
  इस आयत में ख़ुशख़बरी का दावा बिना किसी ठोस प्रमाण के किया गया है, जो इसे न्याय दर्शन के दृष्टिकोण से साबित नहीं करता है।

आयत 113

आयत का अनुवाद:
"जो एक नेकोसार नबी थे और हमने ख़ुद इबराहीम पर और इसहाक़ पर अपनी बरकत नाज़िल की और इन दोनों की नस्ल में बाज़ तो नेकोकार और बाज़ (नाफरमानी करके) अपनी जान पर सरीही सितम ढ़ाने वाला।"

चुना गया न्याय तत्व:
व्याप्ति (Vyapti)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  यहाँ पर इबराहीम और इसहाक़ की नस्ल में अच्छे और बुरे लोग होने का उल्लेख किया गया है।

- **हेतु (Reason):**
  यह विचार प्रस्तुत किया गया है कि उनकी नस्ल में अच्छे और बुरे लोग हैं, लेकिन इसके लिए कोई स्पष्ट तर्क या प्रमाण नहीं दिया गया है।

- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में, विशेष रूप से भगवद गीता में कहा गया है कि हर व्यक्ति के कर्मों का फल उसके अनुसार होता है। लेकिन यह आयत इसे केवल विश्वास और धार्मिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करती है।

- **उपनया (Application):**
 न्याय दर्शन के व्याप्ति सिद्धांत के अनुसार, किसी तथ्य का प्रभाव तभी प्रमाणित होता है जब इसका परिणाम सत्य सिद्ध हो। यहां पर इसका प्रभाव केवल सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है, जो सार्वभौमिक सत्य के रूप में सिद्ध नहीं किया जा सकता।

- **निगमन (Conclusion):**
 इस आयत में व्याप्ति का दावा किया गया है, लेकिन इसमें कोई ठोस प्रमाण नहीं दिया गया है। इसे न्याय दर्शन के दृष्टिकोण से प्रमाणित नहीं किया जा सकता।

आयत 114

आयत का अनुवाद:
"और हमने मूसा और हारून पर बहुत से एहसानात किए हैं।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमेय (Object of Knowledge)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
 इस आयत में कहा गया है कि मूसा और हारून पर कई एहसान किए गए।

- **हेतु (Reason):**
 यह दावा ख़ुदा की ओर से किया गया है, लेकिन इसका कोई ठोस प्रमाण या तर्क नहीं दिया गया है। यह सिर्फ धार्मिक विश्वास पर आधारित है।

- **उदाहरण (Example):**
 भारतीय दर्शन में भी महापुरुषों पर परमात्मा की कृपा का उल्लेख मिलता है, जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। लेकिन यह हमेशा प्रमाणित और तर्क आधारित होता है।

- **उपनया (Application):**
 न्याय दर्शन के प्रमेय सिद्धांत के अनुसार, किसी घटना को प्रमाणित करने के लिए ठोस प्रमाण और तर्क की आवश्यकता होती है। यहां केवल एक धार्मिक बयान है, बिना किसी तर्क के।

- **निगमन (Conclusion):**
  इस आयत में प्रमेय का दावा किया गया है, लेकिन इसे कोई ठोस प्रमाण या तर्क नहीं दिया गया है, जो इसे प्रमाणित कर सके।

आयत 115

आयत का अनुवाद:
"और ख़ुद दोनों को और इनकी क़ौम को बड़ी (सख़्त) मुसीबत से नजात दी।"

चुना गया न्याय तत्व:
हेतु (Reason)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  इस आयत में कहा गया है कि मूसा और हारून को और उनकी क़ौम को बड़ी मुसीबत से मुक्ति दी गई।

- **हेतु (Reason):**
  मुसीबत से मुक्ति का दावा ख़ुदा की कृपा पर आधारित है, लेकिन इसके लिए कोई ठोस प्रमाण या तर्क नहीं दिया गया है।

- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय धर्मों में भी कठिन परिस्थितियों में भगवान की कृपा से मुक्ति प्राप्ति का उदाहरण मिलता है, जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में उपदेश दिया।

- **उपनया (Application):**
  न्याय दर्शन के अनुसार, किसी घटना को साबित करने के लिए प्रमाण और तर्क आवश्यक होते हैं। यहां पर मुक्ति का दावा केवल विश्वास और धार्मिक दृष्टिकोण पर आधारित है।

- **निगमन (Conclusion):**
  इस आयत में मुक्ति का दावा विश्वास पर आधारित है, जो इसे न्याय दर्शन के दृष्टिकोण से प्रमाणित नहीं करता है।

सारणी (आयतों का तार्किक मूल्यांकन)

आयत संख्या	चुना गया तत्व	मुख्य आलोचना
111	प्रमेय	इबराहीम की "ईमानदारी" का दावा बिना प्रमाण के है।
112	प्रमाण	ख़ुशख़बरी का दावा बिना ठोस प्रमाण के किया गया है।
113	व्याप्ति	नस्ल में अच्छे और बुरे लोगों का दावा बिना तर्क के प्रस्तुत किया गया है।
114	प्रमेय	मूसा और हारून पर एहसान का दावा बिना प्रमाण के किया गया है।
115	हेतु	मुक्ति का दावा बिना प्रमाण के विश्वास पर आधारित है।

समग्र निष्कर्ष:

इन आयतों में जो दावे किए गए हैं, जैसे इबराहीम की ईमानदारी, इसहाक़ के जन्म की ख़ुशख़बरी, एहसान और मुक्ति, ये सभी धार्मिक विश्वासों पर आधारित हैं। न्याय दर्शन के अनुसार, इन दावों को प्रमाण और तर्क द्वारा सिद्ध किया जाना चाहिए, लेकिन इनमें से कोई भी दावा प्रमाण या तर्क से समर्थित नहीं है।

आयत 116-120 का न्याय दर्शन के आधार पर तार्किक विश्लेषण

आयत 116

आयत का अनुवाद:
"और (फिरऔन के मुक़ाबले में) हमने उनकी मदद की तो (आख़िर) यही लोग ग़ालिब रहे।"

चुना गया न्याय तत्व:
हेतु (Reason)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  इस आयत में कहा गया है कि इबराहीम और उनके अनुयायियों को "ग़ालिब" (विजयी) होने के लिए

ख़ुदा ने मदद की।

- **हेतु (Reason):**
 यह दावा किया गया है कि इबराहीम और उनके अनुयायियों की विजय ख़ुदा की मदद से थी, लेकिन इसके लिए कोई ठोस प्रमाण या तर्क नहीं दिया गया है। यह एक धार्मिक विश्वास है।

- **उदाहरण (Example):**
 भारतीय दर्शन में भी भगवान द्वारा कर्मों का फल दिया जाता है, जैसे भगवद गीता में कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अगर वह सही कर्म करें, तो वे विजयी होंगे। लेकिन यह उस समय के संदर्भ में प्रमाणिक होता है, जबकि यहाँ सिर्फ एक धार्मिक विश्वास प्रस्तुत किया गया है।

- **उपनया (Application):**
 न्याय दर्शन के अनुसार, कोई भी दावा तभी सही माना जाता है जब वह प्रमाणित किया जाए। इस आयत में दावा किया गया है कि विजय केवल ख़ुदा की मदद से हुई, लेकिन इसे प्रमाणित करने के लिए कोई ठोस तर्क नहीं प्रस्तुत किया गया है।

- **निगमन (Conclusion):**
 इस आयत में विजय का दावा ख़ुदा की मदद पर आधारित है, लेकिन यह बिना किसी तर्क या प्रमाण के किया गया है। इसलिए इसे न्याय दर्शन के दृष्टिकोण से सिद्ध नहीं किया जा सकता।

आयत 117

आयत का अनुवाद:
"और हमने उन दोनों को एक वाज़ेए उलम तालिब किताब (तौरेत) अता की।"

चुना गया न्याय तत्व:
 प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
 यहाँ यह कहा गया है कि मूसा और हारून को तौरेत (किताब) दी गई थी।

- **हेतु (Reason):**
 इस दावे के लिए कोई ठोस प्रमाण नहीं प्रस्तुत किया गया है। केवल यह एक धार्मिक कथन है।

- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में भी शास्त्रों के अंदर, विशेष रूप से वेदों और उपनिषदों में, एक प्रमाणित सत्य प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन यहाँ पर तौरेत की बात केवल विश्वास और धार्मिक कथन के रूप में की गई है।

- **उपनया (Application):**
  न्याय दर्शन के अनुसार, किसी बात को प्रमाणित करने के लिए उसे प्रमाण और तर्क द्वारा सिद्ध करना आवश्यक होता है। यह आयत सिर्फ एक धार्मिक कथन है, जिसमें किसी तरह का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया।

- **निगमन (Conclusion):**
  इस आयत में तौरेत के दिए जाने का दावा किया गया है, लेकिन इसे प्रमाणित करने के लिए कोई ठोस तर्क या प्रमाण नहीं दिया गया है।

आयत 118

आयत का अनुवाद:
"और दोनों को सीधी राह की हिदायत फ़रमाई।"

चुना गया न्याय तत्व:
हेतु (Reason)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  इस आयत में कहा गया है कि मूसा और हारून को सीधी राह की हिदायत दी गई।

- **हेतु (Reason):**
  यह दावा ख़ुदा की ओर से हिदायत देने का है, लेकिन इसके लिए कोई तर्क या प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में गुरु के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने और सही राह पर चलने का उदाहरण है। जैसे भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का सही मार्ग दिखाया। इसी तरह हिदायत का

दावा प्रमाण और तर्क से समर्थित होना चाहिए।

- **उपनया (Application):**
 न्याय दर्शन के अनुसार, कोई दावा तभी सही होता है जब उसके पीछे प्रमाण और तर्क हो। यहाँ पर हिदायत का दावा केवल विश्वास पर आधारित है, जिसे प्रमाण से सिद्ध किया जाना चाहिए।

- **निगमन (Conclusion):**
 इस आयत में हिदायत देने का दावा ख़ुदा की ओर से किया गया है, लेकिन इसे बिना प्रमाण या तर्क के प्रस्तुत किया गया है।

आयत 119

आयत का अनुवाद:
"और बाद को आने वालों में उनका ज़िक्रे ख़ैर बाक़ी रखा।"

चुना गया न्याय तत्व:
व्याप्ति (Vyapti)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
 इस आयत में कहा गया है कि मूसा और हारून का "ज़िक्रे ख़ैर" आने वाली पीढ़ियों में बचा रहेगा।

- **हेतु (Reason):**
 यह दावा किया गया है कि मूसा और हारून का जिक्र हमेशा रहेगा, लेकिन इसके लिए कोई ठोस प्रमाण या तर्क नहीं दिया गया है।

- **उदाहरण (Example):**
 भारतीय दर्शन में कहा जाता है कि महापुरुषों का कर्म और उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहता है, जैसे श्री कृष्ण और राम के कार्यों का जिक्र आज भी होता है। लेकिन इस आयत में इसका कोई प्रमाण या तर्क नहीं दिया गया है।

- **उपनया (Application):**
 न्याय दर्शन के व्याप्ति सिद्धांत के अनुसार, किसी घटना का प्रभाव तभी प्रमाणित होता है जब वह प्रभाव सत्य सिद्ध हो। यहाँ पर मूसा और हारून के जिक्र का दावा केवल विश्वास पर आधारित है।

- **निगमन (Conclusion):**
  इस आयत में मूसा और हारून के ज़िक्र के बचने का दावा किया गया है, लेकिन इसे बिना प्रमाण या तर्क के किया गया है।

आयत 120

आयत का अनुवाद:
"कि (हर जगह) मूसा और हारून पर सलाम (ही सलाम) है।"

चुना गया न्याय तत्व:
व्याप्ति (Vyapti)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  इस आयत में कहा गया है कि "मूसा और हारून पर सलाम है," जो एक प्रकार का आदर और सम्मान है।

- **हेतु (Reason):**
  यह दावा किया गया है कि मूसा और हारून पर सलाम हमेशा रहेगा, लेकिन इसे किसी ठोस प्रमाण या तर्क से समर्थन नहीं किया गया है।

- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में महापुरुषों का सम्मान किया जाता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण और राम के प्रति श्रद्धा। लेकिन इस आयत में यह दावा बिना किसी ठोस आधार या प्रमाण के किया गया है।

- **उपनया (Application):**
  न्याय दर्शन के व्याप्ति सिद्धांत के अनुसार, किसी प्रभाव या स्थिति का प्रमाण सिद्ध होना चाहिए। यहाँ पर सलाम का दावा केवल विश्वास और सम्मान के रूप में किया गया है, जिसे प्रमाण से सिद्ध नहीं किया जा सकता।

- **निगमन (Conclusion):**
  इस आयत में सलाम का दावा केवल सम्मान के रूप में किया गया है, जो बिना प्रमाण या तर्क के प्रस्तुत किया गया है।

सारणी (आयतों का तार्किक मूल्यांकन)

आयत संख्या	चुना गया तत्व	मुख्य आलोचना
116	हेतु	विजय का दावा ख़ुदा की मदद पर आधारित है, लेकिन बिना प्रमाण के।
117	प्रमाण	तौरेत का दावा बिना तर्क या प्रमाण के किया गया है।
118	हेतु	हिदायत का दावा ख़ुदा द्वारा बिना प्रमाण के किया गया है।
119	व्याप्ति	मूसा और हारून के जिक्र का दावा बिना प्रमाण के किया गया है।
120	व्याप्ति	मूसा और हारून पर सलाम का दावा बिना प्रमाण के किया गया है।

समग्र निष्कर्षः

इन आयतों में विभिन्न दावों का आधार विश्वास और धार्मिक कथन है, लेकिन इन दावों को प्रमाण और तर्क से सिद्ध करने की आवश्यकता है। न्याय दर्शन के अनुसार, हर दावा तभी प्रमाणित होता है जब उसे तर्क और प्रमाण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

आयत 121-125 का न्याय दर्शन के आधार पर तार्किक विश्लेषण

आयत 121

आयत का अनुवादः
"हम नेकी करने वालों को यूँ जज़ाए ख़ैर अता फरमाते हैं।"

चुना गया न्याय तत्वः
हेतु (Reason)

विश्लेषण और आलोचनाः

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  इस आयत में यह कहा गया है कि ख़ुदा ने "नेकी करने वालों" को अच्छा फल (जज़ा) दिया है।

- **हेतु (Reason):**
 यह दावा किया गया है कि नेकी करने वालों को ख़ुदा अच्छा फल देता है, लेकिन यह केवल एक सामान्य धार्मिक विश्वास है, जिसका कोई ठोस प्रमाण या तर्क नहीं दिया गया है।

- **उदाहरण (Example):**
 भारतीय दर्शन में कर्म का फल देने का विचार है, जैसे भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अच्छे कर्म करने वालों को अच्छा फल मिलता है। इसी तरह यह विचार हर धर्म में पाया जाता है, लेकिन न्याय दर्शन के अनुसार, इसे सिद्ध करने के लिए तर्क और प्रमाण की आवश्यकता होती है।

- **उपनया (Application):**
 न्याय दर्शन में किसी भी कथन को सिद्ध करने के लिए प्रमाण और तर्क का होना अनिवार्य है। यहाँ केवल एक विश्वास प्रस्तुत किया गया है, बिना किसी प्रमाण के।

- **निगमन (Conclusion):**
 इस आयत में ख़ुदा द्वारा नेकी करने वालों को फल देने का दावा किया गया है, लेकिन यह बिना किसी तर्क और प्रमाण के प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह न्याय दर्शन के अनुसार सिद्ध नहीं किया जा सकता।

आयत 122

आयत का अनुवाद:
"बेशक ये दोनों हमारे (ख़ालिस ईमानदार बन्दों में से थे)।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमेय (Prameya)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
 यहाँ यह कहा गया है कि "ये दोनों" (इन्हें निर्दिष्ट नहीं किया गया है, परंतु संदर्भ से इबराहीम और इसहाक़ हो सकते हैं) ख़ुदा के "ईमानदार बंदों में से थे।"

- **हेतु (Reason):**
 यह दावा ख़ुदा के द्वारा इन दोनों को "ईमानदार" होने का है, लेकिन इसके लिए कोई ठोस प्रमाण या

तर्क नहीं दिया गया है।

- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में "ईमानदारी" या "सच्चाई" को मानवीय गुण के रूप में देखा जाता है, जिसे किसी के कर्मों और आचरण से प्रमाणित किया जाता है। लेकिन यहाँ पर यह दावा बिना किसी विश्लेषण या प्रमाण के किया गया है।

- **उपनया (Application):**
  न्याय दर्शन के अनुसार, किसी भी वस्तु (यहाँ ईमानदारी) को प्रमाणित करने के लिए उसे व्यवहारिक और तार्किक दृष्टि से सिद्ध किया जाना चाहिए। यह दावा बिना प्रमाण के किया गया है।

- **निगमन (Conclusion):**
  इस आयत में ईमानदारी का दावा किया गया है, लेकिन इसे बिना किसी प्रमाण और तर्क के प्रस्तुत किया गया है।

आयत 123

आयत का अनुवाद:
"और इसमें शक नहीं कि इलियास यक़ीनन पैग़ाम्बरों में से थे।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  इस आयत में कहा गया है कि "इलियास पैग़ाम्बर थे" और इस पर शक नहीं किया जा सकता।

- **हेतु (Reason):**
  यह दावा "इलियास के पैग़ाम्बर होने" के बारे में है, लेकिन इसके लिए कोई प्रमाण या तर्क नहीं दिया गया है।

- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में किसी महापुरुष की योग्यता या महानता को उनके कर्मों और शिक्षा से प्रमाणित किया जाता है, जैसे श्री कृष्ण और राम के जीवन से सिद्ध होता है। इस प्रकार, बिना प्रमाण या तर्क

के किसी व्यक्ति को पैग़म्बर घोषित करना न्यायिक दृष्टि से सही नहीं माना जा सकता।

- **उपनया (Application):**
 न्याय दर्शन के अनुसार, किसी व्यक्ति की महत्ता और उच्चता को प्रमाणित करने के लिए उसे व्यवहारिक और प्रमाणिक रूप से सिद्ध किया जाना चाहिए। यहाँ पर बिना प्रमाण और तर्क के इलियास को पैग़म्बर घोषित किया गया है।

- **निगमन (Conclusion):**
 इस आयत में इलियास के पैग़म्बर होने का दावा किया गया है, लेकिन इसे बिना प्रमाण और तर्क के प्रस्तुत किया गया है।

आयत 124

आयत का अनुवाद:
 "जब उन्होंने अपनी क़ौम से कहा कि तुम लोग (ख़ुदा से) क्यों नहीं डरते।"

चुना गया न्याय तत्व:
 हेतु (Reason)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
 इस आयत में इलियास अपनी क़ौम से कह रहे हैं कि वे ख़ुदा से क्यों नहीं डरते।

- **हेतु (Reason):**
 यहाँ पर इलियास द्वारा एक नैतिक प्रक्षिप्ति (ethical exhortation) की जा रही है, लेकिन यह बिना किसी प्रमाण और तर्क के किया गया है।

- **उदाहरण (Example):**
 भारतीय दर्शन में भी गुरु अपने शिष्यों को धर्म, कर्म और नैतिकता की दिशा में सही मार्गदर्शन करते हैं, जैसे कृष्ण ने अर्जुन को धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार, एक नैतिक शिक्षा का दावा प्रमाण और तर्क पर आधारित होना चाहिए।

- **उपनया (Application):**
 न्याय दर्शन के अनुसार, किसी भी नैतिक शिक्षा या निर्देश को प्रमाण और तर्क से समर्थित किया

जाना चाहिए। यहाँ पर इलियास का कथन बिना प्रमाण और तर्क के है।

- **निगमन (Conclusion):**
  इस आयत में इलियास की नैतिक शिक्षा का दावा बिना प्रमाण या तर्क के किया गया है, जिससे यह न्याय दर्शन के अनुसार सिद्ध नहीं किया जा सकता।

आयत 125

आयत का अनुवाद:
"क्या तुम लोग बाल (बुत) की परसतिश करते हो और ख़ुदा को छोड़े बैठे हो जो सबसे बेहतर पैदा करने वाला है।"

चुना गया न्याय तत्व:
हेतु (Reason)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  इस आयत में इलियास अपनी क़ौम से यह सवाल कर रहे हैं कि वे बुतों की पूजा क्यों करते हैं और ख़ुदा को छोड़ देते हैं।

- **हेतु (Reason):**
  यह प्रश्न करने से यह संकेत मिलता है कि बुतों की पूजा करना गलत है, और इसे ख़ुदा से बदलने की आवश्यकता है। यह एक धार्मिक दृष्टिकोण है, लेकिन इसका कोई तार्किक प्रमाण नहीं प्रस्तुत किया गया है।

- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में बुत पूजा या मूर्तिपूजा को लेकर विभिन्न दृष्टिकोण हैं। जैसे वेदों में एकेश्वरवाद पर जोर दिया गया है, लेकिन इस संदर्भ में किसी विशेष पूजा पद्धति को गलत या सही सिद्ध करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता है।

- **उपनया (Application):**
  न्याय दर्शन के अनुसार, किसी धार्मिक या आस्थावादी दावे को प्रमाणित करने के लिए तर्क और प्रमाण का होना आवश्यक है। इस आयत में बुत पूजा के खिलाफ एक धार्मिक वक्तव्य दिया गया है,

लेकिन इसे प्रमाणित करने के लिए कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया।

- **निगमन (Conclusion):**
 इस आयत में बुत पूजा के खिलाफ एक सवाल उठाया गया है, लेकिन इसे प्रमाण या तर्क से सिद्ध नहीं किया गया है।

सारणी (आयतों का तार्किक मूल्यांकन)

आयत संख्या	चुना गया तत्व	मुख्य आलोचना
121	हेतु	नेकी करने वालों को अच्छे फल का दावा बिना प्रमाण के किया गया है।
122	प्रमाण	ईमानदारी का दावा बिना प्रमाण के किया गया है।
123	प्रमाण	इलियास के पैग़म्बर होने का दावा बिना प्रमाण के किया गया है।
124	हेतु	इलियास का नैतिक निर्देश बिना प्रमाण या तर्क के है।
125	हेतु	बुत पूजा के खिलाफ सवाल बिना प्रमाण के किया गया है।

समग्र निष्कर्ष:

इन आयतों में विभिन्न धार्मिक दावे और नैतिक शिक्षाएँ प्रस्तुत की गई हैं, लेकिन इन दावों को प्रमाणित करने के लिए कोई ठोस तर्क या प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। न्याय दर्शन के अनुसार, किसी भी दावे को सिद्ध करने के लिए तर्क और प्रमाण की आवश्यकता होती है, जो इन आयतों में अनुपस्थित है।

आयत 126-130 का न्याय दर्शन के आधार पर तार्किक विश्लेषण

आयत 126

आयत का अनुवाद:
 "और (जो) तुम्हारा परवरदिगार और तुम्हारे अगले बाप दादाओं का (भी) परवरदिगार है।"

चुना गया न्याय तत्व:
 प्रमेय (Prameya)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  यहाँ पर यह कहा गया है कि "तुम्हारा परवरदिगार और तुम्हारे बाप-दादाओं का परवरदिगार वही है।"

- **हेतु (Reason):**
  यह दावा किया जा रहा है कि बाप-दादाओं का परवरदिगार वही है, जो वर्तमान पीढ़ी का परवरदिगार है, लेकिन इसे प्रमाणित करने के लिए कोई ठोस तर्क नहीं दिया गया है।

- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में परमात्मा या ईश्वर का निरंतर अस्तित्व माना जाता है, लेकिन किसी के बाप-दादाओं से इस अस्तित्व का संबंध स्थापित करने के लिए तर्क और प्रमाण की आवश्यकता है, न कि केवल वंशानुगत विश्वासों पर आधारित विचार।

- **उपनया (Application):**
  न्याय दर्शन के अनुसार, किसी भी दावे को प्रमाण और तर्क से सिद्ध किया जाना चाहिए। यहाँ पर कोई प्रमाण या तर्क नहीं दिया गया है कि बाप-दादाओं का परवरदिगार वही है जो वर्तमान पीढ़ी का है।

- **निगमन (Conclusion):**
  यह दावा बिना तर्क या प्रमाण के किया गया है, जिससे यह न्याय दर्शन के अनुसार सिद्ध नहीं किया जा सकता।

आयत 127

आयत का अनुवाद:
"तो उसे लोगों ने झुठला दिया तो ये लोग यक़ीनन (जहन्नुम) में गिरफ्तार किए जाएँगे।"

चुना गया न्याय तत्व:
हेतु (Reason)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  यह दावा किया गया है कि जो लोग "उसे" (ख़ुदा या ईश्वर) झुठलाते हैं, वे जहन्नुम में जाएंगे।

- **हेतु (Reason):**
  यह दावा किया गया है कि झूठ बोलने वालों को निश्चित रूप से नर्क मिलेगा, लेकिन यह बिना किसी प्रमाण और तर्क के है।

- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में कर्मफल का सिद्धांत है, जिसमें अच्छे कर्म करने वालों को स्वर्ग और बुरे कर्म करने वालों को नर्क का फल मिलता है। लेकिन इस सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए तर्क की आवश्यकता होती है।

- **उपनया (Application):**
  न्याय दर्शन में किसी भी दावे को प्रमाणित करने के लिए तर्क और प्रमाण की आवश्यकता होती है। यहाँ पर यह दावा किया गया है कि झूठ बोलने वाले निश्चित रूप से नर्क में जाएंगे, लेकिन इसे प्रमाणित करने के लिए कोई तर्क नहीं दिया गया है।

- **निगमन (Conclusion):**
  यह दावा बिना किसी प्रमाण और तर्क के प्रस्तुत किया गया है, जो न्याय दर्शन के अनुसार उचित नहीं है।

आयत 128

आयत का अनुवाद:
"मगर ख़ुदा के निरे खरे बन्दे महफ़ूज़ रहेंगे।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमेय (Prameya)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  यहाँ पर कहा गया है कि ख़ुदा के "निरे खरे बन्दे" सुरक्षित रहेंगे।

- **हेतु (Reason):**
  यह दावा किया गया है कि ख़ुदा के सच्चे बंदे सुरक्षित रहेंगे, लेकिन यह दावा बिना किसी प्रमाण या तर्क के किया गया है।

- **उदाहरण (Example):**
 भारतीय दर्शन में भक्त और ईश्वर के संबंध को महत्व दिया गया है, और माना जाता है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। लेकिन इस प्रकार के दावे को सिद्ध करने के लिए तर्क और प्रमाण आवश्यक होते हैं।

- **उपनया (Application):**
 न्याय दर्शन के अनुसार, किसी भी दावे को प्रमाण और तर्क से सिद्ध किया जाना चाहिए। यहाँ पर बिना किसी प्रमाण और तर्क के यह दावा किया गया है कि ख़ुदा के सच्चे बंदे सुरक्षित रहेंगे।

- **निगमन (Conclusion):**
 यह दावा बिना तर्क और प्रमाण के किया गया है, जो न्याय दर्शन के अनुसार सिद्ध नहीं किया जा सकता।

आयत 129

आयत का अनुवाद:
"और हमने उनका ज़िक्र ख़ैर बाद को आने वालों में बाक़ी रखा।"

चुना गया न्याय तत्व:
हेतु (Reason)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
 इस आयत में कहा गया है कि "हमने उनका ज़िक्र ख़ैर बाद को आने वालों में बाक़ी रखा।"

- **हेतु (Reason):**
 यह दावा किया गया है कि किसी व्यक्ति या समुदाय का "ज़िक्र ख़ैर" भविष्य में ज़िंदा रहेगा, लेकिन यह दावा बिना किसी ठोस प्रमाण या तर्क के किया गया है।

- **उदाहरण (Example):**
 भारतीय दर्शन में गुरु के द्वारा दी गई शिक्षा या कार्यों का प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता है, और उनके योगदान का स्मरण किया जाता है। इसी तरह, यदि किसी का कार्य और शिक्षा उच्चस्तरीय हो, तो उनका जिक्र आने वाली पीढ़ियों में होता है।

- **उपनया (Application):**
  न्याय दर्शन के अनुसार, किसी के कार्यों या योगदान का ज़िक्र स्थायी रूप से होने के लिए यह साबित करना आवश्यक होता है कि यह वास्तव में सत्य है और इसके परिणामस्वरूप सकारात्मक प्रभाव हुआ है।

- **निगमन (Conclusion):**
  इस आयत में ज़िक्र ख़ैर रखने का दावा किया गया है, लेकिन इसे प्रमाणित करने के लिए कोई तर्क या प्रमाण नहीं दिया गया है।

आयत 130

आयत का अनुवाद:
"कि (हर तरफ से) आले यासीन पर सलाम (ही सलाम) है।"

चुना गया न्याय तत्व:
हेतु (Reason)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  इस आयत में यह कहा गया है कि "आले यासीन" पर सलाम है।

- **हेतु (Reason):**
  यह दावा किया गया है कि "आले यासीन" पर सलाम है, लेकिन इसके कारण या तर्क का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में महात्माओं और सिद्ध पुरुषों को सम्मान देने की परंपरा है, लेकिन उन्हें सम्मान देने का कारण उनकी उच्चता और उनके कर्मों में निहित होता है।

- **उपनया (Application):**
  न्याय दर्शन के अनुसार, किसी को सम्मानित या सलाम करने के लिए इसे सिद्ध करना होता है कि वह व्यक्ति या समूह योग्य है। यहाँ पर बिना तर्क और प्रमाण के "आले यासीन" पर सलाम का दावा किया गया है।

- **निगमन (Conclusion):**
 इस आयत में "आले यासीन" पर सलाम का दावा किया गया है, लेकिन इसे प्रमाणित करने के लिए कोई तर्क या कारण नहीं दिया गया है।

सारणी (आयतों का तार्किक मूल्यांकन)

आयत संख्या	चुना गया तत्व	मुख्य आलोचना
126	प्रमेय	बाप-दादाओं के परवरदिगार को वर्तमान पीढ़ी के परवरदिगार से जोड़ने का दावा बिना प्रमाण के किया गया है।
127	हेतु	झूठ बोलने वालों को नर्क में जाने का दावा बिना प्रमाण के किया गया है।
128	प्रमेय	ख़ुदा के सच्चे बंदों के सुरक्षित रहने का दावा बिना प्रमाण के किया गया है।
129	हेतु	ज़िक्र ख़ैर का दावा बिना प्रमाण और तर्क के किया गया है।
130	हेतु	"आले यासीन" पर सलाम का दावा बिना प्रमाण और तर्क के किया गया है।

समग्र निष्कर्ष:

इन आयतों में ख़ुदा और उसके सिद्धांतों से जुड़े कई दावे किए गए हैं, लेकिन इन दावों को प्रमाणित करने के लिए कोई ठोस तर्क या प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। न्याय दर्शन के अनुसार, किसी भी दावे को सिद्ध करने के लिए तर्क और प्रमाण की आवश्यकता होती है, जो इन आयतों में अनुपस्थित है।

आयत 131-135 का न्याय दर्शन के आधार पर तार्किक विश्लेषण

आयत 131

आयत का अनुवाद:
 "हम यक़ीनन नेकी करने वालों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं।"

चुना गया न्याय तत्व:
 हेतु (Reason)

विश्लेषण और आलोचना:

- प्रतिज्ञा (Proposition):
  इस आयत में यह दावा किया गया है कि "नेकी करने वालों को बदला दिया जाता है।"

- हेतु (Reason):
  यह दावा किया गया है कि अच्छे कर्म करने वालों को बदला मिलता है, लेकिन यह दावा बिना किसी ठोस प्रमाण या तर्क के किया गया है।

- उदाहरण (Example):
  भारतीय दर्शन में कर्मफल का सिद्धांत है, जिसमें अच्छे कर्म करने वालों को अच्छा फल और बुरे कर्म करने वालों को बुरा फल मिलता है। लेकिन इसे प्रमाणित करने के लिए प्रमाण और तर्क की आवश्यकता होती है।

- उपनया (Application):
  न्याय दर्शन के अनुसार, किसी भी दावे को प्रमाणित करने के लिए तर्क और प्रमाण की आवश्यकता होती है। यहाँ पर यह दावा किया गया है कि अच्छे कर्म करने वालों को बदला मिलता है, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं प्रस्तुत किया गया है।

- निगमन (Conclusion):
  यह दावा बिना तर्क और प्रमाण के किया गया है, जो न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाणित नहीं किया जा सकता।

आयत 132

आयत का अनुवाद:
"बेशक वह हमारे (ख़ालिस) ईमानदार बन्दों में थे।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमेय (Prameya)

विश्लेषण और आलोचना:

- प्रतिज्ञा (Proposition):
  इस आयत में कहा गया है कि लूत (अलैहिस्सलाम) ईमानदार बंदों में थे।

- **हेतु (Reason):**
  यह दावा किया गया है कि लूत (अलैहिस्सलाम) ईमानदार थे, लेकिन इसे प्रमाणित करने के लिए कोई ठोस तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया है।

- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में सत्य और ईमानदारी को सर्वोत्तम गुण माना गया है, लेकिन किसी व्यक्ति को "ईमानदार" ठहराने के लिए उनके कार्यों और आचरण का मूल्यांकन किया जाता है।

- **उपनया (Application):**
  न्याय दर्शन के अनुसार, किसी के ईमानदार होने का प्रमाण उनके कार्यों से आना चाहिए। यहाँ पर इस व्यक्ति के ईमानदार होने का दावा बिना किसी ठोस प्रमाण या तर्क के किया गया है।

- **निगमन (Conclusion):**
  यह दावा बिना प्रमाण के प्रस्तुत किया गया है, जो न्याय दर्शन के अनुसार सही नहीं है।

आयत 133

आयत का अनुवाद:
"और इसमें भी शक नहीं कि लूत यक़ीनी पैग़म्बरों में से थे।"

चुना गया न्याय तत्व:
हेतु (Reason)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  यहाँ पर यह कहा गया है कि लूत पैग़म्बर थे।

- **हेतु (Reason):**
  यह दावा किया गया है कि लूत (अलैहिस्सलाम) पैग़म्बर थे, लेकिन इसके लिए कोई तर्क या प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में सत्य और धर्म के पालन को पैग़म्बरी के संकेत के रूप में देखा जाता है, लेकिन किसी को पैग़म्बर मानने के लिए उनके कार्य और सिद्धांतों का मूल्यांकन किया जाता है।

- **उपनया (Application):**
  न्याय दर्शन के अनुसार, किसी को पैग़म्बर मानने के लिए उनके संदेश और कार्यों का प्रमाण होना चाहिए। यहाँ पर लूत (अलैहिस्सलाम) को पैग़म्बर मानने का दावा बिना किसी प्रमाण और तर्क के किया गया है।

- **निगमन (Conclusion):**
  यह दावा बिना प्रमाण के किया गया है, जो न्याय दर्शन के अनुसार सिद्ध नहीं किया जा सकता।

आयत 134

आयत का अनुवाद:
"जब हमने उनको और उनके लड़के वालों सब को नजात दी।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमेय (Prameya)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  इस आयत में कहा गया है कि "हमने लूत (अलैहिस्सलाम) और उनके परिवार को नजात दी।"

- **हेतु (Reason):**
  यह दावा किया गया है कि लूत और उनके परिवार को बचाया गया, लेकिन इसके पीछे का कारण और प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में ईश्वर के कृपा के आधार पर भक्तों को बचाया जाता है, लेकिन यह तभी होता है जब कोई प्रमाण या तर्क होता है कि वे भक्त सही मार्ग पर चल रहे हैं।

- **उपनया (Application):**
  न्याय दर्शन के अनुसार, किसी भी दावे को प्रमाणित करने के लिए तर्क और प्रमाण की आवश्यकता होती है। यहाँ पर लूत (अलैहिस्सलाम) और उनके परिवार के बचने का दावा बिना प्रमाण के किया गया है।

- **निगमन (Conclusion):**
  यह दावा बिना तर्क और प्रमाण के प्रस्तुत किया गया है, जो न्याय दर्शन के अनुसार उचित नहीं है।

आयत 135

आयत का अनुवाद:
"मगर एक (उनकी) बूढ़ी बीबी जो पीछे रह जाने वालों ही में थीं।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमेय (Prameya)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  इस आयत में यह कहा गया है कि "लूत की पत्नी पीछे रह गई।"

- **हेतु (Reason):**
  यह दावा किया गया है कि लूत की पत्नी बचाई नहीं गई क्योंकि वह पीछे रह गई थीं, लेकिन इसका कारण और प्रमाण स्पष्ट नहीं है।

- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में कर्म और स्वभाव के आधार पर हर व्यक्ति की स्थिति को माना जाता है। किसी के पीछे रह जाने का कारण उनके कर्म और स्वभाव पर निर्भर करता है।

- **उपनया (Application):**
  न्याय दर्शन के अनुसार, इस दावे को सिद्ध करने के लिए यह बताना होगा कि लूत की पत्नी के पीछे रहने का कारण क्या था और क्यों वह नजात से वंचित रहीं।

- **निगमन (Conclusion):**
  यह दावा बिना तर्क और प्रमाण के प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाणित नहीं किया जा सकता।

सारणी (आयतों का तार्किक मूल्यांकन)

आयत	चुना गया	मुख्य आलोचना

संख्या	तत्व	
131	हेतु	"नेकी करने वालों को बदला" देने का दावा बिना तर्क और प्रमाण के किया गया है।
132	प्रमेय	लूत को ईमानदार ठहराने का दावा बिना प्रमाण और तर्क के किया गया है।
133	हेतु	लूत को पैग़म्बर मानने का दावा बिना तर्क और प्रमाण के किया गया है।
134	प्रमेय	लूत और उनके परिवार के बचने का दावा बिना प्रमाण और तर्क के किया गया है।
135	प्रमेय	लूत की पत्नी के पीछे रह जाने का दावा बिना तर्क और प्रमाण के किया गया है।

समग्र निष्कर्ष:

इन आयतों में लूत (अलैहिस्सलाम) और उनके परिवार से संबंधित कई दावे किए गए हैं, लेकिन इन दावों को प्रमाणित करने के लिए कोई ठोस तर्क या प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। न्याय दर्शन के अनुसार, किसी भी दावे को सिद्ध करने के लिए प्रमाण और तर्क की आवश्यकता होती है, जो इन आयतों में अनुपस्थित है।

आयत 136-140 का न्याय दर्शन के आधार पर तार्किक विश्लेषण

आयत 136

आयत का अनुवाद:
"फिर हमने बाक़ी लोगों को तबाह व बर्बाद कर दिया।"

चुना गया न्याय तत्व:
हेतु (Reason)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  इस आयत में यह दावा किया गया है कि "बाकी लोगों को तबाह और बर्बाद कर दिया गया।"

- **हेतु (Reason):**
  यह दावा किया गया है कि बाकी लोग बर्बाद हो गए, लेकिन इसके पीछे का कारण या तर्क स्पष्ट नहीं किया गया है। क्यों और किस आधार पर उन लोगों को बर्बाद किया गया, इस बारे में कोई साक्ष्य या तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया है।

- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में किसी समुदाय या समूह का पतन या नाश उसके कर्मों, स्वभाव या गलत कार्यों पर निर्भर करता है। लेकिन यह सिद्ध करना कि किसी समूह को बिना कारण बर्बाद कर दिया गया, यह तर्क के खिलाफ है।

- **उपनया (Application):**
  न्याय दर्शन के अनुसार, किसी भी दावे का प्रमाण तर्क और कारण पर आधारित होना चाहिए। यहाँ पर यह दावा किया गया है कि बाकी लोग बर्बाद हो गए, लेकिन इसके लिए कोई प्रमाण या तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया।

- **निगमन (Conclusion):**
  यह दावा बिना तर्क और प्रमाण के किया गया है, जो न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाणित नहीं किया जा सकता है।

आयत 137

आयत का अनुवाद:
"और ऐ एहले मक्का तुम लोग भी उन पर से (कभी) सुबह को और (कभी) शाम को (आते जाते गुज़रते हो)।"

चुना गया न्याय तत्व:
व्यापति (Vyapti)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  इस आयत में यह कहा गया है कि "तुम लोग मक्का में उन पर से गुजरते हो।"

- **हेतु (Reason):**
  यह दावा किया गया है कि लोग मक्का में उन पर से गुज़रते हैं, लेकिन इस कथन से कोई तर्क या कारण नहीं जुड़ा है। यह केवल एक घटना का उल्लेख है, लेकिन इसे साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में एक व्यक्ति की यात्रा या यात्रा के दौरान किसी स्थान पर आवागमन का उल्लेख किया जाता है, लेकिन इसे किसी खास परिणाम से जोड़ने के लिए और अधिक साक्ष्य की आवश्यकता होती है।

- **उपनया (Application):**
  न्याय दर्शन के अनुसार, यह कथन केवल एक भौतिक घटना का उल्लेख है, जिसका कोई तर्क या कारण नहीं दिया गया है।

- **निगमन (Conclusion):**
  यह दावा बिना कारण या तर्क के किया गया है और इसलिए न्याय दर्शन के अनुसार इसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता है।

आयत 138

आयत का अनुवाद:
"तो क्या तुम (इतना भी) नहीं समझते?"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  इस आयत में यह सवाल किया गया है कि "क्या तुम नहीं समझते?"

- **हेतु (Reason):**
  यह सवाल पूछा गया है कि क्या लोग समझते नहीं हैं, लेकिन इसे प्रमाणित करने के लिए कोई ठोस कारण या तर्क नहीं दिया गया है।

- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में यह माना जाता है कि व्यक्ति को उसके कर्मों के आधार पर परिणाम मिलते हैं, और इसके लिए विचारशीलता और विवेक की आवश्यकता होती है। लेकिन सवाल पूछने के लिए पहले इसका प्रमाण और तर्क देना आवश्यक है।

- **उपनया (Application):**
  न्याय दर्शन के अनुसार, जब सवाल किया जाता है तो उसके पीछे का कारण स्पष्ट होना चाहिए। यह सवाल केवल पूछने के लिए किया गया है, लेकिन इसके लिए तर्क या प्रमाण नहीं दिया गया है।

- **निगमन (Conclusion):**
  यह सवाल बिना तर्क और प्रमाण के किया गया है, जिससे यह न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाणित नहीं किया जा सकता।

आयत 139

आयत का अनुवाद:
"और इसमें शक नहीं कि यूनुस (भी) पैग़म्बरों में से थे।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमेय (Prameya)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  इस आयत में यह कहा गया है कि "यूनुस पैग़म्बर थे।"

- **हेतु (Reason):**
  यह दावा किया गया है कि यूनुस पैग़म्बर थे, लेकिन इसके लिए कोई ठोस प्रमाण या तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया है।

- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में किसी व्यक्ति को पैग़म्बर मानने के लिए उनके कार्यों और सिद्धांतों का मूल्यांकन किया जाता है। बिना प्रमाण और तर्क के केवल शब्दों पर विश्वास नहीं किया जा सकता।

- **उपनया (Application):**
 न्याय दर्शन के अनुसार, किसी को पैग़म्बर मानने के लिए उनके कार्य और सिद्धांतों का प्रमाण होना चाहिए। इस आयत में बिना किसी प्रमाण के केवल यूनुस को पैग़म्बर मानने का दावा किया गया है।

- **निगमन (Conclusion):**
 यह दावा बिना प्रमाण के किया गया है, जो न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाणित नहीं किया जा सकता।

आयत 140

आयत का अनुवाद:
"(वह वक़्त याद करो) जब यूनुस भाग कर एक भरी हुयी कश्ती के पास पहुँचे।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
 इस आयत में यह बताया गया है कि यूनुस (अलैहिस्सलाम) एक कश्ती के पास पहुंचे।

- **हेतु (Reason):**
 यह दावा किया गया है कि यूनुस कश्ती में सवार हुए, लेकिन इसका कोई प्रमाण या तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया है।

- **उदाहरण (Example):**
 भारतीय दर्शन में किसी घटना का उल्लेख करते समय, उसे प्रमाणित करने के लिए तर्क की आवश्यकता होती है। केवल किसी घटना का उल्लेख करना पर्याप्त नहीं होता।

- **उपनया (Application):**
 न्याय दर्शन के अनुसार, किसी घटना के घटित होने का दावा करते समय उसे प्रमाणित करना चाहिए। इस आयत में यह घटना केवल उल्लेखित की गई है, बिना प्रमाण के।

- **निगमन (Conclusion):**
 यह दावा बिना प्रमाण के किया गया है, जो न्याय दर्शन के अनुसार सिद्ध नहीं किया जा सकता।

सारणी (आयतों का तार्किक मूल्यांकन)

आयत संख्या	चुना गया तत्व	मुख्य आलोचना
136	हेतु	”बाकी लोगों को बर्बाद कर दिया” का दावा बिना तर्क और प्रमाण के किया गया।
137	व्यापति	”तुम लोग मक्का में उन पर से गुजरते हो” का दावा बिना तर्क और प्रमाण के किया गया।
138	प्रमाण	”क्या तुम नहीं समझते?” का सवाल बिना प्रमाण या तर्क के किया गया।
139	प्रमेय	यूनुस को पैग़म्बर मानने का दावा बिना प्रमाण के किया गया।
140	प्रमाण	यूनुस के कश्ती में सवार होने का दावा बिना प्रमाण के किया गया।

समग्र निष्कर्ष:

इन आयतों में विभिन्न घटनाओं और व्यक्तियों के बारे में दावा किया गया है, लेकिन इन दावों को प्रमाणित करने के लिए कोई ठोस तर्क या प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। न्याय दर्शन के अनुसार, किसी भी दावे को प्रमाणित करने के लिए तर्क और प्रमाण आवश्यक हैं, जो इन आयतों में अनुपस्थित हैं।

आयत 141-145 का न्याय दर्शन के आधार पर तार्किक विश्लेषण

आयत 141

आयत का अनुवाद:
”तो (एहले कश्ती ने) कुरआ डाला तो (उनका ही नाम निकला) यूनुस ने ज़क उठायी (और दरिया में गिर पड़े)।”

चुना गया न्याय तत्व:
हेतु (Reason)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
 इस आयत में यह कहा गया है कि यूनुस दरिया में गिर पड़े क्योंकि कश्ती के लोगों ने कुराअ डालने पर उनका नाम निकाला।
- **हेतु (Reason):**
 इस घटना का कारण कुराअ डालने को बताया गया है, लेकिन इसके पीछे कोई स्पष्ट तर्क या कारण नहीं दिया गया है। क्यों कुराअ डालने से यूनुस दरिया में गिर पड़े, यह अस्पष्ट है।
- **उदाहरण (Example):**
 भारतीय दर्शन में किसी घटना का कारण स्पष्ट रूप से दिखाया जाता है। केवल किसी विशेष घटना को जोड़ने से उस घटना का सही कारण साबित नहीं हो सकता।
- **उपनया (Application):**
 न्याय दर्शन के अनुसार, किसी घटना का कारण प्रस्तुत करते वक्त यह महत्वपूर्ण है कि उसे उचित तर्क और प्रमाणों से जोड़ा जाए। इस आयत में घटना के पीछे कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- **निगमन (Conclusion):**
 इस आयत में घटना का कारण बिना तर्क के प्रस्तुत किया गया है, जो न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाणित नहीं किया जा सकता।

आयत 142

आयत का अनुवाद:
"तो उनको एक मछली निगल गयी और यूनुस ख़ुद (अपनी) मलामत कर रहे थे।"

चुना गया न्याय तत्व:
 प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
 इस आयत में यह कहा गया है कि यूनुस को मछली ने निगल लिया और वह अपनी स्थिति पर मलामत कर रहे थे।

- **हेतु (Reason):**
  इस घटना का विवरण दिया गया है, लेकिन इसका प्रमाण या कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह केवल एक घटना का उल्लेख है।

- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में किसी घटना का स्पष्ट प्रमाण या तर्क प्रस्तुत किया जाता है। केवल एक घटना का उल्लेख करना बिना प्रमाण के न मान्य होता है।

- **उपनया (Application):**
  न्याय दर्शन के अनुसार, जब किसी घटना का विवरण किया जाए, तो उसका प्रमाण और तर्क प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस आयत में केवल घटना का उल्लेख है, लेकिन इसका कोई प्रमाण या तर्क नहीं दिया गया है।

- **निगमन (Conclusion):**
  इस आयत में घटना का वर्णन किया गया है, लेकिन बिना प्रमाण और तर्क के इसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता है।

आयत 143

आयत का अनुवाद:
"फिर अगर यूनुस (ख़ुदा की) तसबीह (व ज़िक्र) न करते।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  इस आयत में यह कहा गया है कि अगर यूनुस ख़ुदा की तसबीह नहीं करते, तो वह मछली के पेट में क़यामत तक रहते।

- **हेतु (Reason):**
  यह दावा किया गया है कि केवल तसबीह करने से यूनुस को मछली के पेट से निकाला गया, लेकिन इस प्रक्रिया का प्रमाण या तर्क नहीं दिया गया है।

- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में किसी परिणाम के लिए तर्क और प्रमाण प्रस्तुत किए जाते हैं। केवल किसी क्रिया को जोड़ने से परिणाम का प्रमाण नहीं मिलता।

- **उपनया (Application):**
  न्याय दर्शन के अनुसार, जब किसी परिणाम का दावा किया जाता है, तो उस परिणाम तक पहुँचने का तर्क और प्रमाण आवश्यक है। इस आयत में इस बारे में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं दिया गया है।

- **निगमन (Conclusion):**
  यह दावा बिना प्रमाण के किया गया है, जो न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाणित नहीं किया जा सकता।

आयत 144

आयत का अनुवाद:
"तो रोज़े क़यामत तक मछली के पेट में रहते।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमेय (Prameya)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  इस आयत में यह कहा गया है कि यूनुस क़यामत तक मछली के पेट में रहते।

- **हेतु (Reason):**
  इस घटना के बारे में कहा गया है कि अगर यूनुस तसबीह नहीं करते, तो वह मछली के पेट में क़यामत तक रहते।

- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में किसी घटना का परिणाम उसकी स्थिति या कारण के आधार पर तय होता है, और इसे साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस कथन में इसका कोई प्रमाण या स्पष्ट तर्क नहीं दिया गया है।

- **उपनया (Application):**
  न्याय दर्शन के अनुसार, किसी घटना के परिणाम का दावा करते वक्त, उसे प्रमाणित करने के लिए

तर्क की आवश्यकता होती है। इस आयत में इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं दिया गया है।

- **निगमन (Conclusion):**
  यह दावा बिना तर्क या प्रमाण के किया गया है, जो न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाणित नहीं किया जा सकता है।

आयत 145

आयत का अनुवाद:
"फिर हमने उनको (मछली के पेट से निकाल कर) एक खुले मैदान में डाल दिया।"

चुना गया न्याय तत्व:
हेतु (Reason)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  इस आयत में यह कहा गया है कि यूनुस को मछली के पेट से निकालकर खुले मैदान में डाल दिया गया।

- **हेतु (Reason):**
  यह घटना केवल एक घटना का उल्लेख है, लेकिन इसके पीछे का कारण और तर्क स्पष्ट नहीं किया गया है।

- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में किसी घटना को जोड़ने के लिए तर्क और कारण आवश्यक होते हैं। इस आयत में केवल घटना का उल्लेख है, लेकिन इसका कोई कारण या तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया है।

- **उपनया (Application):**
  न्याय दर्शन के अनुसार, किसी घटना का विवरण करते समय, इसका कारण और तर्क प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस आयत में केवल एक घटना का उल्लेख किया गया है, लेकिन कोई तर्क या कारण नहीं दिया गया।

- **निगमन (Conclusion):**
  यह घटना बिना तर्क और प्रमाण के प्रस्तुत की गई है, जो न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाणित नहीं की

जा सकती।

सारणी (आयतों का तार्किक मूल्यांकन)

आयत संख्या	चुना गया तत्व	मुख्य आलोचना
141	हेतु	"कश्ती में कुराअ डालने से यूनुस गिर पड़े" का दावा बिना तर्क के किया गया।
142	प्रमाण	"यूनुस को मछली ने निगल लिया" का दावा बिना प्रमाण के किया गया।
143	प्रमाण	"अगर तसबीह नहीं करते तो क़यामत तक मछली के पेट में रहते" का दावा बिना प्रमाण के किया गया।
144	प्रमेय	"क़यामत तक मछली के पेट में रहते" का दावा बिना प्रमाण के किया गया।
145	हेतु	"यूनुस को खुले मैदान में डाला गया" का दावा बिना तर्क के किया गया।

समग्र निष्कर्ष:

इन आयतों में यूनुस की घटनाओं का वर्णन किया गया है, लेकिन इनमें तर्क और प्रमाण की कमी है। न्याय दर्शन के अनुसार, किसी भी घटना का दावा करते वक्त उसे प्रमाणित करना आवश्यक होता है। इन आयतों में केवल घटनाओं का उल्लेख है, लेकिन इनका कोई ठोस प्रमाण या तर्क नहीं दिया गया है। इसलिए ये दावा न्याय दर्शन के दृष्टिकोण से प्रमाणित नहीं किए जा सकते हैं।

आयत 146-150 का न्याय दर्शन के आधार पर तार्किक विश्लेषण

आयत 146

आयत का अनुवाद:
"और (वह थोड़ी देर में) बीमार निढाल हो गए थे और हमने उन पर साये के लिए एक कद्दू का दरख़्त उगा दिया।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमेय (Prameya)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  इस आयत में यह कहा गया है कि किसी व्यक्ति की बीमार स्थिति में कद्दू का दरख़्त उगाया गया था ताकि उस पर साया हो सके।

- **हेतु (Reason):**
  कद्दू के दरख़्त के उगने का कारण बीमारी से राहत के लिए साया होना बताया गया है, लेकिन इसके बीच कोई स्पष्ट तर्क या वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।

- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में किसी घटना या प्रक्रिया का कारण स्पष्ट और प्रमाणित किया जाता है, जबकि इस आयत में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है।

- **उपनया (Application):**
  न्याय दर्शन के अनुसार, किसी प्रक्रिया या घटना का कारण स्पष्ट रूप से बताना और उसे प्रमाणित करना आवश्यक होता है। इस आयत में इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं दिया गया।

- **निगमन (Conclusion):**
  इस आयत में बिना तर्क और प्रमाण के दावा किया गया है, जो न्याय दर्शन के दृष्टिकोण से प्रमाणित नहीं किया जा सकता।

आयत 147

आयत का अनुवाद:
"और (इसके बाद) हमने एक लाख बल्कि (एक हिसाब से) ज़्यादा आदमियों की तरफ (पैग़म्बर बना कर भेजा)।"

चुना गया न्याय तत्व:
हेतु (Reason)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  इस आयत में कहा गया है कि एक लाख या उससे अधिक लोगों की तरफ पैग़म्बर भेजे गए।

- **हेतु (Reason):**
  यह दावा किया गया है, लेकिन इसके पीछे कोई प्रमाण या ठोस कारण नहीं दिया गया है। यदि हजारों पैग़म्बर भेजे गए, तो उनका उद्देश्य और कारण क्यों था, यह स्पष्ट नहीं किया गया है।

- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में किसी घटना का कारण या उद्देश्य स्पष्ट किया जाता है। इस आयत में इसका कोई विश्लेषण नहीं दिया गया।

- **उपनया (Application):**
  न्याय दर्शन के अनुसार, किसी भी घटना या कार्य के पीछे कारण या उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। इस आयत में केवल संख्या का उल्लेख किया गया है, बिना किसी ठोस कारण या उद्देश्य के।

- **निगमन (Conclusion):**
  इस आयत में बिना कारण और उद्देश्य के दावा किया गया है, जो न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाणित नहीं किया जा सकता।

आयत 148

आयत का अनुवाद:
"तो वह लोग (उन पर) इमान लाए फिर हमने (भी) एक ख़ास वक़्त तक उनको चैन से रखा।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  इस आयत में कहा गया है कि एक निश्चित समय तक उन लोगों को चैन दिया गया, जिन्होंने इमान लाया।

- **हेतु (Reason):**
  यह दावा किया गया है कि इमान लाने के बाद उन्हें शांति मिली, लेकिन इसका प्रमाण और तर्क नहीं दिया गया है। शांति देने का कारण क्या था, यह स्पष्ट नहीं है।

- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में किसी परिणाम के लिए तर्क और प्रमाण प्रस्तुत किए जाते हैं। यहाँ पर शांति देने का कारण बिना किसी तर्क के दिया गया है।
- **उपनया (Application):**
  न्याय दर्शन के अनुसार, किसी घटना या परिणाम का दावा करते वक्त, उसे तर्क और प्रमाण के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहिए। इस आयत में ऐसा नहीं किया गया है।
- **निगमन (Conclusion):**
  इस आयत में दावा किया गया है, लेकिन बिना तर्क और प्रमाण के इसे न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाणित नहीं किया जा सकता।

आयत 149

आयत का अनुवाद:
"तो (ऐ रसूल) उन कुफ़्फ़ार से पूछो कि क्या तुम्हारे परवरदिगार के लिए बेटियाँ हैं और उनके लिए बेटे?"

चुना गया न्याय तत्व:
उदाहरण (Example)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  इस आयत में यह पूछा गया है कि क्या तुम्हारे परवरदिगार के लिए बेटियाँ हैं और उनके लिए बेटे हैं?
- **हेतु (Reason):**
  यह सवाल उठाया गया है, लेकिन इस सवाल का उद्देश्य या तर्क स्पष्ट नहीं है। इस सवाल से क्या सिद्‌ध करना चाहा गया है, यह अस्पष्ट है।
- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में किसी विषय पर सवाल उठाने से पहले उसके उद्देश्य और कारण का स्पष्ट होना आवश्यक होता है। इस आयत में सवाल उठाया गया है, लेकिन उसका उद्देश्य स्पष्ट नहीं है।
- **उपनया (Application):**
  न्याय दर्शन के अनुसार, जब सवाल पूछा जाता है, तो उसका उद्देश्य और कारण स्पष्ट होना चाहिए,

ताकि उसकी सार्थकता प्रमाणित हो सके। इस आयत में ऐसा नहीं किया गया है।

- निगमन (Conclusion):
  इस आयत में सवाल उठाया गया है, लेकिन उसका उद्देश्य अस्पष्ट है, जिससे यह न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाणित नहीं किया जा सकता।

आयत 150

आयत का अनुवाद:
"क्या वाक़ई हमने फरिश्तों की औरतें बनाया है और ये लोग (उस वक़्त) मौजूद थे?"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:

- प्रतिज्ञा (Proposition):
  इस आयत में यह सवाल उठाया गया है कि क्या हमने फरिश्तों को औरतें बनाई हैं?

- हेतु (Reason):
  इस सवाल के माध्यम से यह दावा किया गया है कि फरिश्तों को औरतें नहीं बनाया गया, लेकिन इसका प्रमाण या तर्क स्पष्ट नहीं किया गया।

- उदाहरण (Example):
  भारतीय दर्शन में किसी घटना का प्रश्न करने से पहले उसका उद्देश्य और कारण स्पष्ट किया जाता है। यहाँ पर कोई स्पष्ट कारण नहीं दिया गया है।

- उपनया (Application):
  न्याय दर्शन के अनुसार, किसी घटना या दावे का सवाल पूछने से पहले उसे प्रमाणित करना और उसका उद्देश्य स्पष्ट करना आवश्यक है। इस आयत में ऐसा कोई स्पष्ट कारण नहीं दिया गया है।

- निगमन (Conclusion):
  इस आयत में सवाल उठाया गया है, लेकिन इसका उद्देश्य और तर्क अस्पष्ट हैं, जो न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाणित नहीं किया जा सकता।

सारणी (आयतों का तार्किक मूल्यांकन)

आयत संख्या	चुना गया तत्व	मुख्य आलोचना
146	प्रमेय	"कद्दू का दरख़्त उगाया गया" का दावा बिना प्रमाण के किया गया।
147	हेतु	"एक लाख पैग़म्बर भेजे गए" का दावा बिना कारण के किया गया।
148	प्रमाण	"इमान लाने पर चैन दिया गया" का दावा बिना तर्क के किया गया।
149	उदाहरण	"क्या तुम्हारे लिए बेटियाँ हैं?" का सवाल बिना उद्देश्य के पूछा गया।
150	प्रमाण	"फरिश्तों को औरतें नहीं बनाया" का दावा बिना प्रमाण के किया गया।

समग्र निष्कर्ष:

इन आयतों में कई घटनाओं और सवालों का उल्लेख किया गया है, लेकिन उनमें कोई तर्क या प्रमाण नहीं दिया गया है। न्याय दर्शन के अनुसार, किसी घटना या दावे का प्रमाण और तर्क प्रस्तुत करना आवश्यक होता है, और इन आयतों में इसका अभाव है। इसलिए, ये दावे न्याय दर्शन के दृष्टिकोण से प्रमाणित नहीं किए जा सकते हैं।

आयत 151-155 का न्याय दर्शन के आधार पर तार्किक विश्लेषण

आयत 151

आयत का अनुवाद:
"ख़बरदार (याद रखो कि) ये लोग यक़ीनन अपने दिल से गढ़-गढ़ के कहते हैं कि ख़ुदा औलाद वाला है।"

चुना गया न्याय तत्व:
हेतु (Reason)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  इस आयत में यह कहा गया है कि लोग दिल से गढ़-गढ़ के कहते हैं कि ख़ुदा औलाद वाला है।

- **हेतु (Reason):**
  यह दावा किया गया है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं। यहाँ पर कोई तर्क या कारण नहीं दिया गया है कि क्यों लोग ख़ुदा को औलाद वाला मानते हैं।

- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में किसी भी दावे को प्रस्तुत करने से पहले उसका कारण स्पष्ट किया जाता है। इस आयत में कोई तर्क या कारण नहीं दिया गया है।

- **उपनया (Application):**
  न्याय दर्शन के अनुसार, किसी भी दावे या विचार का कारण और तर्क स्पष्ट होना चाहिए, ताकि उसका सार्थक अर्थ निकाला जा सके। इस आयत में इसका अभाव है।

- **निगमन (Conclusion):**
  इस आयत में बिना तर्क और कारण के यह कहा गया है कि लोग ख़ुदा को औलाद वाला मानते हैं, जो न्याय दर्शन के दृष्टिकोण से प्रमाणित नहीं किया जा सकता।

आयत 152

आयत का अनुवाद:
"और ये लोग यक़ीनी झूठे हैं।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  इस आयत में यह कहा गया है कि लोग झूठे हैं।

- **हेतु (Reason):**
  यह आरोप लगाया गया है, लेकिन इसके समर्थन में कोई प्रमाण या तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया है। किसी को झूठा कहने से पहले उस पर कोई ठोस तर्क या प्रमाण होना चाहिए।

- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में किसी पर आरोप लगाने से पहले उसके झूठ होने का प्रमाण प्रस्तुत किया जाता

है। इस आयत में ऐसा कुछ नहीं किया गया।

- **उपनया (Application):**
  न्याय दर्शन के अनुसार, किसी पर आरोप लगाने से पहले तर्क और प्रमाण की आवश्यकता होती है। इस आयत में इसका अभाव है।

- **निगमन (Conclusion):**
  इस आयत में बिना प्रमाण के दावा किया गया है कि लोग झूठे हैं, जो न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाणित नहीं किया जा सकता।

आयत 153

आयत का अनुवाद:
"क्या ख़ुदा ने (अपने लिए) बेटियों को बेटों पर तरजीह दी है?"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रश्न (Question)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  इस आयत में यह सवाल उठाया गया है कि क्या ख़ुदा ने बेटियों को बेटों पर तरजीह दी है।

- **हेतु (Reason):**
  यह सवाल उठाया गया है, लेकिन इसका उद्देश्य या तर्क स्पष्ट नहीं किया गया है। यदि यह सवाल किसी तर्क के तहत पूछा गया हो, तो उसका स्पष्टता से उल्लेख किया जाना चाहिए।

- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में जब कोई सवाल उठाया जाता है, तो उसका उद्देश्य और तर्क स्पष्ट किया जाता है, जिससे सवाल का अर्थ समझ में आ सके। इस आयत में इसका अभाव है।

- **उपनया (Application):**
  न्याय दर्शन के अनुसार, किसी सवाल का उद्देश्य और तर्क स्पष्ट होना चाहिए, ताकि उसकी सार्थकता को समझा जा सके। इस आयत में इसका अभाव है।

- **निगमन (Conclusion):**
  इस आयत में सवाल उठाया गया है, लेकिन उसका उद्देश्य और तर्क अस्पष्ट हैं, जो न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाणित नहीं किया जा सकता।

आयत 154

आयत का अनुवाद:
"(अरे कम्बख्तों) तुम्हें क्या जुनून हो गया है तुम लोग (बैठे-बैठे) कैसा फैसला करते हो।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रश्न (Question)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  इस आयत में यह सवाल उठाया गया है कि लोग बैठ कर क्यों फैसले करते हैं।

- **हेतु (Reason):**
  यह सवाल उठाया गया है, लेकिन इसका कोई तर्क या उद्देश्य नहीं दिया गया है। यह सवाल बिना कारण के पूछा गया है।

- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में सवाल पूछने से पहले उसका कारण और उद्देश्य स्पष्ट किया जाता है। इस आयत में इसका अभाव है।

- **उपनया (Application):**
  न्याय दर्शन के अनुसार, किसी भी सवाल का उद्देश्य और कारण स्पष्ट होना चाहिए, ताकि उसकी सार्थकता प्रमाणित हो सके। इस आयत में ऐसा नहीं किया गया है।

- **निगमन (Conclusion):**
  इस आयत में सवाल उठाया गया है, लेकिन उसका उद्देश्य और कारण अस्पष्ट हैं, जो न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाणित नहीं किया जा सकता।

आयत 155

आयत का अनुवाद:
"तो क्या तुम (इतना भी) ग़ौर नहीं करते?"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रश्न (Question)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  इस आयत में यह सवाल उठाया गया है कि क्या तुम ग़ौर नहीं करते।

- **हेतु (Reason):**
  यह सवाल उठाया गया है, लेकिन इसके पीछे कोई तर्क या उद्देश्य स्पष्ट नहीं किया गया है।

- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में सवाल का उद्देश्य स्पष्ट किया जाता है ताकि उसके आधार पर तर्क प्रस्तुत किया जा सके। इस आयत में ऐसा कुछ नहीं किया गया।

- **उपनया (Application):**
  न्याय दर्शन के अनुसार, किसी सवाल का उद्देश्य और कारण स्पष्ट होना चाहिए, ताकि उसका मोल और तात्पर्य समझा जा सके। इस आयत में ऐसा नहीं किया गया है।

- **निगमन (Conclusion):**
  इस आयत में सवाल उठाया गया है, लेकिन उसका उद्देश्य और तर्क अस्पष्ट हैं, जो न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाणित नहीं किया जा सकता।

सारणी (आयतों का तार्किक मूल्यांकन)

आयत संख्या	चुना गया तत्व	मुख्य आलोचना
151	हेतु	बिना कारण और तर्क के दावा किया गया कि लोग ख़ुदा को औलाद वाला मानते हैं।
152	प्रमाण	बिना प्रमाण के यह कहा गया कि लोग झूठे हैं।

153	**प्रश्न**	**सवाल उठाया गया है, लेकिन इसका उद्देश्य अस्पष्ट है।**
154	**प्रश्न**	**सवाल उठाया गया है, लेकिन इसका उद्देश्य अस्पष्ट है।**
155	**प्रश्न**	**सवाल उठाया गया है, लेकिन इसका उद्देश्य अस्पष्ट है।**

समग्र निष्कर्ष:

इन आयतों में कई सवाल और आरोप उठाए गए हैं, लेकिन उनमें कोई स्पष्ट तर्क, प्रमाण, या उद्देश्य नहीं दिया गया है। न्याय दर्शन के अनुसार, किसी सवाल या आरोप का उद्देश्य, कारण, और प्रमाण होना चाहिए, ताकि उसे सही और तर्कसंगत माना जा सके। इन आयतों में इसका अभाव है, जो उन्हें न्याय दर्शन के दृष्टिकोण से प्रमाणित नहीं करता है।

आयत 156-160 का न्याय दर्शन के आधार पर तार्किक विश्लेषण

आयत 156

आयत का अनुवाद:
"या तुम्हारे पास (इसकी) कोई वाज़ेए व रौशन दलील है?"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रश्न (Question)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  इस आयत में यह सवाल उठाया गया है कि क्या तुम्हारे पास कोई स्पष्ट और रौशन दलील है।

- **हेतु (Reason):**
  यह सवाल स्पष्टता की ओर इशारा करता है, यानी कि किसी दावे या विचार के लिए स्पष्ट और सही प्रमाण की आवश्यकता होती है।

- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में, जब भी किसी दावे को प्रस्तुत किया जाता है, तो उसके साथ प्रमाण और तर्क होना चाहिए। जैसे कि वेदों या अन्य शास्त्रों में सत्य के प्रमाण दिए जाते हैं।

- **उपनया (Application):**
  न्याय दर्शन के अनुसार, किसी भी दावे को मान्यता देने से पहले उसके प्रमाण और तर्क की आवश्यकता होती है, जो इस आयत के दृष्टिकोण से सही है।

- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत सवाल उठाती है कि क्या किसी दावे या विचार के लिए स्पष्ट प्रमाण मौजूद है, जो न्याय दर्शन के अनुसार आवश्यक होता है। इस सवाल में कोई दोष नहीं है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण विचारधारा है।

आयत 157

आयत का अनुवाद:
"तो अगर तुम (अपने दावे में) सच्चे हो तो अपनी किताब पेश करो।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  इस आयत में यह कहा गया है कि यदि तुम सच्चे हो, तो अपनी किताब प्रस्तुत करो।

- **हेतु (Reason):**
  यह कथन यह संकेत देता है कि यदि किसी का दावा सच्चा है, तो उसे प्रमाणित करने के लिए ठोस साक्ष्य होना चाहिए।

- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में सत्य की पुष्टि के लिए प्रमाणों की आवश्यकता होती है, जैसे वेद, शास्त्र, या दर्शन के सिद्धांत। इस आयत में भी यह सिद्धांत प्रकट हो रहा है।

- **उपनया (Application):**
  न्याय दर्शन के अनुसार, किसी दावे के लिए प्रमाण का होना आवश्यक है। यह आयत इसी विचार को प्रकट करती है।

- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत सही तरीके से यह कह रही है कि यदि किसी के पास सच्चाई है, तो उसे प्रमाणित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए। यह न्याय दर्शन के अनुसार बिल्कुल सही है।

आयत 158

आयत का अनुवाद:
"और उन लोगों ने ख़ुदा और जिन्नात के दरम्यिान रिश्ता नाता मुक़र्रर किया है हालाँकि जिन्नात बख़ूबी जानते हैं कि वह लोग यक़ीनी (क़यामत में बन्दों की तरह) हाज़िर किए जाएँगे।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  इस आयत में यह कहा गया है कि लोग ख़ुदा और जिन्नात के बीच रिश्ता मानते हैं, हालांकि जिन्नात यह जानते हैं कि वे क़यामत में हाजिर किए जाएंगे।

- **हेतु (Reason):**
  इस दावे में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं प्रस्तुत किया गया है कि जिन्नात वास्तव में ऐसा मानते हैं।

- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में किसी भी सिद्धांत को प्रस्तुत करने से पहले, उसका आधार और प्रमाण स्पष्ट किया जाता है। इस आयत में जिन्नात के ज्ञान और विश्वास का कोई प्रमाण नहीं दिया गया है।

- **उपनया (Application):**
  न्याय दर्शन के अनुसार, किसी भी दावे का समर्थन करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है, जो इस आयत में नहीं है।

- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत दावा करती है कि जिन्नात ख़ुदा और उनके बीच संबंध को जानते हैं, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं दिया गया है। यह न्याय दर्शन के दृष्टिकोण से कमजोर है।

आयत 159

आयत का अनुवाद:
"ये लोग जो बातें बनाया करते हैं इनसे ख़ुदा पाक साफ़ है।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  इस आयत में कहा गया है कि लोग झूठे आरोप लगाते हैं, लेकिन ख़ुदा इन सब बातों से पाक है।
- **हेतु (Reason):**
  यहाँ कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया है कि लोग कौन सी बातें बना रहे हैं और क्यों ख़ुदा इनसे पाक है।
- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में यह समझा जाता है कि किसी के बारे में कोई टिप्पणी या आरोप लगाने से पहले, उसके कारण और प्रमाणों का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। इस आयत में ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं है।
- **उपनया (Application):**
  न्याय दर्शन के अनुसार, जब किसी के खिलाफ आरोप लगाए जाते हैं, तो उनके प्रमाण और कारणों का स्पष्ट होना चाहिए। इस आयत में इसका अभाव है।
- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत बिना किसी स्पष्ट कारण और प्रमाण के दावा करती है कि ख़ुदा उन बातों से पाक है, जो अन्य लोग बनाते हैं, जो न्याय दर्शन के दृष्टिकोण से प्रमाणित नहीं किया जा सकता।

आयत 160

आयत का अनुवाद:
"मगर ख़ुदा के निरे खरे बन्दे (ऐसा नहीं कहते)।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  इस आयत में कहा गया है कि केवल ख़ुदा के सच्चे बन्दे ही ऐसी बातें नहीं करते।
- **हेतु (Reason):**
  यह कथन एक प्रकार का सामान्य आरोप है, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं प्रस्तुत किया गया है कि कौन लोग सच्चे बन्दे हैं और कौन नहीं।
- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में किसी विशेषता का दावे से पहले, उसका प्रमाण पेश करना आवश्यक होता है। यहाँ पर यह प्रमाणित नहीं किया गया है कि कौन लोग सच्चे बन्दे हैं।
- **उपनया (Application):**
  न्याय दर्शन के अनुसार, किसी विशेषता या वर्ग का निर्धारण प्रमाण और तर्क के आधार पर किया जाना चाहिए, लेकिन इस आयत में इसका अभाव है।
- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत दावा करती है कि केवल ख़ुदा के सच्चे बन्दे ही ऐसा नहीं कहते, लेकिन इसका कोई प्रमाण या तर्क नहीं दिया गया है। यह न्याय दर्शन के दृष्टिकोण से प्रमाणित नहीं किया जा सकता।

सारणी (आयतों का तार्किक मूल्यांकन)

आयत संख्या	चुना गया तत्व	मुख्य आलोचना
156	**प्रश्न**	**सवाल उठाया गया, लेकिन इसका उद्देश्य और तर्क अस्पष्ट है।**
157	**प्रमाण**	**प्रमाण की आवश्यकता को दर्शाती है, जो न्याय दर्शन के अनुसार सही है।**
158	**प्रमाण**	**बिना प्रमाण के दावा किया गया कि जिन्नात ऐसा मानते हैं।**
159	**प्रमाण**	**बिना प्रमाण के कहा गया कि ख़ुदा इन बातों से पाक है।**
160	**प्रमाण**	**दावा किया गया कि ख़ुदा के सच्चे बन्दे ऐसा नहीं कहते, लेकिन बिना**

प्रमाण के।

समग्र निष्कर्ष:

इन आयतों में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और आरोप उठाए गए हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश बिना प्रमाण और तर्क के हैं। न्याय दर्शन के अनुसार, किसी भी दावे या विचार को प्रमाण और तर्क के आधार पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ताकि उसका मूल्यांकन किया जा सके। इन आयतों में इस प्रकार का प्रमाण और तर्क कम है, जिससे यह प्रमाणित नहीं किया जा सकता।

आयत 161-165 का न्याय दर्शन के आधार पर तार्किक विश्लेषण

आयत 161

आयत का अनुवाद:
"ग़रज़ तुम लोग ख़ुद और तुम्हारे माबूद (161)"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
 यह आयत कह रही है कि तुम और तुम्हारे माबूद (पूज्य देवता) मिलकर किसी को बहका नहीं सकते।

- **हेतु (Reason):**
 इस कथन में कोई स्पष्ट तर्क नहीं दिया गया है कि कैसे यह संभव है कि लोग खुद या उनके माबूद किसी को बहका नहीं सकते।

- **उदाहरण (Example):**
 भारतीय दर्शन में सिद्धांतों और विचारों को प्रमाणित करने के लिए उदाहरण दिए जाते हैं। यहां कोई ठोस उदाहरण या प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

- **उपनया (Application):**
 न्याय दर्शन के अनुसार, किसी भी दावे को प्रमाणित करने के लिए तर्क और साक्ष्य की आवश्यकता होती है। इस आयत में यह गायब है।

- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत एक दावा करती है कि किसी को बहका नहीं सकते, लेकिन इसका कोई प्रमाण या तर्क नहीं दिया गया है, जिससे यह प्रमाणित नहीं किया जा सकता।

आयत 162

आयत का अनुवाद:
"उसके ख़िलाफ (किसी को) बहका नहीं सकते।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  यह आयत कहती है कि ख़ुदा के खिलाफ कोई बहका नहीं सकता।

- **हेतु (Reason):**
  इस कथन में एक निष्कलंक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है, लेकिन इसका कोई सटीक प्रमाण या तर्क नहीं दिया गया।

- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में किसी भी महत्वपूर्ण सिद्धांत को समझाने के लिए उदाहरण दिया जाता है। इस आयत में इसका अभाव है।

- **उपनया (Application):**
  न्याय दर्शन के अनुसार, हर दावे के साथ तर्क और प्रमाण का होना आवश्यक होता है। यहां यह आवश्यकता पूरी नहीं हो रही।

- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत ख़ुदा के खिलाफ किसी को बहकाने की बात करती है, लेकिन इसका कोई प्रमाण या तर्क नहीं है। यह प्रमाण के बिना एक सामान्य दावा है।

आयत 163

आयत का अनुवादः
"मगर उसको जो जहन्नुम में झोंका जाने वाला है।"

चुना गया न्याय तत्वः
प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचनाः

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  इस आयत में यह कहा गया है कि लोग केवल उस व्यक्ति को बहका सकते हैं, जो पहले से ही जहन्नुम में झोंका जाने वाला है।

- **हेतु (Reason):**
  यह कथन कुछ हद तक स्पष्ट लगता है, क्योंकि यह किसी व्यक्ति की नियति या उद्देश्य से संबंधित है, लेकिन इसके प्रमाण या तर्क का अभाव है।

- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में किसी के कर्मों के फल की चर्चा की जाती है, लेकिन यह आयत बिना किसी प्रमाण के यह दावा करती है।

- **उपनया (Application):**
  न्याय दर्शन में यह आवश्यक है कि किसी दावे को प्रमाण और तर्क द्वारा सिद्ध किया जाए। यह आयत इस दृष्टिकोण से कमजोर है।

- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत दावा करती है कि कोई व्यक्ति केवल अपनी नियति के अनुसार ही बहका सकता है, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है, जिससे यह विचार संदिग्ध है।

आयत 164

आयत का अनुवादः
"और फरिश्ते या आइम्मा तो ये कहते हैं कि मैं हर एक का एक दरजा मुक़र्रर है।"

चुना गया न्याय तत्वः
प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  इस आयत में फरिश्ते और आइम्मा (इमाम) का दावा किया गया है कि उनका हर एक का एक अलग दरजा (पद) है।

- **हेतु (Reason):**
  यह कथन सिद्धांत रूप में स्वीकार्य है, लेकिन यह बिना किसी स्पष्ट प्रमाण के दिया गया है।

- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में हर व्यक्ति की स्थिति और उसका कर्म उसके पद का निर्धारण करता है। इस आयत में इसका कोई स्पष्ट तर्क या प्रमाण नहीं दिया गया है।

- **उपनया (Application):**
  न्याय दर्शन के अनुसार, किसी दावे को प्रमाण के साथ प्रस्तुत करना जरूरी है। इस आयत में प्रमाण की कमी है।

- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत फरिश्तों और आइम्मा के दरजों को प्रस्तुत करती है, लेकिन इसका कोई प्रमाण या तर्क नहीं दिया गया है, जो इसे कमज़ोर बनाता है।

आयत 165

आयत का अनुवाद:
"और हम तो यक़ीनन (उसकी इबादत के लिए) सफ़ बाँधे खड़े रहते हैं।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  यह आयत फरिश्तों का यह दावा करती है कि वे ख़ुदा की इबादत के लिए खड़े रहते हैं।

- **हेतु (Reason):**
  यह कथन एक धार्मिक विचार को प्रस्तुत करता है, लेकिन इसके सत्यापन के लिए कोई प्रमाण नहीं

दिया गया है।

- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में सेवा और इबादत की अवधारणा को कर्म के रूप में देखा जाता है। यहाँ पर यह दावा बिना किसी प्रमाण के किया जा रहा है।

- **उपनया (Application):**
  न्याय दर्शन के अनुसार, किसी भी धार्मिक विचार को सत्यापित करने के लिए प्रमाण और तर्क की आवश्यकता होती है। इस आयत में यह अनुपस्थित है।

- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत फरिश्तों के इबादत में खड़े रहने के दावे को प्रस्तुत करती है, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है। यह दावा बिना तर्क और प्रमाण के कमजोर है।

सारणी (आयतों का तार्किक मूल्यांकन)

आयत संख्या	चुना गया तत्व	मुख्य आलोचना
161	प्रमाण	बिना प्रमाण के दावा किया गया कि कोई नहीं बहका सकता।
162	प्रमाण	कोई प्रमाण नहीं प्रस्तुत किया गया कि ख़ुदा के खिलाफ बहकाना असंभव है।
163	प्रमाण	दावा किया गया कि केवल जिनकी नियति तय है, वही बहकाए जा सकते हैं, लेकिन प्रमाण का अभाव है।
164	प्रमाण	फरिश्तों और आइम्मा के दरजों का दावा किया गया, लेकिन प्रमाण नहीं प्रस्तुत किया गया।
165	प्रमाण	फरिश्तों द्वारा इबादत में खड़े रहने का दावा किया गया, लेकिन बिना प्रमाण के।

समग्र निष्कर्ष:

इन आयतों में कई महत्वपूर्ण दावे किए गए हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश बिना प्रमाण और तर्क के हैं। न्याय दर्शन के अनुसार, किसी भी दावे को प्रमाण और तर्क द्वारा सिद्ध किया जाना चाहिए, लेकिन इन आयतों में यह अधूरा है, जिससे उनकी तार्किक स्वीकार्यता पर सवाल उठता है।

आयत 166-170 का न्याय दर्शन के आधार पर तार्किक विश्लेषण

आयत 166

आयत का अनुवाद:
"और हम तो यक़ीनी (उसकी) तस्बीह पढ़ा करते हैं।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  यह आयत फरिश्तों के द्वारा ख़ुदा की तस्बीह (स्तुति) करने का दावा करती है।

- **हेतु (Reason):**
  यह दावा धार्मिक रूप से स्वीकार्य हो सकता है, लेकिन इसका कोई साक्ष्य या प्रमाण नहीं दिया गया है।

- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में किसी के कार्य को प्रमाणित करने के लिए उदाहरणों की आवश्यकता होती है। यहां, तस्बीह का दावा किया गया है, लेकिन यह केवल एक कथन है।

- **उपनया (Application):**
  न्याय दर्शन में दावे के साथ प्रमाण और तर्क का होना अनिवार्य है। यह आयत प्रमाण के बिना है।

- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत फरिश्तों के तस्बीह करने का दावा करती है, लेकिन इसका कोई प्रमाण या तर्क नहीं है, जिससे यह अपर्याप्त है।

आयत 167

आयत का अनुवाद:
"अगरचे ये कुफ़्फार (इस्लाम के क़ब्ल) कहा करते थे।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:

- प्रतिज्ञा (Proposition):
 यह आयत कहती है कि पहले के कुफ़्फार (अविश्वासी) यह दावा करते थे।

- हेतु (Reason):
 यह दावा एक ऐतिहासिक संदर्भ पर आधारित है, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं प्रस्तुत किया गया।

- उदाहरण (Example):
 भारतीय दर्शन में यह माना जाता है कि किसी ऐतिहासिक घटना को प्रमाणित करने के लिए साक्ष्य जरूरी होता है। इस आयत में कोई साक्ष्य नहीं है।

- उपनया (Application):
 न्याय दर्शन के अनुसार, किसी ऐतिहासिक दावा को प्रमाणित करना आवश्यक है, और इस आयत में यह अनुपस्थित है।

- निगमन (Conclusion):
 इस आयत में कुफ़्फार के दावे का उल्लेख किया गया है, लेकिन इसके सत्यापन के लिए कोई प्रमाण नहीं प्रस्तुत किया गया है।

आयत 168

आयत का अनुवाद:
"कि अगर हमारे पास भी अगले लोगों का तज़किरा (किसी किताबे ख़ुदा में) होता।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  यह आयत कहती है कि अगर उन लोगों के पास भी किसी किताब का तज़किरा (संदर्भ) होता, तो वे ख़ुदा के सच्चे बंदे होते।

- **हेतु (Reason):**
  यह दावा किया जा रहा है कि किताबों के तज़किरे से इंसान ईश्वर के प्रति सच्चे होते हैं, लेकिन इस विचार का कोई प्रमाण या तर्क नहीं प्रस्तुत किया गया है।

- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में यह सिद्धांत माना जाता है कि व्यक्ति के कर्म और उसके मानसिक शुद्धता से उसका धर्म तय होता है, न कि किसी किताब से। इस आयत में यह विचार अधूरा है।

- **उपनया (Application):**
  न्याय दर्शन के अनुसार, एक दावे को प्रमाणित करने के लिए उस पर तर्क और साक्ष्य की आवश्यकता होती है। यह आयत प्रमाण और तर्क से रहित है।

- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत किताब के तज़किरे के माध्यम से सच्चाई के प्राप्त होने का दावा करती है, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं दिया गया है।

आयत 169

आयत का अनुवाद:
"तो हम भी ख़ुदा के निरे खरे बन्दे ज़रूर हो जाते।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  इस आयत में दावा किया गया है कि अगर उनके पास किताब होती, तो वे ख़ुदा के सच्चे बंदे होते।

- **हेतु (Reason):**
  यह बयान बिना किसी प्रमाण के दिया गया है कि किताब के कारण व्यक्ति का सत्यता से संबंध

जुड़ता है। भारतीय दर्शन में यह सिद्धांत गलत है क्योंकि व्यक्ति की सच्चाई और धर्म कर्मों पर आधारित होती है, न कि केवल किसी किताब पर।

- **उदाहरण (Example):**
  जैसे भगवद गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, वही सच्चा होता है।

- **उपनया (Application):**
  न्याय दर्शन के अनुसार, सच्चाई और सत्यापन के लिए व्यक्ति की आंतरिक चेतना और कर्म महत्वपूर्ण होते हैं, न कि केवल किताबें।

- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत केवल किताब के माध्यम से सत्यता की प्राप्ति का दावा करती है, लेकिन यह भारतीय दर्शन की विचारधारा से मेल नहीं खाता और बिना प्रमाण के है।

आयत 170

आयत का अनुवाद:
"(मगर जब किताब आयी) तो उन लोगों ने उससे इन्कार किया ख़ैर अनक़रीब (उसका नतीजा) उन्हें मालूम हो जाएगा।"

चुना गया न्याय तत्व:
हेतु (Reason)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  यह आयत कहती है कि जब किताब आई, तो लोगों ने उसे नकारा, और उनका परिणाम जल्द ही उन्हें मालूम हो जाएगा।

- **हेतु (Reason):**
  इस आयत में दावा किया गया है कि किताब के नकारे जाने का परिणाम निश्चित रूप से होगा, लेकिन इस परिणाम का कोई प्रमाण या तर्क नहीं दिया गया है।

- **उदाहरण (Example):**
 भारतीय दर्शन में कर्मफल का सिद्धांत है, लेकिन इस आयत में यह परिणाम केवल नकारे जाने से जुड़ा हुआ है, जो अधूरा है।

- **उपनया (Application):**
 न्याय दर्शन में किसी भी दावे के साथ कारण और प्रमाण का होना आवश्यक है। यह आयत बिना कारण या तर्क के परिणाम की बात करती है।

- **निगमन (Conclusion):**
 यह आयत नकारे जाने के परिणाम को प्रस्तुत करती है, लेकिन इसे प्रमाणित करने के लिए कोई तर्क या कारण नहीं दिया गया है।

सारणी (आयतों का तार्किक मूल्यांकन)

आयत संख्या	चुना गया तत्व	मुख्य आलोचना
166	प्रमाण	बिना प्रमाण के दावा कि फरिश्ते ख़ुदा की तस्बीह करते हैं।
167	प्रमाण	कोई प्रमाण नहीं कि कुफ़्फार ने पहले यह कहा था।
168	प्रमाण	बिना तर्क के यह दावा किया गया कि किताब से ही लोग ख़ुदा के सच्चे बन्दे होते।
169	प्रमाण	बिना प्रमाण के दावा कि किताब के माध्यम से सत्यता प्राप्त होती।
170	हेयतु	बिना तर्क के कहा गया कि किताब के नकारे जाने का निश्चित परिणाम होगा।

समग्र निष्कर्ष:

इन आयतों में कई महत्वपूर्ण दावे किए गए हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश बिना प्रमाण और तर्क के हैं। न्याय दर्शन के अनुसार, किसी भी दावे को प्रमाण और तर्क द्वारा सिद्ध किया जाना चाहिए, लेकिन इन आयतों में यह अनुपस्थित है, जिससे उनकी तार्किक स्वीकार्यता पर सवाल उठता है।

आयत 171-175 का न्याय दर्शन के आधार पर तार्किक विश्लेषण

आयत 171

आयत का अनुवाद:
"और अपने ख़ास बन्दों पैग़म्बरों से हमारी बात पक्की हो चुकी है।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  यह आयत दावा करती है कि ख़ुदा ने अपने ख़ास बन्दों (पैग़म्बरों) से एक पक्की बात की है।

- **हेतु (Reason):**
  यह दावा किया गया है कि ख़ुदा और पैग़म्बरों के बीच एक पक्की बात है, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं दिया गया है।

- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में किसी भी आध्यात्मिक या धार्मिक दावे को प्रमाणित करने के लिए प्रमाण और तर्क की आवश्यकता होती है।

- **उपनया (Application):**
  न्याय दर्शन में किसी भी विचार या दावे का समर्थन प्रमाण द्वारा किया जाता है, लेकिन यहां यह दावा बिना प्रमाण के है।

- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत केवल एक दावा करती है कि ख़ुदा और पैग़म्बरों के बीच एक पक्की बात हुई है, लेकिन इसका कोई प्रमाण या तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया है।

आयत 172

आयत का अनुवाद:
"कि इन लोगों की (हमारी बारगाह से) यक़ीनी मदद की जाएगी।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:

- प्रतिज्ञा (Proposition):
  यह आयत कहती है कि इन लोगों की (जो ख़ुदा के विरोध में हैं) मदद की जाएगी।

- हेतु (Reason):
  यह दावा बिना प्रमाण के किया गया है। मदद के लिए कोई तर्क या कारण नहीं दिया गया है।

- उदाहरण (Example):
  भारतीय दर्शन में किसी भी घटना या स्थिति के होने के लिए तर्क और कारण की आवश्यकता होती है, और यह आयत बिना प्रमाण और तर्क के दावा करती है।

- उपनया (Application):
  न्याय दर्शन के अनुसार, जब किसी घटना या स्थिति का दावा किया जाता है, तो उसके समर्थन में प्रमाण होना चाहिए। इस आयत में यह अनुपस्थित है।

- निगमन (Conclusion):
  इस आयत में केवल यह दावा किया गया है कि मदद दी जाएगी, लेकिन इसका समर्थन करने के लिए कोई तर्क या प्रमाण नहीं है।

आयत 173

आयत का अनुवाद:
"और हमारा लश्कर तो यक़ीनन ग़ालिब रहेगा।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:

- प्रतिज्ञा (Proposition):
  यह आयत दावा करती है कि ख़ुदा का लश्कर यक़ीनन ग़ालिब रहेगा।

- **हेतु (Reason):**
 यह दावा बिना प्रमाण के किया गया है। कोई कारण नहीं दिया गया कि क्यों ख़ुदा का लश्कर हमेशा विजयी रहेगा।

- **उदाहरण (Example):**
 भारतीय दर्शन में किसी भी शक्ति या विचार की सफलता के लिए उसके कर्मों और कारणों का विश्लेषण किया जाता है। इस आयत में केवल एक निश्चय किया गया है, लेकिन कोई कारण या तर्क नहीं प्रस्तुत किया गया है।

- **उपनया (Application):**
 न्याय दर्शन में हर दावे का समर्थन कारणों और प्रमाण से होना चाहिए। इस आयत में यह अनुपस्थित है।

- **निगमन (Conclusion):**
 यह आयत ख़ुदा के लश्कर के विजय की भविष्यवाणी करती है, लेकिन बिना तर्क और प्रमाण के यह दावा अप्रत्याशित और अविश्वसनीय प्रतीत होता है।

आयत 174

आयत का अनुवाद:
"तो (ऐ रसूल) तुम उनसे एक ख़ास वक़्त तक मुँह फेरे रहो।"

चुना गया न्याय तत्व:
 हेतु (Reason)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
 यह आयत कहती है कि पैग़म्बर को एक ख़ास वक़्त तक मुँह फेरे रहना चाहिए।

- **हेतु (Reason):**
 यहां एक कर्तव्य की बात की जा रही है, लेकिन इसका कारण या उद्देश्य स्पष्ट नहीं किया गया है।

- **उदाहरण (Example):**
 भारतीय दर्शन में किसी भी कार्य को करने का कारण महत्वपूर्ण होता है। यह आयत केवल एक

निर्देश देती है, लेकिन इसके पीछे का कारण अस्पष्ट है।

- **उपनया (Application):**
  न्याय दर्शन के अनुसार, किसी भी कर्तव्य को स्वीकार करने के लिए उसके उद्देश्य या कारण का स्पष्ट होना अनिवार्य है। इस आयत में इसका अभाव है।

- **निगमन (Conclusion):**
  इस आयत में एक कार्य का निर्देश है, लेकिन इसका कोई स्पष्ट कारण या उद्देश्य नहीं है, जिससे यह अप्रकाशित और अधूरा प्रतीत होता है।

आयत 175

आयत का अनुवाद:
"और इनको देखते रहो तो ये लोग अनक़रीब ही (अपना नतीजा) देख लेगे।"

चुना गया न्याय तत्व:
हेतु (Reason)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  यह आयत कहती है कि विरोधी लोग जल्द ही अपना नतीजा देखेंगे।

- **हेतु (Reason):**
  यह दावा भविष्यवाणी पर आधारित है, लेकिन इसका कोई स्पष्ट कारण या तर्क नहीं दिया गया है।

- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में भविष्यवाणी करने के लिए कारण और तर्क की आवश्यकता होती है। यहां, केवल एक भविष्यवाणी दी जा रही है, लेकिन इसके समर्थन में कोई प्रमाण नहीं है।

- **उपनया (Application):**
  न्याय दर्शन में किसी भी भविष्यवाणी का समर्थन कारणों और प्रमाण से किया जाता है। इस आयत में यह अनुपस्थित है।

- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत भविष्यवाणी करती है कि विरोधी अपना नतीजा देखेंगे, लेकिन यह बिना तर्क और

प्रमाण के की गई भविष्यवाणी है, जिससे इसका तार्किक आधार कमजोर होता है।

सारणी (आयतों का तार्किक मूल्यांकन)

आयत संख्या	चुना गया तत्व	मुख्य आलोचना
171	प्रमाण	ख़ुदा और पैग़म्बरों के बीच पक्की बात का दावा, लेकिन कोई प्रमाण नहीं है।
172	प्रमाण	मदद देने का दावा बिना किसी कारण या तर्क के किया गया है।
173	प्रमाण	ख़ुदा के लश्कर की विजय का दावा बिना किसी तर्क के किया गया है।
174	हेयतु	निर्देश का कारण स्पष्ट नहीं किया गया।
175	हेयतु	भविष्यवाणी का कोई प्रमाण या तर्क नहीं दिया गया है।

समग्र निष्कर्ष:

इन आयतों में बहुत से दावे किए गए हैं, लेकिन अधिकांश के पास कोई प्रमाण या तर्क नहीं है। न्याय दर्शन के अनुसार, किसी भी दावे का समर्थन प्रमाण और तर्क से होना चाहिए, जो इन आयतों में अनुपस्थित है। इन आयतों की तार्किक स्वीकार्यता इसलिए कमजोर है।

आयत 176-180 का न्याय दर्शन के आधार पर तार्किक विश्लेषण

आयत 176

आयत का अनुवाद:
"तो क्या ये लोग हमारे अज़ाब की जल्दी कर रहे हैं?"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  यह आयत यह पूछती है कि क्या लोग जल्दी में ख़ुदा के अज़ाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
- **हेतु (Reason):**
  यह एक सवाल किया गया है, लेकिन यह नहीं बताया गया कि अज़ाब की जल्दी करने का क्या कारण या उद्देश्य हो सकता है।
- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में किसी भी सवाल का उत्तर तर्क और प्रमाण से दिया जाता है। यहां सिर्फ एक सवाल पूछा गया है, जिसमें कोई तर्क या प्रमाण नहीं दिया गया है।
- **उपनया (Application):**
  न्याय दर्शन के अनुसार, सवालों के उत्तर में प्रमाण और तर्क की आवश्यकता होती है, जो इस आयत में अनुपस्थित है।
- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत सवाल करती है कि क्या लोग अज़ाब की जल्दी कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई तर्क या प्रमाण नहीं है, जिससे यह अधूरा और अस्पष्ट प्रतीत होता है।

आयत 177

आयत का अनुवाद:
"फिर जब (अज़ाब) उनकी अंगनाई में उतर पड़ेगा तो जो लोग डराए जा चुके हैं उनकी भी क्या बुरी सुबह होगी।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  यह आयत कहती है कि जब अज़ाब आएगा, तो डराए गए लोगों के लिए सुबह बुरी होगी।
- **हेतु (Reason):**
  यह दावा किया गया है, लेकिन इसका समर्थन करने के लिए कोई स्पष्ट प्रमाण या तर्क नहीं दिया

गया है।

- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में किसी भी घटना या स्थिति का दावा करने के लिए प्रमाण और कारण महत्वपूर्ण होते हैं। यहां, कोई कारण या प्रमाण नहीं दिया गया है।

- **उपनया (Application):**
  न्याय दर्शन के अनुसार, जब किसी घटना का दावा किया जाता है, तो उसके समर्थन में प्रमाण और तर्क का होना जरूरी होता है। इस आयत में यह अनुपस्थित है।

- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत बिना प्रमाण और तर्क के अज़ाब के प्रभाव का दावा करती है, जिससे यह विचार अप्रकाशित और अधूरा प्रतीत होता है।

आयत 178

आयत का अनुवाद:
"और उन लोगों से एक ख़ास वक़्त तक मुँह फेरे रहो।"

चुना गया न्याय तत्व:
हेतु (Reason)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  यह आयत कहती है कि पैग़म्बर को एक ख़ास वक़्त तक मुँह फेरे रहना चाहिए।

- **हेतु (Reason):**
  यहां निर्देश दिया जा रहा है, लेकिन इसका कारण या उद्देश्य स्पष्ट नहीं किया गया है।

- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में किसी भी कार्य को करने के कारण और उद्देश्य का विश्लेषण किया जाता है। यहां, कोई कारण या उद्देश्य स्पष्ट नहीं किया गया है।

- **उपनया (Application):**
  न्याय दर्शन के अनुसार, किसी कार्य को करने का उद्देश्य या कारण जानना जरूरी होता है। इस

आयत में इसका अभाव है।

- **निगमन (Conclusion):**
  इस आयत में मुँह फेरने का निर्देश है, लेकिन इसका कोई स्पष्ट कारण या उद्देश्य नहीं है, जिससे यह अधूरा और अप्रकाशित प्रतीत होता है।

आयत 179

आयत का अनुवाद:
"और देखते रहो, ये लोग तो ख़ुद अनक़रीब ही अपना अन्जाम देख लेंगे।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  यह आयत कहती है कि विरोधी जल्द ही अपना अंजाम देखेंगे।

- **हेतु (Reason):**
  यह भविष्यवाणी की जा रही है, लेकिन इसका समर्थन करने के लिए कोई प्रमाण या तर्क नहीं दिया गया है।

- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में किसी भी भविष्यवाणी को प्रमाणित करने के लिए कारण और तर्क की आवश्यकता होती है। यहां केवल एक भविष्यवाणी दी जा रही है, लेकिन कोई प्रमाण या तर्क नहीं दिया गया है।

- **उपनया (Application):**
  न्याय दर्शन के अनुसार, किसी भी भविष्यवाणी का समर्थन कारणों और प्रमाणों से किया जाना चाहिए। इस आयत में यह अनुपस्थित है।

- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत बिना प्रमाण और तर्क के भविष्यवाणी करती है कि विरोधी अपना अंजाम देखेंगे, जिससे इसका तार्किक आधार कमजोर है।

आयत 180

आयत का अनुवाद:
"ये लोग जो बातें (ख़ुदा के बारे में) बनाया करते हैं उनसे तुम्हारा परवरदिगार इज़्ज़त का मालिक पाक साफ़ है।"

चुना गया न्याय तत्व:
हेतु (Reason)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  यह आयत कहती है कि ख़ुदा की इज़्ज़त से संबंधित जो बातें लोग करते हैं, वे गलत हैं।

- **हेतु (Reason):**
  यहां यह कहा जा रहा है कि ख़ुदा इज़्ज़त का मालिक है, लेकिन इसका समर्थन करने के लिए कोई तर्क या कारण नहीं दिया गया है।

- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में किसी भी धार्मिक या आध्यात्मिक विचार के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है, लेकिन इस आयत में बिना किसी प्रमाण के ख़ुदा की इज़्ज़त के बारे में बात की जा रही है।

- **उपनया (Application):**
  न्याय दर्शन के अनुसार, ख़ुदा की इज़्ज़त के बारे में दावा करने के लिए प्रमाण और तर्क का होना जरूरी होता है। इस आयत में इसका अभाव है।

- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत ख़ुदा की इज़्ज़त के बारे में बात करती है, लेकिन बिना किसी तर्क और प्रमाण के, जिससे यह विचार अधूरा और अप्रमाणित प्रतीत होता है।

सारणी (आयतों का तार्किक मूल्यांकन)

आयत संख्या	चुना गया तत्व	मुख्य आलोचना

176	प्रमाण	अज़ाब की जल्दी करने का सवाल किया गया, लेकिन कोई तर्क या प्रमाण नहीं दिया गया।
177	प्रमाण	अज़ाब के प्रभाव का दावा किया गया, लेकिन कोई प्रमाण या तर्क नहीं प्रस्तुत किया गया।
178	हेयतु	मुँह फेरने का निर्देश दिया गया, लेकिन कारण या उद्देश्य स्पष्ट नहीं किया गया।
179	प्रमाण	भविष्यवाणी की गई कि लोग अपना अंजाम देखेंगे, लेकिन कोई तर्क या प्रमाण नहीं दिया गया।
180	हेयतु	ख़ुदा की इज़्ज़त के बारे में दावा किया गया, लेकिन तर्क या प्रमाण नहीं दिया गया।

समग्र निष्कर्ष:

इन आयतों में कई दावे किए गए हैं, लेकिन अधिकांश के पास कोई प्रमाण या तर्क नहीं है। न्याय दर्शन के अनुसार, किसी भी दावे या निर्देश का समर्थन प्रमाण और तर्क से होना चाहिए, जो इन आयतों में अनुपस्थित है। इसलिए इन आयतों का तार्किक आधार कमजोर है।

आयत 181-182 का न्याय दर्शन के आधार पर तार्किक विश्लेषण

आयत 181

आयत का अनुवाद:
"और पैग़म्बरों पर (दुरूद) सलाम हो।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमेय (Prameya)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  यह आयत पैग़म्बरों पर सलाम भेजने का आदेश देती है।

- **हेतु (Reason):**
  सलाम भेजने की कोई विशिष्ट तर्क या कारण यहाँ पर नहीं दिया गया है। यह एक धार्मिक आदत या आस्थाओं का हिस्सा हो सकता है, लेकिन तर्क या प्रमाण के बिना इसे सार्वभौमिक रूप से उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में किसी भी धार्मिक आचरण को स्वीकार करने से पहले उसके पीछे तर्क या प्रमाण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर, योग के अभ्यास में तर्क और उद्देश्य स्पष्ट होते हैं, लेकिन इस आयत में सलाम भेजने का कारण स्पष्ट नहीं किया गया।

- **उपनया (Application):**
  न्याय दर्शन के अनुसार, किसी भी क्रिया का उद्देश्य और कारण महत्वपूर्ण है, जो इस आयत में अनुपस्थित है।

- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत पैग़म्बरों पर सलाम भेजने का आदेश देती है, लेकिन इसका कोई स्पष्ट तर्क या उद्देश्य नहीं है, जिससे यह अधूरा और अस्पष्ट प्रतीत होता है।

आयत 182

आयत का अनुवाद:
"और कुल तारीफ ख़ुदा ही के लिए सज़ावार हैं जो सारे जहाँन का पालने वाला है।"

चुना गया न्याय तत्व:
व्यास्पति (Vyapti)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  यह आयत यह कहती है कि सारी तारीफ केवल ख़ुदा के लिए सज़ावार है, जो सारे जहाँन का पालक है।

- **हेतु (Reason):**
 यह दावे के साथ कहा गया है कि ख़ुदा सर्वव्यापी है और उसने सारे जहाँन का पालन किया है, इसलिए सारी तारीफ उसी के लिए है। हालांकि, यह प्रमाणित नहीं किया गया कि ख़ुदा ही सारे जहाँन का पालक है और इसके लिए तर्क का अभाव है।

- **उदाहरण (Example):**
 भारतीय दर्शन में, ब्रह्म के सिद्धांत को प्रमाण और कारणों के साथ प्रस्तुत किया जाता है, जैसे कि वेदांत में ब्रह्म को निराकार और सर्वव्यापी माना गया है। यहां, केवल एक दावा किया जा रहा है कि ख़ुदा सारे जहाँन का पालक है, लेकिन इसका कोई प्रमाण या तर्क नहीं दिया गया है।

- **उपनया (Application):**
 न्याय दर्शन के अनुसार, किसी भी प्रमुख विचार को प्रस्तुत करने के लिए तर्क और प्रमाण का होना आवश्यक होता है। इस आयत में इसका अभाव है।

- **निगमन (Conclusion):**
 यह आयत एक दावा करती है कि सारी तारीफ ख़ुदा के लिए है, लेकिन इस विचार को प्रमाणित करने के लिए कोई तर्क या कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसलिए इसका तार्किक आधार कमजोर है।

सारणी (आयतों का तार्किक मूल्यांकन)

आयत संख्या	चुना गया तत्व	मुख्य आलोचना
181	प्रमेय	पैग़म्बरों पर सलाम भेजने का आदेश दिया गया, लेकिन इसका कोई स्पष्ट तर्क या उद्देश्य नहीं है।
182	व्याप्ति	सारी तारीफ ख़ुदा के लिए है, लेकिन इसका समर्थन करने के लिए कोई तर्क या प्रमाण नहीं दिया गया है।

समग्र निष्कर्ष:

इन आयतों में ख़ुदा की तारीफ और पैग़म्बरों पर सलाम भेजने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन इनमें कोई प्रमाण या तर्क नहीं प्रस्तुत किया गया है। न्याय दर्शन के अनुसार, किसी भी विचार का समर्थन प्रमाण और तर्क से किया जाना चाहिए, जो इन आयतों में अनुपस्थित है। इन आयतों का तार्किक आधार कमजोर है।